8-0136
~~1157~~

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1991 की संख्या 13

संघ सरकार – सिविल

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1991 की संख्या 13

संघ सरकार – सिविल

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(V)
विहंगावलोकन		(Vii)
अध्याय I		
गृह मंत्रालय		
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	1	1
पंजीकरण फीस एवं लम्बी अवधि वीजा फीस की गैर वसूली	2	23
अध्याय II		
उद्योग मंत्रालय		
(औद्योगिक विकास विभाग)		
राष्ट्रीय औद्योगिक सहायता संगठन लिमिटिड को निधियों का जारी किया जाना	3	26
खारी जल आपूर्ति नहर की खुदाई पर निष्फल व्यय	4	27
अध्याय III		
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
बाह्य निर्माण दूरदर्शन	5	30
एशिया गांव कम्पलैक्स नई दिल्ली में डायनिंग हाल तथा शापिंग कम्पलैक्स की खरीद	6	50
बकाया देय राशि तथा ब्याज की गैर वसूली	7	52
निधियों का अवरोधन	8	53
एक डीजल जनरेटर सैट का चालू न किया जाना	9	53
अध्याय IV		
इस्पात एवं खान मंत्रालय		
अप्रयुक्त पूंजीगत परिव्यय	10	55

इस्पात एवं खान तथा शहरी विकास मंत्रालय

हैदराबाद में आवासीय मकानों का निर्माण	11	56

अध्याय V

भूतल परिवहन मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

एक पुल का निर्माण	12	58

(सड़क प्रभाग)

पुनः निविदा के कारण अतिरिक्त व्यय	13	59
ह्यूम पाइप की अविवेकपूर्ण खरीद	14	60

अध्याय VI

कपड़ा मंत्रालय

शिल्प संग्रहालय का निर्माण	15	62

अध्याय VII

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली के अक्षर मुद्रणालयों की कार्यप्रणाली	16	64
निक्षेपों से अधिक किया गया व्यय	17	76
जल आपूर्ति योजना पर निष्फल व्यय	18	76
हैदराबाद में आवासीय मकानों के लिए पावर कनैक्शन की व्यवस्था में विलम्ब	19	78
योजनाओं को अंतिम रुप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	20	79
निविदा प्रस्तावों के गलत अभिकलन के कारण उच्चतर दरों पर कार्य का सौंपा जाना	21	80
उचित मापन के बिना भुगतान	22	80
अपर्याप्त निरीक्षण से त्रुटिपूर्ण कार्य के निष्पादन को बढ़ावा	23	81
निर्माण कार्य की गलत संगणना के कारण अधिक भुगतान	24	82

अध्याय VIII

जल संसाधन मंत्रालय

एक सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन	25	83
गोला पत्थरों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय	26	85

अध्याय IX

कल्याण मंत्रालय

पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान	27	87

अध्याय X

संघ शासित प्रदेश

(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)

भू-संरक्षण योजनाएं	28	89
पेय जल पर प्रौद्योगिकी मिशन	29	96
एक सड़क निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब	30	99
अंडमान आदिम जन जाति विकास समिति को अनुदान	31	100
लाइसेंस फीस की गैर वसूली	32	101
औषधियों की निर्धारित जीवन अवधि की समाप्ति के कारण हानि	33	102
कक्षा कमरों के निर्माण में विलम्ब	34	103
सड़क कार्य पर परिहार्य व्यय	35	104
गलत विनिर्देशन की सुतली रस्सियों का अधिप्रापण	36	105
डामर के रिसने से हानि	37	106
एक मिलिंग मशीन का चालू न किया जाना	38	107
मशीन का असंस्थापन	39	108

(चंडीगढ़ प्रशासन)

अनुदानों का अधिक जारी किया जाना	40	109
गलत विनिर्देशन के कारण अतिरिक्त व्यय	41	109
सरकारी प्राप्तियों का दुर्विनियोजन	42	110

(दमन व दीव प्रशासन)

अनियमित/निष्फल व्यय	43	111

(लक्षद्वीप)

हाइड्रोपॉनिक ग्रास यूनिट का निष्क्रिय पड़ा रहना	44	112

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

31मार्च 1990 को समाप्त हुये वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. यह मुख्यतः संघ सरकार के कुछ सिविल विभागों के वित्तीय लेन देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मुद्दों से सम्बन्धित है ।

3. इस प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ- साथ ये पुनरीक्षण सम्मिलित हैः-

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(ख) बाह्य निर्माण-दूरदर्शन

(ग) नई दिल्ली में अक्षर मुद्रणालय की कार्य विधि

4. इस प्रतिवेदन में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से सम्बन्धित भू-संरक्षण योजनाओं तथा पेय जल पर प्रौद्योगिकी मिशन पर पुनरीक्षण भी सम्मिलित हैं ।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 1989-90 के दौरान की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये, इसके साथ-साथ वे भी जो पिछले वर्षो मे देखने में तो आये किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सकाः जहां कहीं आवश्यक समझा गया, 1989-90 के बाद की अवांधे से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिये गए हैं ।

31मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 44 पैराग्राफ़ो सहित 5 पुनरीक्षण सम्मिलित हैं । प्रतिवेदन में विशेष रुप से उल्लिखित मुद्दे नीचे दिये गये हैं:-

1. गृह मंत्रालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल:- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का वार्षिक व्यय 1984-85 में 162.40 करोड़ रु. से बढ़कर 1989-90 में 334.06 करोड़ रु. हो गया था । के.रि.पु.ब. के अनुसार, बल की वृद्धि तथा विकास, एक नियोजित ढंग की बजाय तदर्थ एवं अविचारित तरीके से हुआ था । 1987-88 से 1990-91 के दौरान 13 बटालियनों के प्रस्तावित सृजन के प्रति, मंत्रालय ने अकेले कलैंडर वर्ष 1988 के दौरान 10 बटालियन गठित की जानी संस्वीकृत की थी: इसके परिणामस्वरुप नयी गठित बटालियनों को अस्त्र तथा शस्त्र प्रदान करने में यथेष्ट कठिनाइयां हुई । इसने के.रि.पु.ब. की प्रशिक्षण क्षमता पर भी अधिक भार डाला ।

कुछ अस्त्र व शस्त्रों में कमी अनुमोदन के 11 तथा 38 प्रतिशत के बीच थी । अस्त्रों की मांग की मात्रा तथा आपूर्त मात्रा में कमी 67 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी तथा शस्त्रों व गोलाबारुद में 36 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी । आपूर्ति में कमी ने, दक्षता तथा प्रभावी निष्पादन को प्रभावित करने के अतिरिक्त अधिकतर प्रशिक्षण तथा गोलाबारी के अभ्यास को काफी प्रभावित किया । के.रि.पु.ब. को आपूर्त हथियारों के उन्नयन की भी आवश्यकता थी ।

संकेत संचार के आधुनिकीकरण के लिए के.रि.पु.ब. की योजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था। 1985-90 के दौरान नये उपकरणों का अधिष्ठापन, मांग की गई मात्रा से 31 से 78 प्रतिशत तक कम पड़ गया था ।

दूर संचार में 27 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की नमूना जांच ने, पाठ्यक्रम के लिए बुलाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के 15 से 24 के बीच की कमी को प्रकट किया। 1984 से 1989 के दौरान रेडियो आपरेटरों को क्रमिक प्रशिक्षण में कमी 23 से 43 प्रतिशत के बीच थी ।

1984 से 1989 के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रशिक्षण क्षमता के उपयोग में कमी 11 से 46 प्रतिशत के बीच थी । कोई बाह्य मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान नहीं थी ।

रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र नये रंगरुटों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ थे,आधिक्य की मात्रा 25,725 रंगरुट थी । 1980 से 1989 के दौरान, बल, 4572 कम्पनियों में से 3810 को क्रमिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका ।

नवम्बर 1980 तथा अप्रैल 1983 में संस्वीकृत शांति स्थापक घटकों को मई 1987 में राज्य के राजस्व पर भारी बोझ पाया गया था तथा इसमें कांट छांट कर दी गई थी । इस प्रकार से 1981-82 से 1988-89 तक इन मूलकारकों पर खर्च की गई 9.53 करोड़ रु. की राशि अधिकतर अनुत्पादक सिद्ध हुई ।

के.रि.पु.ब. के पास प्रबोधन तथा मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी ।

(पैराग्राफ 1)

पंजीकरण फीस तथा लम्बी अवधि वीजा फीस की गैर वसूली.- भारत में 120 दिनों से अधिक के लिए वीजा पर आने वाले विदेशियों को भारत में पहुंचने के सात दिनों के अन्दर, अपने आप को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है । 19 जून 1984 से राष्ट्रमण्डल देशों तथा आयरलैंड के नागरिकों से, इस प्रकार के पंजीकरण के लिए 50 रुपए की फीस प्रभारित की जाती है । लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया की 1985 से 1990 की अवधि के दौरान वसूली योग्य 16.18 लाख रुपए की राशि, बम्बई, नागपुर और पुणे के विदेशी पंजीकरण कार्यालयों द्वारा वसूल नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि विदेशी नागरिकों, जिनका ठहराव छः महीने से बढ़ गया था, से, वसूली योग्य लम्बी अवधि वीजा फीस, तीन विदेशी पंजीकरण कार्यालयों द्वारा सितम्बर 1988 तक प्रभारित नहीं की जा रही थी । तीन कार्यालयों ने फीस प्रभारित करना आरम्भ किया और जुलाई 1990 तक कुल 80 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया ।

(पैराग्राफ 2)

II.उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संगठन, लिमिटेड को निधियों का जारी किया जाना.- राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संगठन, लिमिटेड 1981-82 से निरंतर हानियां उठाता रहा था । विभाग द्वारा 1985 में संगठन की कार्यप्रणाली की जांच ने प्रकट किया कि यह उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा था, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी । संगठन को पुनर्जीवित करने के विभाग के प्रयास में इसके निष्पादन में सुधार नहीं हुआ । यह निरंतर हानियां उठाता रहा । विभाग ने 1988 में संगठन के अल्प निष्पादन को कुप्रबंध तथा अंधाधुंध भर्ती पर आरोपित किया था । विभाग, संगठन की कार्यप्रणाली को सरल व कारगर बनाने के प्रभावशाली कदम उठाये बिना, 1989-90 तक कुल 3 करोड़ रु. की निधियां जारी करता रहा ।

(पैराग्राफ 3)

खारी जल आपूर्ति नहर की खुदाई पर निष्फल व्यय:- पूर्व गोदावरी जिले में लवण- उद्योगों को अतनूकृत खारी जल उपलब्ध कराने के लिए 19.87लाख रु. की लागत पर 9 कि.मी. लम्बाई की पृथक खारी जल आपूर्ति नहर की खुदाई मार्च 1984 में पूरी की गई थी । 35000 टन नमक के

लक्षित उत्पादन के प्रति, 1984 से 1989 के दौरान, 9291 तथा 24955 टन के बीच वास्तविक उत्पादन हुआ था । इस प्रकार से, उद्देश्य,जिसके लिए नहर खोदी गई थी, प्राप्त नहीं किया गया था।

खुदाई की लागत के लिए लाभग्राहियों से उनके अंश के रुप में वसूली योग्य 6.96 लाख रु. के प्रति, केवल 0.02 लाख रु. की वसूली ही की जा सकी ।

(पैराग्राफ 4)

III. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

बाह्य निर्माण-दूरदर्शन.- दूरदर्शन ने 1985-90 के दौरान वाह्य निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों पर 55.92 करोड़ रु. का व्यय किया था।

दूरदर्शन के पास प्रत्येक वर्ष प्राप्त प्रस्तावों, किये गये करारों तथा पूरे किये गये कार्यक्रमों की कुल संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं थी । फरवरी 1986 तथा मार्च 1990 के बीच 203.97 लाख रु. के अग्रिम भुगतानों को अन्तर्ग्रस्त करते हुए बाह्य निर्माताओं से करार किये गये 73 कार्यक्रम अक्तूबर 1990 तक पूर्ण होने की प्रतीक्षा में थे । सामान्यतया जून 1987 तथा मार्च 1990 के बीच 121.39 लाख रु. में प्राप्त पचास कार्यक्रम, उनमें से कुछ राजनीतिक दृश्य विधान में परिवर्तन के कारण अक्तूबर 1990 तक दूरप्रसार की प्रतिक्षा में थे । निर्माण में विलम्ब के लिए निर्माताओं के विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई थी तथा केन्द्रों द्वारा प्रबोधन कमजोर था । लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गये थे, जिनमें आगे कार्यक्रम उन निर्माताओं को आबंटित किये गये थे, जिन्होंने उनको पहले से ही आबंटित कार्यक्रम समर्पित नहीं किये थे ।

दूरदर्शन ने निर्माताओं के पैनल का अनुरक्षण नहीं किया था । निर्माताओं का महानिदेशक द्वारा उनके अनुभव अथवा ख्याति के आधार पर चयन किया गया बताया गया था । दूरदर्शन को, स्वयं निर्माताओं के हित के लिए निर्माताओं के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करना चाहिये ।

लागत समिति, जो प्रत्येक कार्यक्रम की लागत आंकती थी, के कार्य करने के लिये कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश अथवा मानदंड जारी नहीं किये गये थे । लागत समिति को लागत के विभिन्न तत्वों की जांच करनी चाहिये तथा दर ढांचे के औचित्य पर अपने दृष्टिकोण दर्ज करने चाहिये ।

निर्माताओं के साथ विशेषाधिकार को बांटने के लिए कोई समुचित प्रक्रिया नहीं थी । 71.93 लाख रु. की राशि का आयकर, निर्माताओं को किये गये भुगतानों से स्रोत पर नहीं काटा गया था ।

दूरदर्शन की दो शाखाओं के बीच समन्वय के अभाव के परिणामस्वरुप एक कार्यक्रम के लिए 3.90 लाख रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ, जिसका पहले उसी निर्माता के साथ

निम्न दर पर करार किया गया था । स्वयं द्वारा पहले ही निर्मित तथा पिछले वर्ष में तीन बार दूरप्रसारित एक कार्यक्रम 1.25 लाख रु. में एक वाह्य निर्माता द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था।

एक टेलीफिल्म, जिसे प्रायोजक नहीं मिले तथा प्रति दूर प्रसार केवल 0.32 लाख रु. की रॉयल्टी के लिए पात्र थी, दूरदर्शन द्वारा 4 लाख रु. में पूर्णतया खरीद ली गई थी; टेलीफिल्म केवल दो बार दूरप्रसारित हुई थी । 10.5 लाख रु. का अग्रिम भुगतान, भुगतान की निर्धारित अनुसूची का उल्लंघन करते हुए एक निर्माता को कर दिया था।

पूरा किये जाने की कोई समयसारिणी निर्धारित नहीं की गई थी ; धारावाहिक, जिसके लिए फरवरी 1989 में करार किया गया था, अभी भी पूरा होने को पड़ा था ।

एक अन्य फिल्म की लागत, बिना औचित्य के, 5 लाख रु. से बढ़ाकर 8.5लाख रु. कर दी गई थी । फिल्म, जो 14 महीनों के विलम्ब के बाद पूरी की गई थी, 31 महीने बाद देर रात्रि प्रसारण में दूर प्रसारित की गई थी, यद्यपि, यह ज्ञात था कि प्रिंट की गुणवत्ता दूरप्रसारण के योग्य नहीं थी ।

सात कड़ियाँ के धारावाहिक के निर्माण की लागत 12.60 लाख रु. से बढ़ाकर 14 लाख रु. कर दी गई थी; 5.6 लाख रु. के अग्रिम भुगतान के बावजूद धारावाहिक अभी तक समर्पित नहीं किया गया था । अन्य कार्यक्रम, जिसके लिए फरवरी 1987 में 2 लाख रु. का अग्रिम भुगतान किया गया था, पूरा नहीं किया गया था । एक मामले में कड़ियों की अवधि घटा कर कड़ियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, इसके परिणामस्वरुप केवल दस मिनटों की कुल वृद्धि के लिए 3.50 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ । दो कार्यक्रम, जिनके लिए, 9.6 लाख रु. का अग्रिम भुगतान किया गया था, 2.03 लाख रु. का व्यय करने के बाद निरस्त कर दिये गये थे ।

(पैराग्राफ 5)

एशिया गांव काम्पलैक्स नई दिल्ली में डाइनिंग हाल तथा शापिंग केन्द्र की खरीदः- दूरदर्शन ने, अपने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु, एशिया गांव काम्पलैक्स में डाइनिंग हाल तथा शापिंग काम्पलैक्स की लागत के रुप में अक्टूबर और नवम्बर 1986 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 8.13 करोड़ रु. का भुगतान किया । इस लागत में पंचाट मामले जो अभी मध्यस्थ निर्णय के अधीन थे के लिए 0.27 करोड़ रु. तथा निर्धारित दरों पर उन पर ब्याज व अनुरक्षण प्रभार भी सम्मिलित थे । क्योंकि यह राशि वास्तव में दि.वि.प्रा. द्वारा वहन नहीं की गयी थी इससे 42.49 लाख रु. (ब्याज तथा अनुरक्षण प्रभारों के कारण 15.49 लाख रु. सहित) का अधिक भुगतान हुआ । इसके अतिरिक्त दूर दर्शन ने अक्टूबर 1986 में दि.वि.प्रा. को 5 करोड़ रु. का भुगतान किया, लेकिन इसने इस राशि पर भी

नवम्बर 1986 तक ब्याज का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरुप 5 लाख रु. का अतिरिक्त अधिक भुगतान हुआ । समाप्ति का स्वामित्व औपचारिक रुप से न तो दूरदर्शन को अन्तरित किया गया था और न ही कोई क्रय विलेख/विक्रय विलेख अभी तक पंजीकृत कराया गया था ।

(पैराग्राफ 6)

निधियों का अवरोधनः- दूरदर्शन ने जुलाई 1988 में अपनी केन्द्रीय निर्माण इकाई के लिए फिल्मों के सम्पादन और अवलोकन हेतु 2.93 लाख रुपए की विदेशी विनिमय सहित, 7.08 लाख रुपए की लागत का एक 35 मि.मी.फिल्म सम्पादन तथा अवलोकन टेबल खरीदा । यह उपकरण जुलाई 1989 में पांच दिनों में 17घण्टों को छोड़कर कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया था । इस प्रकार खरीद के परिणामस्वरुप निष्क्रिय निवेश तथा निधियों का अवरोधन हुआ ।

(पैराग्राफ 8)

डीजल जनरेटर सैट का चालू न किया जानाः- सिविल निर्माण खंड, मंडल सं.1,आकाशवाणी, नई दिल्ली ने 1987 में केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के लिए अतिरिक्त पुर्जों सहित 200 के.वी.ए. डीजल जनरेटर सैट के लिए 4.76 लाख रु. की कुल लागत के प्रति 4.51 लाख रु. का भुगतान किया था । मंडल ने आपूर्तिकर्त्ता के कार्यों पर उपकरण के इंजिन की साक्षी जांच सुनिश्चित नहीं की, जैसा की अनुबंध में अनुबद्ध था । मई 1988 में जांच के दौरान इंजिन 10 प्रतिशत अधिक भार उठाने में अक्षम पाया गया थाः आल्टरनेटर के भी पुराना होने की आशंका थी तथा जल गया था । परिणामस्वरुप, सैट चालू नहीं किया जा सकाः मंडल को एक सैट किराये पर लेना पड़ा, जिस पर जुलाई 1990 तक एक संचालक के लिए प्रभारों सहित 0.72 लाख रु. की राशि खर्च की गयी थी।

आगे, एक नये 200 कि.वा.ए. के आल्टरनेटर की आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य, अन्य ठेकेदार को जनवरी 1991 में 1.82 लाख रु. पर प्रदान किया गया था ।

(पैराग्राफ 9)

IV. इस्पात एवं खान मंत्रालय

अप्रयुक्त पूंजीगत परिव्ययः- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (भा.भू.स.) ने महा-निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के माध्यम से जुलाई/सितम्बर 1984 में 1.80 लाख अमरीकी डालर (23.12लाख रु.) की लागत पर एक विदेशी फर्म से मैक्सीप्रोब इ.एम.आर. 16 इलैक्ट्रो-मैगनैटिंग प्रोस्पैक्टिंग उपकरण खरीदा । आपूर्तिकर्त्ता फर्म का इंजीनियर, जो कि अन्य के साथ-साथ उपस्कर के संस्थापन तथा इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी था, ने अक्तूबर-नवम्बर 1986 में भारत की यात्रा की तथा उपस्कर की जांच की प्रक्रिया में कुछ पुरजे त्रुटिपूर्ण पाये । इन्हें अभी तक बदला नहीं गया था । परिणामतः, उपस्कर

एक किलोमीटर से अधिक की इसकी प्रक्षेपित क्षमता की बजाय राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 350 मीटर तक के ही आंकड़े संग्रहित करने में सक्षम था तथा पिछले छः वर्षों से अवप्रयुक्त रहा ।

(पैराग्राफ 10)

इस्पात एवं खान/शहरी विकास मंत्रालय

हैदराबाद में आवासीय मकानों का निर्माण.- भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों के लिए 420.64 लाख रु. की कुल लागत से जून 1985 से जनवरी 1988 के दौरान के.लो.नि.वि. द्वारा निर्मित 428 आवासीय क्वार्टर (टाइप I से V) जल एवं विद्युत आपूर्ति के अभाव में खाली पड़े रहे (जून 1990) । इसके परिणामस्वरुप जून 1990 तक 11.21 लाख रु. की राशि के लाइसैंस शुल्क तथा 50.26 लाख रु. की राशि के गृह किराया भत्ते की परिहार्य अदायगी हुई ।

ठेकेदार को डिजाइन व आरेखणों की सूचना देने तथा अधिप्राप्ति हेतु समुचित योजना के अभाव के कारण सामान की आपूर्ति में विलम्ब के परिणामस्वरुप भी सामान तथा मजदूरी के मूल्य में वृद्धि के लिए मुआवजे हेतु 8.76 लाख रु. का भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 11)

V.भूतल परिवहन मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

एक पुल का निर्माण.- सितम्बर 1982 में 48.64 लाख रु. की अनुमानित लागत पर (सितम्बर 1984 में संशोधित 84.25 लाख रु.) जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किये गये एक स्थाई पुल के निर्माण के लिये ठेका अंतिम रुप से 21 महीने के बाद जून 1984 में सम्पन्न किया गया था । निर्माण कार्य अगस्त 1987 तक पूरा किया जाना था जो बाद में दिसम्बर 1988 तक बढ़ा दिया गया । ठेका दिसम्बर 1988 में ठेकेदार की जोखिम व लागत पर रद्द कर दिया गया था चूंकि निर्माण कार्य की प्रगति केवल 34.69 प्रतिशत थी । 1986-87 के दौरान तकनीकी निरीक्षक द्वारा कार्य का निरीक्षण तथा जून 1988 से अप्रैल 1989 के दौरान तीन पूछताछ न्यायालयों द्वारा छानबीन से निर्माण संबंधी त्रुटियों तथा दरारों इत्यादि का पता चला था । तकनीकी निरीक्षक द्वारा सुझाये गये उपचारी उपाय उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित नहीं किये गये थे । पूछताछ न्यायालय ने बुनियाद की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त कार्य की सिफारिश भी की थी जिसकी अनुमानित लागत 5.93 लाख रुपये थी ।

अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता निर्माण के दौरान प्रभावी निरीक्षण के अभाव तथा तकनीकी निरीक्षक द्वारा सुझाये गये उपचारी उपायों के गैर कार्यान्वयन में विफलता के कारण हुई थी । ठेके के रद्द करने के 18 महीने के बाद भी बाकी बचा कार्य तथा बुनियाद की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त कार्य का ठेका अभी दिया जाना था ।

(पैराग्राफ 12)

VI. कपड़ा मंत्रालय

शिल्प संग्रहालय का निर्माण.- मार्च 1982 तथा मार्च 1983 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को शिल्प संग्रहालय भवन चरण -II, के निर्माण हेतु स्थल की उपलब्धता से भी पहले 64.90 लाख रु. की निधियों के अविवेकपूर्ण रुप से जारी किये जाने के परिणामस्वरुप निधियों का लगभग पांच वर्षो तक अवरोधन हुआ । आरेखणों को तैयार करने के लिए वास्तुकार को 1.24 लाख रु. का भुगतान निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि आरम्भिक रुप से प्रस्तावित स्थल उपलब्ध नहीं हुआ था ।

(पैराग्राफ 15)

VII. शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली में अक्षरमुद्रणालय की कार्यविधि:- भारत सरकार मुद्रणालय, मुद्रण निदेशालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन सरकारी प्रकाशनों के मुद्रण कार्य के निष्पादन हेतु विभागीय रुप से प्रबंधित उपक्रम है । मुद्रणालय सरकार की मुद्रण आवश्यकताओं को "न हानि न लाभ के आधार पर" पूरा करता है ।

मिन्टोरोड तथा रिंगरोड मुद्रणालय ने मार्च 1990 में क्रमश: 1700 तथा 1300 कर्मचारी नियुक्त किये हुये थे । 1986 में निदेशालय द्वारा पुनर्निर्धारित क्षमता की तुलना में 1986-90 के दौरान मुद्रण मशीनों की क्षमता उपयोगिता मिन्टोरोड मुद्रणालय में 19 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 33 प्रतिशत थी । क्षमता के अत्यंत कम उपयोग रहने के बावजूद, 1986-90 के दौरान 67 लाख रु. पर 1634 मुद्रण कार्य निजी मुद्रणकर्त्ताओं के जरिये निष्पादित कराये गये थे। निजी मुद्रणकर्ताओं के जरिए निष्पादित कराये गये कार्यों के लिए 41 लाख रु. की एक राशि भी मॉगकर्त्ता विभागों से वसूली योग्य थी ।

अक्तूबर 1985 से अगस्त 1987 के दौरान पूरे किये गये 5614 कार्यों के लिए बिल रिंग रोड मुद्रणालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

मिंटोरोड तथा रिंग रोड मुद्रणालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों के सम्बन्ध में 1976-90 की अवधि के लिए 1381 लाख रु. की राशि के अतिरिक्त प्राप्य मार्च 1990 को विभिन्न मांगकर्ता विभागों से, वसूली के लिये लंबित थे ।

मिंटोरोड प्रैस में 1987 से 52 लाख रु. के धातु लोहमल बिना निपटाये हुए पड़े थे तथा धातु लोहमल अवशेष के निपटान के अन्य मामलों में, ठेके की शर्तो के अप्रवर्तन से, 4.28 लाख रु. की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 16)

निक्षेपों से अधिक किया गया व्यय:- गैर-सरकारी निकायों अथवा संगठनों के निर्माण कार्यों के निष्पादन के वित्तपोषण के लिए, किसी उत्तरदायित्व को लेने से पूर्व, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणकार्य की अनुमानित लागत के द्योतक निक्षेप वसूल किये जाने चाहिये । तथापि,

मार्च 1990 तक, दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 36 मंडलों द्वारा ऐसे निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक कुल 1188 लाख रु. का व्यय किया गया था ।

(पैराग्राफ 17)

जल आपूर्ति योजना पर निष्फल व्यय:- रेकांग पेओं में सीमा पुलिस को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 1974 में संस्वीकृत तथा 11.73 लाख रु. की लागत पर के.लो.नि.वि. द्वारा 1981 में पूरी की गई (आंतरिक वितरण प्रणाली को छोड़कर) एक जल-आपूर्ति योजना छोड़ दी गई थी, क्योंकि (i) 10,500 फुट की ऊंचाई पर जल स्रोत जम सकता था तथा (ii) पाइपलाइन दबाव के सामने ठहरने में सक्षम नहीं थी तथा वर्षाऋतु के दौरान भू-स्खलनों द्वारा क्षतिग्रस्त होनी संभावित थी ।

योजना को कार्यान्वित किये जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण तथा छानबीन नहीं की गई थी । परिणामस्वरुप, योजना पर किये गये 11.73 लाख रु. के व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । पाइप लाइन के एक भाग के विखंडन पर भी 0.62 लाख रु. का व्यय किया गया था: पाइपलाइन की शेष लम्बाई को विखडित नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसा करना लागत सार्थक नहीं विचारा गया था ।

(पैराग्राफ 18)

हैदराबाद में आवासीय मकानों के लिये पावर कनेक्शन की व्यवस्था में विलम्ब:- भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिये हैदराबाद स्थित उप्पल में 192 आवासीय मकानों का निर्माण 222.99 लाख रु. की लागत पर मार्च-जून 1988 के दौरान पूरा किया गया था । लकड़ी के बोर्ड, जहां बिजली के मीटर लगाये जाने थे, जून 1989 तक नहीं लगाये गये थे । मकानों को अंततः बिजली कनेक्शनों की व्यवस्था के बाद केवल अगस्त 1989 में प्रयोक्ता विभाग को सौंपा गया था । समय पर कार्यवाही करने में विफलता के कारण मकानों के अधिग्रहण में विलम्ब के परिणामस्वरुप मकान किराया भत्ता के प्रति 7.50 लाख रुपये के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त 1.60 लाख रुपये के लाईसेंस फीस की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 19)

VIII. **जल संसाधन मंत्रालय**

एक सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन.- कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु, सौर पम्पों, पवन चक्कियों, फव्वारों, ड्रिप्प प्रणालियों, हाइड्रैमों, जल टरबाइनों, मानव तथा पशु द्वारा संचालित पम्पों के प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के सफल प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना 1982-83 में प्रारम्भ की गई थी ।

राज्यों में सिंचाई यंत्रों के संस्थापन की प्रगति बहुत धीमी थी । मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन का कोई प्रभावशाली प्रबोधन तथा

मूल्यांकन नहीं किया गया था । मार्च 1990 तक, 470 लाख रु. अप्रयुक्त छोड़ते हुए, 1982-90 के दौरान 15 राज्यों को जारी केन्द्रीय परिदान का केवल 45 प्रतिशत प्रयुक्त किया गया था । तीन राज्यों में, 13.38 लाख रु. का परिदान उपयोग में नहीं लाया गया था । अप्रयुक्त निधियों के बावजूद, 1989-90 के दौरान दो राज्यों को अतिरिक्त निधियां जारी की गई थी । योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन नहीं किया गया था तथा कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था ।

(पैराग्राफ 25)

IX. कल्याण मंत्रालय

पुर्नवास सेवाओं का प्रावधान.- दिसम्बर 1983 में स्थापित जिला पुर्नवास केन्द्र खड़गपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग आबादी के पुर्नवास हेतु एक मुश्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये मार्च 1989 तक 28.05 लाख रु. का कुल व्यय किया जिसमें से केवल कर्मचारियों, कार्यालय फर्नीचर तथा उपस्करों के लिये ही 21.58 लाख रू. बना था । पहचाने गये 7807 विकलांग व्यक्तियों में से 2176 का उपचार किया गया अथवा उपचाराधीन थे तथा केवल 485 व्यक्तियों को वास्तव में पुनर्वासित किया गया था । 1984-89 के दौरान 2.19 लाख रु. का खरीदा गया उपस्कर छः वर्षो तक के आस पास की अवधि तक प्रयुक्त नहीं किया जा सका था ।

(पैराग्राफ 27)

X. संघ शासित प्रदेश

अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन

भू-संरक्षण योजनाएं - भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत 26.91 लाख रु. के अनुमोदित परिव्यय पर 2350 हैक्टेयर आवृत करने के लक्ष्य के प्रति, 8.11 लाख रु. का व्यय वहन करने के पश्चात वास्तव में आवृत किया गया क्षेत्र केवल 305.65 हैक्टेयर था । प्रशासन द्वारा 1.63 लाख रु. की राशि के ब्याज का भुगतान यह सुनिश्चित किए बिना शिथिल कर दिया गया था कि क्या खेतीहरों द्वारा न्यूनतम अनुवर्ती कार्यक्रम किया गया था ।

1985-90 की अवधि के दौरान जाँच किए जाने वाले मिट्टी के 60,000 नमूनों के लक्ष्य के प्रति, केवल 17,762 नमूने जांचे गये थे । 6944 मिट्टी के नमूनों के परिणाम खेतीहरों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

ट्रैक्टरों का उपयोग संचालन के आशाजनक घण्टों से बहुत ही कम था; खेतीहरों को ट्रैक्टर 108 रु. प्रति घण्टा की संचालन लागत केप्रति 35 रु. प्रति घण्टा की रियायती दर पर किराए पर दिए गए थे ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खारे पानी द्वारा प्रभावित भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया था । योजना आयोग द्वारा सुझाए गए तरीके से भू-संरक्षण योजना के प्रभाव का

विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया था ।

(पैराग्राफ 28)

पेय जल पर प्रौद्योगिकी मिशनः- आवासियों को पर्याप्त पेयजल की अविच्छिन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 1986 में एक योजना तैयार की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि 11.04 लाख रुपये की उपलब्ध निधि के प्रति, 1987-90 की अवधि के दौरान 3.87 लाख रुपये (35 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। 9477 आवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 सफाई कुओं के प्रावधान में से 3059 आवासियों (32 प्रतिशत) को जुटाते हुए केवल 8 कुएं उपलबध कराए गए थे। पानी की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु वांछित प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई थी। प्रगति का प्रबोधन तथा योजना का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 29)

सड़क निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब.- खाड़ी द्वीप समूह में विखरी हुई बस्तियों को 9.6 कि.मी. सड़क के निर्माण द्वारा मिलाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छः मास की विनिर्दिष्ट अवधि के प्रति 19 वर्ष लगे थे । व्यय जिसका अनुमान 4.38 लाख रुपए किया गया था, बाद में विनिर्देशन परिवर्तन तथा अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण 45.87 लाख रुपए हो गया था ।

(पैराग्राफ 30)

अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदानः- निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति को 1985-86 से 1989-90 के दौरान,द्वीप समूह की आदिम जनजातियों के कल्याण हेतु 95.02 लाख रु. के अनुदान जारी किए गए थे । 31 मार्च 1990 को 18 लाख रु. के ब्याज सहित 84.34 लाख रु. के अव्ययित शेष बिना वापिसी के पड़े थे।

यह भी देखा गया था कि प्रावधानों के विरुद्ध मार्च के महीने में 67.49 लाख रु. सहित वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में 79.99 लाख रु. राशि के अनुदान जारी किए गए थे ।

(पैराग्राफ 31)

लायसैंस फीस की गैर वसूलीः- प्रशासन ने चार किस्तों में वसूली योग्य 55.36 लाख रु. की कुल बोली राशि के प्रति नीलामी के आधार पर अप्रैल 1987 से मार्च 1988 तक संघ शासित क्षेत्र में खुदरा में शराब की बिक्री के लिए चार व्यक्तियों को लायसैंस प्रदान किए थे । प्रशासन ने प्रथम दो किश्तें वसूल की थीः 27.68 लाख रु. राशि की शेष दो किश्तें वसूल नहीं की जा सकी थीं क्योंकि विक्रेताओं का पता नहीं था । नए विक्रेताओं के चयन हेतु पुनः नीलामी भी नहीं की गई थी ।

(पैराग्राफ 32)

औषधियों की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के कारण हानि.- चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (नि.स्वा.से.) अंडमान

एवं निकोबार द्वीप समूह को संघ शासित क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों के लिए 241.55 लाख रु. की दवाईयां 1987-88 में आपूर्त की थीं जिसमें से नि.स्वा.से. द्वारा 51.35 लाख रु. की दवाईयां प्राप्त नहीं की गई थीं । इस प्रावधान के विरुद्ध कि किसी भी मांगकर्त्ता को छः मास से कम निर्धारित अवधि की औषधियों को नहीं खरीदना था, नि.स्वा.से. द्वारा प्राप्त की गई 190.20 लाख रु. की दवाईयों में 23.34 लाख रु. कीमत की ऐसी दवाईयां सम्मलित थीं जिनकी निर्धारित अवधि या तो समाप्त हो गई थी या फिर वे एक से चार मास की निर्धारित अवधि की थीं । नि.स्वा.से. द्वारा दवाईयों को बदलने में असफलता के परिणामस्वरुप 23.34 लाख रु. की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 33)

कक्षा कमरों के निर्माण में देरी:- जनवरी 1985 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने पोर्टब्लेयर स्थित केन्द्रीय विद्यालय हेतु 12कक्षा कमरों के निर्माण के लिये 26.86 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की थी । अंडमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) द्वारा सितम्बर 1985 में डिपोजिट कार्य हाथ में लिया गया था परन्तु 18 मास की अनुबंधित अवधि के अन्दर कार्य पूरा नहीं किया जा सका था । समापन में देरी के फलस्वरुप श्रम तथा सामग्री लागत में वृद्धि हुई थी तथा नवम्बर 1987 में 41.43 लाख रु. की संशोधित स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ी थी । 40.65 लाख रु. की लागत पर अप्रैल 1990 तक केवल 10 कमरों का निर्माण किया गया था । कार्य में विलम्ब के फलस्वरुप व्यय में 13.79 लाख रु. की वृद्धि हुई थी ।

(पैराग्राफ 34)

सड़क कार्य पर परिहार्य व्यय.- अंडमान लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क की 1.05 कि.मी. की दूरी को चौड़ा करने तथा उन्नयन करने में लगभग चार वर्ष लिए जबकि इसको एक कार्य अवधि में पूरा किये जाने की आशा थी । संस्वीकृत व्यय 16.92 लाख रु. तक बढ़ गया था।

(पैराग्राफ 35)

गलत विनिर्देशन की सुतली रस्सियों का अधिप्रापण.- निदेशक, जहाजरानी सेवा ने जहाजों मेंप्रयोग हेतु 220 मीटर की लम्बाई में 5.95 लाख रु. पर सुतली रस्सियों की 40 लच्छियां (प्रत्येक 20 लच्छियां 96मि.मी. डाया तथा 76 मि.मी. डाया के आकार में) अधिप्राप्त की थीं । निदेशालय ने जून तथा दिसम्बर 1982 के दौरान 34लच्छियां लेखाबद्ध की थी । 0.89 लाख रु. कीमत की छः लच्छियां गैर लेखाबद्ध रही थी । क्योंकि किसी भी कार्य के लिए रस्सियां बहुत ही लम्बी थीं, उन्हें पुनः आकार देने हेतु 2.42 लाख रु. का परिहार्य व्यय वहन करके नवम्बर 1983 को 19 लच्छियां तीन लम्बाईयों में काट दी गई थीं। 2.01 लाख रु. लागत की ग्यारह लच्छियां पूरी तरह बेकार हो गई थी । यदि निदेशालय ने सही

विनिर्देशन की रस्सियां अधिप्राप्त करने की कार्यवाही की होती तो 5.32 लाख रु. की कुल हानि से बचा जा सकता था ।

(पैराग्राफ 36)

डामर के रिसने से हानि.- मार्च 1980 में, अंडमान लोक निर्माण विभाग ने अवापसी योग्य नये इस्पात ड्रमों में 2,000 टन डामर की आपूर्ति के लिए एक मांगपत्र प्रस्तुत किया । सितम्बर 1980 तथा मार्च 1981 के बीच मद्रास में प्राप्त 13,230 ड्रमों (2021.76 टन) में से, दिसम्बर 1980 तथा अप्रैल 1981 के बीच 10,519 ड्रम पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाज में लादे गये थे । रिसती हुई अवस्था में पड़े 2,571 ड्रम, समुद्र द्वारा पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाज में लादने के अनुपयुक्त घोषित कर दिये गये थे । नवम्बर 1987 में त्रूटिपूर्ण ड्रमों का स्थानीय रुप से निपटान का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (फरवरी 1990); अभिलेख नहीं मिल रहे सूचित किये गये थे । बट्टे खाते डालने के लिए संस्वीकृति प्रदानकरने के लिए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था । त्रूटिपूर्ण आपूर्ति की स्वीकृति के परिणामस्वरुप 4.41 लाख रु. की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 37)

दमन एवं दीव प्रशासन

अनियमित/निष्फल व्यय.- समाहर्त्ता, दमन ने मार्च 1988 में 19.91 लाख रु. की लागत से बम्बई में एक आपूर्तिकर्त्ता से दो उत्खनक खरीदे । तुलनात्मक दरों के लाभ से सरकार को वंचित करते हुए खरीद, खुली निविदाएं आमंत्रित किये बिना, की गई थी । जबकि एक उत्खनक अगस्त 1988 से दिसम्बर 1989 के दौरान 183 घंटों के लिए प्रयोग में लाया गया था, अन्य एक अगस्त से सितम्बर 1988 के दौरान केवल 14 दिनों के लिए प्रयोग में लाया गया था ।

प्रशासन ने कूड़े को हटाने के लिए विद्यमान प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जनवरी/फरवरी 1988 में 34.79 लाख रु. में तीन यांत्रिक मार्ग अपमार्जक तथा दो कचरा डिब्बों की अधिप्राप्ति की तथा उन्हें दमन व दीव नगरपालिकाओं की सुपुर्दगी में रखा । खरीद निविदाएं आमंत्रित किये बिना एक फर्म से सीधे की गई थी । उपकरण के लिए नगरपालिकाओं से कोई मांग नहीं की गई थी तथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि इन्हें उपयोग में लाया गया था ।

(पैराग्राफ 43)

अध्याय ।

गृह मन्त्रालय

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

1.1 प्रस्तावना

साम्राज्य प्रतिनिधि पुलिस 27 जुलाई 1939 में गठित की गई थी। इसे पुनः, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) का नाम, 28 दिसम्बर 1949 को दिया गया। राष्ट्रपति की ओर से इसे चिन्ह (कलर) 19 मार्च 1950 को दिया गया था ।

के.रि.पु.ब. का मुख्य कर्त्तव्य कानून एवं व्यवस्था को पुनः स्थापित करना तथा बनाये रखना है । इसे जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिया जायें, किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी लगाया जा सकता है ।

1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

के.रि.पु.ब.के लेखे,नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम 1971 की धारा 13 के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं । यह पुनरीक्षण वर्ष 1984-85 से 1989-90 के लिए के रि पु ब के मुख्यालय कार्यालय तथा ग्रुप केन्द्र झड़ौदा कलां, दिल्ली के अभिलेखों की मार्च से दिसम्बर 1989 तक नमूना जांच पर आधारित है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

के रि पु ब, जो गृह मंत्रालय (मंत्रालय) के अंतर्गत कार्य करता है, महानिदेशक के अधीन होता है । के रि पु ब की तैनाती के उद्देश्य से, देश, पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी , पांच क्षेत्रों में विभाजित है । उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा तथा प्रत्येक अन्य क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है । एक रेंज का प्रशासनिक नियंत्रण एक पुलिस उप महानिरीक्षण में निहित रहता है । प्रत्येक रेंज में उससे संलग्न बटालियनों की कुछ संख्या रहती है । वास्तविक क्षेत्रीय कार्य, बटालियन स्तर पर निष्पादित होता है। सामान्यतया, बटालियन ग्रुप केन्द्रों से संलग्न होती हैं, जो कि बटालियन के लिए गृह व्यवस्था करते हैं, सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं, वेतन एवं भत्तों को आहरित करते है तथा भंडार व उपस्कर उपलब्ध कराते हैं । कुछ बटालियनें स्वयं ही अपने गृह व्यवस्था संचालनों इत्यादि की देख भाल करती हैं ।

1.4 विशिष्टताएं

- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास इस

समय एक महिला बटालियन तथा एक विशिष्ट सेवागुप सहित 93 बटालियनों की संख्या है । 1987-88 से 1990-91 के दौरान 13 बटालियनों के प्रस्तावित सृजन के प्रति, मंत्रालय ने वर्ष 1988 के दौरान 10 बटालियनें खड़ी की जानी संस्वीकृत की थीं । एक वर्ष में बटालियनों की इतनी बड़ी संख्या के सृजन ने, के रि पु ब की प्रशिक्षण क्षमता पर भार डाला था ।

- अनुमोदन पर, कुछ हथियारों में कमी 11 तथा 38 प्रतिशत के बीच रही थी । मांगी गई हथियारों की मात्रा तथा आपूरित मात्रा में कमी 67 तथा 100 प्रतिशत के बीच, तथा गोला बारुद तथा विस्फोटकों में 36 से 100 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी । आपूर्ति में कमी ने बल की कार्यक्षमता तथा प्रभावी निष्पादन को प्रभावित करने के अलावा अधिकतर प्रशिक्षण तथा गोली चलाने के अभ्यास को प्रभावित किया । के.रि.पु.ब. को आपूरित हथियारों के उन्नयन की आवश्यकता भी थी ।
- सिगनल संचार के आधुनिकीकरण हेतु के.रि.पु.ब. के योजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था। 1985-90 के दौरान नए उपस्करों का प्रवेश वांछित मात्रा से 31से 78 प्रतिशत तक कम रहा।
- दूर संचार में 27 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की नमूना जांच में, वास्तव में आमंत्रित प्रशिक्षुओं की संख्या में 15 तथा 24 प्रतिशत के बीच के आस पास कमियों का पता चला । 1984 से 1989 के दौरान रेडियो आपरेटरों की परिवर्तनात्मक प्रशिक्षण में कमियां 23 तथा 43 प्रतिशत के बीच रहीं ।
- 1984 से 1989 के दौरान प्रशिक्षण क्षमता, आंतरिक सुरक्षा एकादमी के मामले में 11 से 42 प्रतिशत,केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज नीमच, के मामले में 21 से 45 प्रतिशत तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज आवडी के मामले में 21 से 46 प्रतिशत, कम प्रयुक्त रही । कोई बाह्य मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान न थी, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के अंत मे प्रशिक्षुओं से प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर ही किया जा रहा था । रंगरुटों के प्रशिक्षण केन्द्र, नये रंगरुटों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे । बटालियनों तथा ग्रुप केन्द्रों में 25725 रंगरुट भर्ती किए गए थे । 1980 से 1989 के दौरान परिवर्तनात्मक प्रशिक्षण 4572 कम्पनियों में से 3810 को नहीं दिया जा सका था।

- 1984-85 से 1989-90 के दौरान एक माह में साजसज्जा हेतु जारी होने वाले 1122 चेसिसों में से, के रि पु ब तीन माह में 480.62 लाख रुपये की लागत के 240 चैसिस तथा छः माह में 278.22 लाख रुपये की लागत के 130 चैसिस जारी नहीं कर सका ।
- नवम्बर 1980 तथा अप्रैल 1983 में संस्वीकृत, शांति बनाये रखने वाले घटक, मई 1987 में राज्य कोष पर एक बहुत बड़ा बोझ पाये गये थे तथा उनमें कांटछांट की गई थी । इसके लिए खर्च की गई लगभग 9.53 करोड़ रुपये की राशि अधिकतर अनुत्पादक सिद्ध हुई ।
- 1984-89 के दौरान, भवनों के निर्माण के लिए 2032.30 लाख रुपये के बजट प्रावधान के प्रति, के रि पु ब ने 1785.40 लाख रुपये का व्यय किया ।
- 1970 से 1977 के दौरान झड़ौदा कलां में, 2.37 करोड़ रुपये की लागत पर निर्मित भवन 1979 में आवास के लिए असुरक्षित घोषित कर दिए गए थे । इस मामले में उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था ।
- 1984-90 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में भी 30 से 63 प्रतिशत की कमी रही थी । के रि पु ब के पास प्रबोधन एवं मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी ।

1.5 वित्तीय परिव्यय

1984-85 से 1989-90 के दौरान, बजट प्रावधान के प्रति के रि पु ब के व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		मूल अनुदान/ प्रभारित विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
1984-85	दत्तमत	132.62	30.62	163.241	162.40	0.84
	प्रभारित	0.01	-	0.01	-	0.01
1985-86	दत्तमत	158.10	33.78	191.88	190.21	1.67
	प्रभारित	0.01	-	0.01	-	0.01
1986-87	दत्तमत	192.20	30.50	222.70	220.05	2.65

	प्रभारित	0.01	-	0.01	0.01	-
1987-88	दत्तमत	238.85	18.43	257.28	256.33	0.95
	प्रभारित	0.01	0.09	0.10	0.04	0.06
1989-90	दत्तमत	266.02	38.87	304.89	304.39	0.50
	प्रभारित	0.10	-	0.10	0.06	0.04
1989-90	दत्तमत	296.17	37.53	333.70	333.95	-*
	प्रभारित	0.20	-	0.20	0.11	0.09

* अधिक 0.25 करोड़ रुपये।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि 1986-87 में दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यत: मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपस्कर के लिए मांगपत्रों को कार्यरुप न दिए जाने तथा थल सेना प्राधिकारियों से हथियार तथा गोला बारुद के लिए बिलों की अप्राप्ति के कारण हुई थी ।

1.6 के रि पु ब की वृद्धि

बल जो जुलाई 1939 में एक बटालियन की संख्या से भी कम से शुरु हुई थी , 1967 तक 24 बटालियनों की वृद्धि हो गई । बल का पहला भारी विस्तार 1968 में हुआ जब 24 बटालियनों से इसकी 46 बटालियनों में वृद्धि हुई । बटालियनों की संख्या 1981 में 66 हो गई थी । अब के रि पु ब के पास एक महिला बटालियन तथा 1985 में गठित एक विशेष कार्य ग्रुप सहित 93 कार्यरत बटालियनें थीं ।

ग्रुप केन्द्रों की संख्या 1968 में 14 से 1986 में 19 बढ़ गई ।

वर्ष 1965 में सिगनल ढांचे का बटालियन में पुनर्गठन किया गया था । प्रथम सिगनल बटालियन 1965 में तथा उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवीं क्रमश: 1968,1969,1985 तथा 1988 में गठित की गई थीं । सिगनल ग्रुप केन्द्र/सिगनल प्रशिक्षण महाविद्यालय (दूरसंचार) की स्थापना 1970 में की गई थी ।

राजनीतिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय

समिति (रा मा मं स) हेतु मंत्रालय द्वारा फरवरी 1986 में प्रस्तुत एक टिप्पण प्रारुप में के रि पु ब ने बताया कि वृद्धि एवं विकास एक सुनियोजित ढंग से न होकर, तदर्थ एवं अविचारित तरीके से हुआ था । 1987-88 से 1990-91 के दौरान ग्रुप केन्द्रों के विस्तार एवं उन्नत तथा 13 बटालियनों को खड़ा करने के प्रस्ताव किए गए थे । ये प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक व्यय में अत्यंत मितव्ययता बर्तने के निर्देशों को दृष्टिगत रखते, मंत्रालय द्वारा रा मा मं स को नहीं भेजे गए थे ।

प्रस्तावित 13 बटालियनों में से, नौ को प्रशिक्षण की आवश्यकता का प्रबंध करना था । मंत्रालय ने 1988 में 10 बटालियन संस्वीकृत की थी, जो कि 1987-88 (3) तथा 1988-89 (7) में खड़ी की जानी थी । अतिरिक्त संख्या, के रि पु ब की संख्या बढाने तथा वार्षिक परिवर्तनात्मक प्रशिक्षण के लिए कम्पनियां उपलब्ध कराने के लिए थी ।

नई बनाई गई बटालियनों को हथियार एवं गोला बारुद मुहैय्या कराने में, काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। यह भी देखा गया कि 1988 में बटालियनों की बड़ी संख्या के सृजन से, के रि पु ब की प्रशिक्षण क्षमता पर बोझ पड़ा था ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में निम्नवत बताया, " यह कहना ठीक नहीं है कि वृद्धि बेतरतीव रही है । यह इंगित किया जा सकता है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती है की कोई सुस्पष्ट भविष्यवाणी करना संभव नहीं है । इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए बढ़ती वृद्धि की भविष्यवाणी की जा सकती है क्योंकि इस स्थिति में बहुत सी अतिसूक्ष्मताएं है । के रि पु ब में वृद्धि समय - समय पर कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी " ।

1.7 हथियार तथा गोलाबारुद

(क) **सामान्य:** हथियारों, गोलाबारुद एवं विस्फोटकों की अधिप्राप्ति, केन्द्रीय सुरक्षा बल (के सु ब) को भेजी गई पूर्वानुमानित तथा निश्चित मांगों के आधार पर की जाती है, जो सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों के संबंध में मांगों को समेकित करता है तथा इन्हें मंत्रालय को भेजता है । मंत्रालय इन मांगों की आवश्यक छानबीन करने के बाद, केन्द्रीय आयुध डिपो/आयुध कारखानों के माध्यम से आपूर्ति को जारी करने हेतु इन मांगों को रक्षा मंत्रालय को भेज देता है ।

पूर्वानुमानित मांग सामान्यत: दो वर्ष अग्रिम में तथा निश्चित मांग एक वर्ष अग्रिम में की गई थी । 1989-90 से पूर्वानुमानित मांग चार वर्षों में एक बार की जानी थी ।

(ख) **बल स्तर का अनुमोदन तथा हथियारों**

का रोका जाना: निम्न सारिणी 1986 से 1989 वर्षों हेतु अनुमोदन एवं हथियारों की कुछ मदों को रोके जाने को जिनमें भारी अधिक्य/कमियां हैं, को दर्शाती है:-

वर्णन	वर्ष	प्रतिशतता आधिक्य /कमी (-)
(क) राइफल	1987	11
7.62 मि.मी.	1988	15
एस.एल./बी.ए.	1989	11
(ख) पिस्तौल	1986	(-)11
9 मि.मी.	1987	(-)12
	1988	(-)12
(ग) सी एम स्टेनगन 9 मि मी	1988	14
एस ए एफ कारबाइन	1989	17
(घ) पिस्तौल	1986	(-)29
सिगनल-।"	1987	(-)30
	1988	(-)30
	1989	(-)38
(ड़) राइफल न.।	1989	(-)12
एम के ।।।		
जी एफ/ प्रोजेक्टर, ग्रेनेड		

एस एल= सैल्फ लोडिंग, बी ए = बोल्ट एक्शन, एस ए एफ = सेमी आटोमेटिक फायर, जी एफ= ग्रेनेड फायर, एम के= मेक, सी एम=कार्बाइन मशीन ।

(क) तथा (ग) के मामलों में बल स्तर के अनुमोदन में अधिकता 11 से 17 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी तथा(ख) और (घ) के मामले में कमी 11 से 38 के बीच थी ।

के रि पु ब ने अगस्त 1989 में बताया कि राइफलों का अधिक रोका जाना, (i) प्रशिक्षण उद्देश्यों हेतु बोल्ट एक्शन राइफलों (बो ए रा) के अतिरिक्त, प्रत्येक बटालियन/ग्रुप केन्द्र को सैल्फ लोडिंग राइफलों (सै लो रा) का जारी होने, (ii) रंगरुटों के प्रशिक्षण तथा सेवा प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को एस एल आर के सीमित संख्या में जारी होने तथा (iii) पुलिस कार्यवाही के लिए बो. ए.रा. के अतिरिक्त् पंजाब स्थित यूनिटों को सै. लो.रा. के जारी होने, के कारण था यह समझ में नहीं आता है कि प्रशिक्षण आवश्यकता को ध्यान में रखने के पश्चात, बल स्तरीय अनुमोदन निर्धारित क्यों नहीं किया जा सका था । के रि पु ब ने स्टेनगनों/एस ए एफ कारबाईनों की अधिकता पुरानी स्टेनगनों पर आरोपित की जो कि एस ए एफ कारबाईन द्वारा बदली जानी अपेक्षित थी। मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में इस प्रकार बताया, " 7.62 मि.मी. राईफल (बोल्ट एक्शन), स्टेन मशीन 9 मि.मी. (क) तथा (ग) में जैसी उल्लिखित थी, का फालतू पड़ा रहना, (i) आवश्यकता तथा हकदारी के अनुसार, सै.लो.रा. तथा कारबाईन मशीनें एस ए एफ की अनुपलब्धता, (ii) पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में के रि पु ब इकाईयों की आवश्यकता तथा (iii)के रि पु ब की नियमित बढ़ौतरी के कारण हैं । तथापि के रि पु ब को सै.लो.रा. तथा कारबाईनों की उनके पास उपलब्धता हो जाने पर फालतू बोल्ट एक्शन 7.62 मि.मी. राईफलों तथा पुरानी स्टेनगनों को वापिस करने को कहा गया है। स्टेनें तथा 7.62 मि.मी. राईफलें (बी ए) के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र पुलिस बलों की तत्काल आवश्यकताएं के रि पु ब से फालतू हथियारों को अपवर्तित करके भी पूरी की जा रही है" ।

(ग) हथियारों की मांग एवं आपूर्तिः

1984-85 तथा 1989-90 के बीच की अवधि हेतु, के रि पु ब द्वारा प्रक्षेपित मांग तथा हथियारों की आपूर्ति को दशति हुए एक विवरण नीचे दिया गया है:-

नामावली	मांगी गई मात्रा	आपूर्त मात्रा	कमी	कमी की प्रतिशतता
पिस्तौल-ब्राउनिंग 9 मि.मी.1ए/एफ एन/एच.पी.	2,761	900	1,861	67
पिस्तौल सिगनल 1"/प्रोजेक्टर मिनिफ्लेयर 1ए (पिस्तौल सिगनल 1" के बदले)	301	21	280	93
गनमशीन 7.62 मि.मी. 1 ए./1 बी/1 सी, अतिरिक्त बैरल सहित	1,916	237	1,679	88
कारबाइन मशीन 9 मि.मी. 1 ए. एस.ए.एफ.	2,600	129	2,471	95
प्रोजेक्टर ग्रेनेड 1ए	734	70	664	90
प्रोजेक्टर ग्रेनेड	800	-	800	100
गन मशीन 762 मि.मी. (एल.एम.जी.)				
ड्रिल/प्रैक्टिस	250	-	250	100

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में इस प्रकार बताया, "थल-सेना में भी हथियारों की कमी की दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय/थल-सेना मुख्यालय से हथियारों एवं गोलाबारुद के आबंटन हमारी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त नहीं हुए थे । गृ.मं. द्वारा अधिकतम संख्या में हथियारों के निर्गमों को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्न किये गये थे तथा उनके प्राधिकरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार के.रि.पु.ब. को जारी किये गये थे" ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में स्पष्ट किया कि कुछ पुरानी प्रकार की स्टेनगनों को कार्बाइन मशीन 9 मि.मी. 1 ए एस ए एफ से बदलना है ।

(घ) **गोलाबारुद तथा विस्फोटक:** वास्तव में नियंत्रण में रखे हुओं की तुलना में गोलाबारुद तथा विस्फोटकों की कुछ मदों में कमी की प्रतिशतता 51 से 100 प्रतिशत के आसपास थी ।

कुछ गोला बारुद तथा विस्फोटकों की मांग तथा आपूर्ति के बीच कमी 36 से 100 प्रतिशत के आसपास थी । के.रि.पु.ब. ने जुलाई 1989 में आपूर्ति में कमी को, मुख्यतः आयुध फैक्टरियों की अपर्याप्त उत्पादन क्षमता पर आरोपित किया । एक विशिष्ट लेखा परीक्षा पूछताछ पर कि के.रि.पु.ब. हथियारों एवं गोलाबारुद के संबंध में कमियों को किस प्रकार पूरा कर रहा था, तो के.रि.पु.ब. ने जुलाई 1989 में बताया कि कमियां उनके आरक्षित भंडार के प्रयोग द्वारा पूरी की जाती थीं । के.रि.पु.ब. ने आगे बताया कि आपूर्ति में कमी ने, बल की कार्यक्षमता एवं प्रभावी संचालन को प्रभावित करने के अलावा अधिकतर प्रशिक्षण एवं निशानेबाजी अभ्यास को प्रभावित किया था ।

(ड.) **हथियारों की गुणवत्ता में उत्थान:** 1981 तथा 1988 के बीच के.रि.पु.ब. ने मंत्रालय को, हथियारों को उन्नतशील बनाते हुए उनके बदलाव की आवश्यकता को प्रक्षेपित किया । मंत्रालय ने या तो के.रि.पु.ब. के कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावों से सहमति प्रगट नहीं की अथवा कुछ विशिष्ट मामलों में, उनके, द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आधुनिक हथियार आपूर्त किये । अप्रैल 1989 में मंत्रालय को भेजे गये एक नोट में के.रि.पु.ब. ने इंगित किया कि पुलिस का मूल हथियार, बोल्ट एक्शन राइफल बनी रही जो कि परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जिनमें इस समय बल कार्य कर रही थी, बहुत अधिक पर्याप्त थी, तथा बल द्वारा रखी गई वर्तमान स्टेनगनों में से बहुत सी पुरानी तथा अप्रचलित भी थीं । पुनः, अक्सर के.रि.पु.ब. में बहुत से स्थानों में खंड की आधी क्षमता नियुक्त की जा रही थी । वर्तमान अनुमोदन के अनुसार, प्रति खंड केवल एक स्टेनगन उपलब्ध थी । अतः जब नियुक्ति आधी खंड क्षमता में की जाती थी तो आधे खंड को किसी नजदीक से छोड़े जाने वाले हथियार के बिना ही कर्तव्यपालन करना पड़ता था संचालित स्तर पर नियुक्त कुछ बटालियनों को

छोड़कर, के.रि.पु.ब. यूनिट को प्रति प्लाटून केवल एक हल्की मशीनगन प्राधिकृत की गई थी जो कि के.रि.पु.ब. के अनुसार अपर्याप्त थी । अतः के.रि.पु.ब. ने हथियार बढ़ाने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव किये । के.रि.पु.ब. ने इसका, 39.24 करोड़ रु., जिसमें 300 स्निपर राइफलों की खरीद शामिल थी, के वित्तीय प्रभाव सहित अगस्त 1989 में नये प्रक्षेपण के साथ अनुसरण किया ।

सितम्बर 1989 में, मंत्रालय, वर्तमान स्तर पर उन्नत हथियार की आपूर्ति करने को सहमत हो गया । स्निपर राइफलों के संबंध में यह निश्चित किया गया कि आवश्यकता को मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत किया जा सकता था; इसे फरवरी 1990 तक नहीं किया गया था । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि अतिरिक्त हथियारों तथा पैमाने इत्यादि को उन्नत करने के लिए के.रि.पु.ब. की मांग का उन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया गया था तथा मोचन, हथियारों की उपलब्धता, बल की वास्तविक तैनाती/आवश्यकताओं तथा कानून और व्यवस्था दृश्य-विधान इत्यादि पर निर्भर करते, किया गया था । स्निपर राईफल के लिए के.रि.पु.ब. की मांग के सम्बन्ध में अंतिम पर्यावलोकन अभी किया जाना था ।

1.8 दूर संचार

(क) **सामान्यः** के.रि.पु.ब. का सिगनल ढांचा, महानिदेशक के स्टाफ अधिकारी के उसके कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सिगनल रेंज के उप-महानिरीक्षक के रुप में उप-निदेशक (संचार) के साथ सिगनल रेंज के रुप में गठित है । रेंज में, नई दिल्ली, हैदराबाद, मोहाली, नीमच तथा रामपुर में स्थित बटालियन मुख्यालयों सहित पांच सिगनल बटालियन शामिल हैं । सिगनल ग्रुप केन्द्र एवं सिगनल प्रशिक्षण महाविद्यालय (दूर संचार) रांची में स्थित है ।

(ख) **सिगनल प्रशिक्षण में कमीः-** केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज (दूर संचार) ने, के रि पु ब के सिगनल ग्रुप के विभिन्न वर्गों, जैसे कि प्रत्यक्ष रंगरुटों के लिये प्रवेश पश्चात मूल प्रशिक्षण, सेवा दौरान प्रशिक्षण आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया ।

1984 से 1989 तक कालेज द्वारा संचालित किये गये 27 पाठ्यक्रमों की एक नमूना जांच ने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता की 15 से 24 प्रतिशत की कमियों को उजागर किया । मई 1989 में, के रि पु ब ने बताया कि कमी, मुख्यतयाः प्रार्थियों की पाठ्यक्रम में उपस्थिति की अनिच्छुकता, बीमारी, अत्यावश्यक घरेलू प्रतिबद्धताओं इत्यादि के कारण थी ।

इसके अतिरिक्त, चार पाठ्यक्रम जो कि प्रारंभ होने के लिए योजनाबद्ध तथा अनुमोदित किये गये थे (1984 से 1987 तक प्रत्येक वर्ष में एक), वास्तविक रुप से प्रारंभ नहीं किये गये थे ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि तैयार की गई नई बटालियनों के लिए अतिरिक्त मूल पाठ्यक्रम चलाने हेतु चार पाठ्क्रम रद्द करने पड़े थे ।

(ग) चक्रीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण में कमी: अनुदेशों के अनुसार, एक पंचाग वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष प्रति बटालियन कम से कम 200 नायक अथवा रेडियो संचालकों को चक्रीय प्रशिक्षण कराया जाना था । 1984 से 1989 तक रेडियों संचालकों को दिये गये पुनश्चर्या प्रशिक्षण ने प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में कमी को 23 से 43 प्रतिशत तक दर्शाया ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कमी मुख्यतया: इस कारण हुई कि अंतिम क्षण में कुछ कार्मिकों ने अनिच्छुकता प्रकट की तथा परिचालन बचनबद्धता के कारण इकाईयों द्वारा कुछ कार्मिकों को छोड़ा नहीं जा सका था ।

(घ) भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड से उच्च आवृति उपकरणों की अप्राप्ति: जैसा कि सिगनल नियमावली में निर्धारित किया गया सभी उच्च आवृति (उ आ) रेडियों उपकरण, उपसाधन तथा हिस्से पुर्जो निदेशक समन्वय, पुलिस बेतार (नि स पु बे) के माध्यम से भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (भा.इ.लि.) से प्राप्त किये जाने होते हैं।

जनवरी 1986 तथा नवम्बर 1988 के बीच मंगवाये गये 532 उपकरण जो मार्च 1990, तक प्रदान किये जाने थे की संख्या के प्रति, अगस्त 1990 तक 1.30 करोड़ रुपये मूल्य के 201 उपकरण प्राप्त नहीं किये गये थे । आपूर्ति में कमी 38 प्रतिशत हुई ।

के.रि.पु.ब. ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कमी, संभवत: सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों, अन्य संगठनों तथा रक्षा इत्यादि की मांगों को पूरा करने के लिए फर्म की बचनबद्धताओं पर आरोपित की गई थी ।

के.रि.पु.ब. ने जून 1990 में यह भी बताया कि उपकरणों की अनुपस्थिति में वह उन उपकरणों को उपयोग करने के लिये बाध्य थी जिनकी उपयोगिता की जीवन अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कार्यभार से निपटने हेतु विद्यमान उपस्कर आवश्यक मरम्मत के पश्चात प्रयोग किये गये थे ।

(ड़) के.रि.पु.ब. में सिगनल/दूर-संचार का आधुनिकीकरण: संचार हेतु आधुनिकीकरण योजना के अंश के रुप में के.रि.पु.ब. ने पुराने उपकरणों को, नए उपकरणों के द्वारा चरणों में बदलना था । नि.स.पु.बे. के अनुरोध पर, के.रि.पु.ब. ने सितम्बर 1985 तथा दिसम्बर 1987 में नि.स.पु.बे. को सिगनल संचार हेतु दो आधुनिकीकरण योजनाएं भेजीं । योजनाएं के.रि.पु.ब. के पास उपलब्ध निधियों को मध्य नजर रखते हुए बनाई गई थी ।

के.रि.पु.ब. ने किसी अनुवर्ती कार्यवाही

का प्रबोधन नहीं किया था कि क्या नि.स.पु.बे. को भेजी गई योजनाएं अनुमोदित हुई थीं अथवा नहीं । तथापि, यह देखा गया था कि 1985-86 से 1989-90 के दौरान निम्न सारणी के अनुसार सम्मिलित की गई मात्रा, मांग की गई मात्रा से काफी कम पड़ गई थी :

वर्ष	उपकरण मदों की संख्या	सम्मिलित किए जाने वाले उपकरणों की मात्रा	वास्तव में सम्मिलित की गई मात्रा	कमी	कमी की प्रतिशतता
1985-86	4	347	76	271	78
1986-87	6	876	411	465	53
1987-88	3	73	22	51	70
1988-89	4	646	377	269	42
1989-90	15	862	597	265	31

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि बजटीय रुकावटों तथा उपकरणों की उपलब्धता की शर्त पर आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित की जा रही थी ।

1.9 प्रशिक्षण

(क) सामान्य: के.रि.पु.ब. अधिकारियों एवं व्यक्तियों को प्रशिक्षण मुख्यत: आन्तरिक सुरक्षा अकादमी, माउंटआबू (आ.सु.अ.), केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (के.प्र.म.) आवड़ी तथा नीमच, आवड़ी, नीमच तथा पालीपुरम स्थित रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों (र.प्र.के.), बटालियनों, ग्रुप केन्द्रों तथा कार्यशालाओं, में देता है ।

आगामी वर्ष के दौरान आयोजित किए गए प्रत्येक संवर्ग/पाठ्यक्रम की अवधि एवं क्षमता को दशति हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूर्वसूचना साधारणत: पंचाग वर्ष के एक माह अग्रिम में जारी की जाती है । अधिकारी बोर्ड द्वारा सभी मनोनीत तथा आरक्षितों की, बटालियन स्तर पर, पाठ्यक्रम पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षा ली जाती है तथा केवल वो जो परीक्षा में पास हो जाते हैं पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं ।

1984 से 1988 तक आयोजित किये गये 245 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से के.रि.पु.ब. 32 पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं कर सका । वर्ष

1986 के दौरान को छोड़कर जब यह 9 प्रतिशत थी, वर्षों के दौरान कमी 15 प्रतिशत थी । के.रि.पु.ब. ने जुलाई 1989 में बताया कि जब उन्नयन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता पैदा हुई, तो ये पाठ्यक्रम साधारणतया स्थगित कर दिये गये थे । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा आदेशित भारी संचलनात्मक बचनबद्धताओं तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के कारण ये विलंबित हुए थे ।

1984 से 1989 वर्षो के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की नमूना जांच ने प्रशिक्षण क्षमता की उपयोगिता में अत्यधिक कमी को दर्शाया: आंतरिक सुरक्षा अकादमी के मामले में 11 से 42 प्रतिशत, केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-1, नीमच के मामले में 21 से 45 प्रतिशत तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-II, आवड़ी के मामले में 21 से 46 प्रतिशत । के.रि.पु.ब. ने कमियां, (i) संबंधित ग्रुप केन्द्रों द्वारा आबंटित सीटों के उपयोग न किये जाने (ii) राज्य सरकारों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा सेवा की आवश्यकता के कारण विलम्ब नामांकन/रद्द किये जाने तथा (iii) प्रचालनात्मक बचनबद्धताओं, पर आरोपित कीं । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे कि नामजद, पाठ्यक्रम में सम्मिलित हों

कोई बाह्य मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान नहीं थी। केरिपु ब ने बताया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों से पुनर्निवेशन के आधार पर मुल्यांकन किया जा रहा था ।

(ख) **रंगरुट प्रशिक्षण:** तीन र प्र के (1986 तक दो) में प्रत्येक की प्रशिक्षण क्षमता 1215 रंगरूट है । परिणामस्वरुप, 1984 से 1989 तक प्रशिक्षित किए जाने वाले 44,186 रंगरुटों में से, के रि पु ब, तीन रं प्र के में केवल 18,461 को प्रशिक्षित कर सका । शेष 25,725 रंगरुट के रि पु ब द्वारा बटालियन तथा ग्रुप केन्द्रों में प्रशिक्षित किए बताए गए थे ।

लेखापरीक्षा की विशेष पूछताछ पर कि क्या केन्द्रों के पास पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी तथा प्रशिक्षण सहायक थे तथा क्या बटालियन/ग्रुप केन्द्रों में प्रशिक्षित किए गए रंगरुटों के स्तर अपेक्षित परिणाम के थे, के रि पु ब ने अक्तूबर 1989 में बताया कि प्रशिक्षण संतोषजनक था । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए थे कि जब कभी नई बनाई गई बटालियनों को ग्रुप केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता था, यह र प्र के द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के समान था ।

(ग) **चक्रीय प्रशिक्षण:** मंत्रालय के साथ परामर्श के पश्चात के रि पु ब ने जनवरी 1977 में, के रि पु ब बटालियन में केवल पांच कम्पनियों के लगाने का निर्णय लिया तथा छठी कम्पनी , बटालियन मुख्यालय पर प्रशिक्षण आरक्षण के तौर पर रखी जानी थी । इस कम्पनी को आठ सप्ताह

की अवधि के चक्रीय प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना था । प्रशिक्षण, मनोबल तथा इसकी व्यावसायिक कुशलता को उन्नत करने के लिए आवश्यक था ।

1980 से 1989 के दौरान, के रि पु ब 4572 कम्पनियों में से 3810 कम्पनियों को चक्रीय प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका था । कमी जो 1982 में 58 प्रतिशत थी, 1983 से 1989 के दौरान 84 तथा 99 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में कमी का कारण विभिन्न परिचालन कर्त्तव्यों के लिए अत्यधिक बल की नियुक्ति पर आरोपित किया ।

के रि पु ब के अनुसार (फरवरी 1986) निरन्तर लम्बी अवधि की तैनाती ने बल के आरक्षित स्वरुप को समाप्त कर दिया था । तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता के परिणामस्वरुप प्रशिक्षण का आगे अवकुशलन हुआ था जिससे इस का बुरा प्रभाव न केवल बल की कार्यकुशलता तथा मनोबल पर वरन इसके अनुशासन तथा सामान्य प्रभावोत्पादकता पर भी पड़ा था ।

मंत्रालय ने 1988 में बल की संख्या में वृद्धि करने तथा वार्षिक चक्रीय प्रशिक्षण कराने के लिए कम्पनियों की नियुक्ति को सुलभ करने के लिए 10 और बटालियनें संस्वीकृत की थीं । नई बटालियनें मूल प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त मार्च 1989 से कार्यात्मक हुई थीं ; अप्रैल-दिसम्बर 1989 के दौरान बल की तैनात 300 कम्पनियों को प्रत्येक 8 सप्ताह के उनके चक्रीय प्रशिक्षण के लिए छोड़ा जा सकता था । तथापि, 558 कम्पनियों की संख्या में से 1989 के दौरान, केवल 117 कम्पनियों ने ही अपने वार्षिक चक्रीय प्रशिक्षण को पूरा किया था । के रि पु ब ने जनवरी 1990 में बताया कि मंत्रालय से बल की तैनाती की समीक्षा तथा सभी कम्पनियों को संचालन कर्त्तव्यों से शीघ्रातिशीघ्र विमुक्त करने के प्रबंध करने के लिए सम्पर्क किया गया था ताकि सभी के रि पु ब की बटालियनों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण बारी बारी से दिया जा सके ।

(घ) वार्षिक फाइरिंग रेंज वर्गीकरण-प्रशिक्षण सुविधाओं में कमी : के रि पु ब राईफल, स्टेनगन, पिस्तौल तथा हल्की मशीन गन जैसे हथियारों के साथ वार्षिक फाईरिंग रेंज वर्गीकरण संचालित करता है । कार्मिकों को एक वर्ष में दो बार फाईरिंग वर्गीकरण करना अपेक्षित है । प्रत्येक बटालियन के कार्मिक, जहां कहीं भी तैनात किए जाते हैं वहां फाईरिंग का अभ्यास करते हैं । ये अभ्यास के रि पु ब ईकाईयों को प्राधिकृत गोलाबारुद की सीमा में किए जाते हैं ।

के रि पु ब के पास केवल दिल्ली स्थित ग्रुप केन्द्र पर एक कम दूरी की फाईरिंग थी । ग्रुप केन्द्र-II, अजमेर, परिसर के समीप उपलब्ध तात्कालिक फाईरिंग रेंज का प्रयोग कर रहा था । ग्रुप केन्द्र, दीमापुर के पास एक अस्थाई लम्बी

फाईरिंग रेंज थी । किसी भी ग्रुप केन्द्र के पास कोई भी लम्बी रेंज फाईरिंग नहीं थी ।

फाईरिंग रेंज की अनुपलब्धता के कारण, के रि पु ब कार्मिकों को राज्य पुलिस अथवा सेना प्राधिकारियों, जो कि, के रि पु ब के अनुसार, साधारणतः आवश्यक समय के लिए अपनी रेंजें उपलब्ध नहीं कराते थे, की रेंजों पर जाने के लिए लम्बी दूरियां तय करनी पड़ती थी । इस तरह कार्मिकों को फार्इरिंग हथियारों के संचालन का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

के रि पु ब में फार्इरिंग रेंजों की अविद्यमानता के रि पु ब द्वारा एक मुख्य बाधा समझी गयी थी जिसने क्षेत्र में कार्यवाही करते समय बल की कार्यकुशलता को बुरी तरह प्रभावित किया था ।

लेखापरीक्षा की पूछताछ पर कि क्या कोई प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान थी, कि दिया गया प्रशिक्षण पर्याप्त था, के रि पु ब ने अगस्त 1989 में बताया कि मामला तकनीकी प्रकृति का था तथा मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करना कठिन था ।

(ड.) प्रशिक्षण सहायक सामग्री की खरीद : मंत्रालय ने 1974 में केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भंडारों, उपकरणों, फर्नीचर तथा प्रशिक्षण सहायकों की विभिन्न मदों के मान अनुमोदित किए थे ।

के रि पु ब ने, जनवरी 1988 में प्रथम बार, मंत्रालय को 50.23 लाख रुपये राशि के आधुनिक प्रशिक्षण सहायकों का एक संशोधन/अन्तर्वेशन प्रस्तावित किया । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि यह विचाराधीन था।

(च) आ सु अ, रं प्र के तथा के प्र म का पुनर्गठन : जब से केन्द्र स्थापित किए गए थे, तथा प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के बिना प्रत्येक पाठ्यक्रम की क्षमता में परिवर्तन हुआ था, के रि पु ब, आ सु अ, रं प्र के तथा के.प्र.म. से कर्मचारियों की कमी अनुभव कर रहा था क्योंकि बल में बड़े परिमाण में वृद्धि हुई थी ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि यह उनके विचाराधीन था ।

1.10 मोटर परिवहन

(क) के रि पु ब के पास (अगस्त 1990) 4448 वाहनों का एक बेड़ा था जिसमें 2068 भारी, 943 मध्यम, 1121 हल्के वाहन तथा 316 मोटर साईकलें सम्मिलित थी । वाहनों का अनुमोदन मंत्रालय द्वारा 1974 में परिकलित मान के अनुसार है ।

1987 से 1990 के दौरान भारी वाहनों के मामले में वाहनों की कमी, 13 प्रतिशत, मध्यम वाहनों हेतु 14 तथा 22 प्रतिशत हल्के वाहनों हेतु 14 प्रतिशत तक और मोटरसाईकलों के मामले में 6 से 18 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी । के रि पु ब

ने नवम्बर 1989 में बताया कि धारण में कमी मुख्यतः निधियों के अभाव के कारण थी ।

सभी वाहन मुख्यालय पर यह ध्यान किए बिना प्राप्त होते हैं कि क्या संरचना अपेक्षित है अथवा नहीं । उन वाहनों के संबंध में जिनके लिए संरचना आवश्यक है, महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) निविदाएं मंगवाता है तथा संरचना की समाप्ति के पश्चात,वाहन केरिपुब द्वारा इकाईयों को प्रेषित किए जाते हैं । उन वाहनों के संबंध में जिनके ढांचें के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी मुख्यालय से इकाईयों को प्रेषित कर दिए जाते हैं ।

1984-85 से 1989-90 के दौरान, के रि पु ब ने निर्माण हेतु 2385.90 लाख रुपये की लागत के 1122 चैसिज जारी किए थे । इन में से 1627.06 लाख रुपये लागत के 752 चैसिज तीन महीनों के अंदर जारी किए गए थे जबकि शेष मामलों में, लिया गया समय तीन तथा छः मास (240 चैसिजः लागत 480.62 लाख रुपये) और छः मास से अधिक (130 चैसिजः लागत 278.22 लाख रुपये) का था । ढांचा निर्माण के लिए चैसिजों को जारी करने में विलम्ब् के फलस्वरुप निधियों का अवरोधन हुआ था ।

के रि पु ब ने नवम्बर 1989 में बताया कि संरचना हेतु चैसिजें, ढांचा निर्माणकर्त्ताओं को, निविदा की स्वीकृति की शर्त के अनुसार तथा फर्म द्वारा मुहैया कराई गई बैंक गारंटियों के आधार पर, दी गई थीं । के रि पु ब ने दिसम्बर 1989 में यह भी बताया कि म नि आ नि के माध्यम से फर्मों द्वारा जो कार्य कराया गया था उस पर कोई अर्थपूर्ण नियंत्रण करना व्यवहारिक रुप से संभव नहीं था । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि चैसिजों की खण्डशः अधिप्राप्ति व्यवहार्य नहीं थी ।

(ख) चालकों को प्रशिक्षण : के रि पु ब के पास चालकों की संस्वीकृत संख्या 6834 थी (नवम्बर 1989) । चालकों को प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज-I में एक प्रभाग द्वारा दिया जा रहा है ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली ने के रि पु ब के चालकों का 1977 में एक नमूना अध्ययन आयोजित किया था तथा 100 चालकों की जांच की थी । अपनी सिफारिशों में उसने कहा था कि के रि पु ब के चालकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा उपचारी प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

यह देखा गया था कि 1983 से 1989 तक केरिपुब का बेड़ा 803 दुर्घटनाओं में अंतग्रस्त था जिसकी परिणति 45 केरिपुब के व्यक्तियों के मरने तथा 973 व्यक्तियों के घायल होने तथा 56 नागरिकों के मरने तथा 313 के घायल होने में हुई

फरवरी 1986 में के रि पु ब ने मंत्रालय को सूचित किया कि यद्यपि कुछ ग्रुप केन्द्रों में चालक व मकेनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की

व्यवस्था की गई थी, नियमित स्टाफ व वाहनों के अभाव में, दिए गए प्रशिक्षण न केवल सीमित बल्कि कई अर्थों में त्रुटिपूर्ण थे । इस लिए, इसने एक मोटर प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया । मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव मई 1986 में वित्तीय प्रतिबंधों के कारण स्वीकार नहीं किया गया था । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि मोटर प्रशिक्षण स्कूल चालू करने का प्रस्ताव परीक्षाधीन था ।

1.11 शांति स्थापना घटक

मंत्रालय ने, नवम्बर 1980 तथा अप्रैल 1983 में के रि पु ब के लिए, साम्प्रदायिक दंगों तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को, घायलों को चिकित्सा सुविधा देकर, आग बुझाकर, छोटे शिविरों व झोपड़ियों के निर्माण तथा भोजन की व्यवस्था तथा रसोईघर चलाये जाने द्वारा, राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए, 244 व्यक्तियों वाले 6 शांति स्थापना घटक(शां.स्था.घ.) संस्वीकृत किए थे । इसके अतिरिक्त अप्रैल 1983 में 11 व्यक्ति प्रशासन कार्य की देखरेख के लिए मुहैया कराये गये थे । इस प्रकार, शां स्था घ की कुल संस्वीकृत संख्या 1475 आंकी गई थी । इनको सामान्य बटालियनों से हटाकर दिल्ली, दीमापुर, गांधीनगर, गोहाटी, हैदराबाद तथा पिंजौर ग्रुप केन्द्रों से संलग्न कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने शां स्था घ के लिए 3.24 करोड़ रुपये की लागत पर (66 वाहन प्रति शां स्था घ) 396 वाहन उपलब्ध कराये । मंत्रालय के अनुसार (अक्तूबर 1990) के रि पु ब के 1981-82 से 1988-89 तक 9.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे ।

के रि पु ब के वरिष्ठ कार्यकर्त्ताओं की समिति ने मई 1987 में यह अवलोकन किया कि, केवल पायनियर घटक तथा किसी सीमा तक, शां स्था घ की चिकित्सा प्लाटून का ही कुछ अवसरों पर उपयोग किया गया था । यह विचार व्यक्त किया गया कि सम्पूर्ण शां स्था घ राज्य अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी भार था तथा केवल पायनियर घटक और चिकित्सा प्लाटून तथा उनके गमन के लिए कुछ वाहनों तथा थोड़े से प्रशासनिक स्टाफ को बनाये रखे जाने की आवश्यकता थी । इस प्रकार 9.53 करोड़ रुपये का व्यय अधिकांश अनुत्पादक सिद्ध हुआ ।

मंत्रालय ने शां स्था घ के 1475 पदों में से 1044 पदों को (88 पद दिसम्बर 1987 में, 137 पद जुलाई 1989 में, 811 पद मई 1990 में तथा 8 पद अक्तूबर 1990 में) समाप्त कर दिया था इसी प्रकार 396 वाहनों के कुल बेड़े में से केवल 30 वाहनों को बनाये रखा जाना था तथा नियमित के रि पु ब बटालियन की आवश्यकताओं के प्रति, बाकी 366 वाहनों के समायोजन पर विचार किया जा रहा था । के रि पु ब द्वारा 1989-90 में 1044 पदों व 366 वाहनों के

समर्पण द्वारा वित्तीय प्रभाव को लगभग 4.95 करोड़ रुपये के आसपास आंका गया था : आवर्ती 2.08 करोड़ रुपये अनावर्ती, 2.87 करोड़ रुपये ।

1.12 निर्माण कार्य

के रि पु ब के निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) के माध्यम से निष्पादित किए गए थे ।

(क) बजट प्रावधान तथा व्यय : 1984-85 से 1988-89 के दौरान के रि पु ब के लिए भवन के निर्माण हेतु 2032.30 लाख रुपये के बजट प्रावधान के प्रति 1785.40 लाख रुपये का व्यय किया गया था , परिणामस्वरुप 246.90 लाख रुपये का कम उपयोग हुआ । के.रि.पु.ब. द्वारा इसे कई निर्माण कार्यों के असमापन पर आरोपित किया गया था ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में स्वीकार किया कि के रि पु ब में आवास की काफी कमी थी। अतः के रि पु ब की विभिन्न अवस्थितियों/स्टेशनों पर कमी को पूरा करने के लिए आवास के निर्माण की योजना की गई थी । बजट की आवश्यकताएं दर्शाई गई थीं । तथापि, निधियों का आबंटन आवश्यकतानुसार, प्राप्त नहीं हुआ था । उपलब्ध निधियां सामान्यतया मूलरुप से नियोजित निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त की गई थीं ।

(ख) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगतिः नवम्बर 1987 से, संस्वीकृति की तारीख तथा राशि, प्रत्यक्ष प्रगति तथा पूर्ण होने की सम्भावित तारीख से संबंधित सूचना देते हुए, के रि पु ब में, देश भर में के लो नि वि को सौंपे गए सभी के रि पु ब निर्माण कार्यों के लिए समेकित प्रगति रिपोर्ट, प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी । तथापि, निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख, के रि पु ब को पूर्ण किए हुए निर्माण कार्य सौंपने की नियत तथा वास्तविक तारीख से संबंधित सूचना नहीं भेजी गई थी । मार्च 1990 को समाप्त रिपोर्ट के पठन ने प्रकट किया कि 1976-77 से 1987-88 के दौरान संस्वीकृत दस निर्माण कार्य अभी भी निम्नवत प्रगति में थे:

वर्ष	90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण		80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण		40 प्रतिशत से अधिक पूर्ण		जोड़	
	सं.	लागत	सं.	लागत	सं.	लागत	सं.	लागत
				(लागत लाख रुपयों में)				
1978-79	1	275.20	1	275.20	1	116.40	3	666.80
1983-84	1	13.20					1	13.20
1984-85	1	21.90					1	21.90
1986-87	1	19.20					1	19.20
1987-88	2	33.50	2	31.92			4	65.42
	6	363.00	3	307.12	1	116.40	10	786.52

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कार्यों की धीमी प्रगति पर आवधिक बैठकों में गौर किया गया था । मंत्रालय ने यह भी बताया कि 1988-89 तक के रि पु ब का निर्माण कार्य बजट, के लो नि वि द्वारा नियंत्रित था तथा आबंटन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था । निर्माण कार्य के लो नि वि द्वारा किया गया था जिसने उसका प्रबोधन भी किया था तथा निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । अब बजट मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया गया था तथा प्रगति का प्रबोधन उसी द्वारा किया जाता है ।

(ग) **ग्रुप केन्द्र, झड़ोदा कलां में भवनों का त्रुटिपूर्ण निर्माण:** झड़ोदा कलां, दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों में त्रुटियों के संबंध में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 संघ सरकार सिविल के अग्रिम प्रतिवेदन के पैराग्राफ 17 में एक उल्लेख किया गया था । 1970-77 के दौरान भवन, के लो नि वि के माध्यम से 2.37 करोड़ रुपये की लागत पर बनवाये गये थे । पक्के निर्मित भवन की सामान्य समयावधि 80 से 100 वर्षों तक के लिए होती है

1979 में, इन भवनों में से अधिकतर में भारी त्रुटियां उत्पन्न हो गई थी तथा परिणामतः आवास के लिए असुरक्षित घोषित कर दिए गए थे ।

नवम्बर 1983 में, के लो नि वि द्वारा मामला. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (के भ अ सं) को उनके विशेषज्ञ अभिमत तथा सभी भवनों के लिए विस्तृत अन्वेषण करने के लिए, भेजा गया था । नमूने के तौर पर, के भ अ सं ने चार भवनों का अन्वेषण किया । नवम्बर 1984 में प्रस्तुत की गई के भ अ सं की रिपोर्ट के अनुसार, भवनों के ह्रास का मुख्य कारण, अवयवों के सुदृढ़ीकरण में व्यापक संरक्षण के परिणामस्वरुप आर सी सी अवयवों में गहन भंजन था । सुदृढ़ीकरण में संक्षारण का श्रेय हानिकारक लवणों वाले खारे पानी को दिया गया था । के भ अ सं ने यह भी बताया कि विभिन्न भवनों में उपचारात्मक अभिक्रिया करने से समयावधि लगभग 10 से 15 वर्षों तक अवश्य बढ़ सकती थी।

के लो नि वि ने निजी उत्तरदायित्व इस तर्क पर नियत नहीं किया था कि यद्यपि, अभियांत्रिक कर्मचारी वर्ग खारे पानी के दुष्प्रभाव से अवगत था, उस क्षेत्र में अन्य स्रोत उपलब्ध न होने से, जब मूलरुप से निर्माण कार्य आरंभ किया गया, तो उपलब्ध नलकूप- जल प्रयुक्त किया गया था, तथा मिट्टी में तथा अन्य पर्यावरण में बाह्य लवणता, परिसर में पेय जल की अत्यधिक कमी के कारण आपूर्त तथा घरेलु उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त खारे पानी द्वारा फर्शों के निरंतर गीले रहने इत्यादि के कारण दुष्प्रभाव में वृद्धि हुई थी ।

के रि पु ब ने अगस्त 1988 में मंत्रालय को सूचित किया कि के लो नि वि ने पुनः मामले की जांच की तथा झड़ोदा कलां में सात भवन (मूल्य 36.98 लाख रुपये तथा 1972-73 तथा 1973-74 के बीच निर्मित) असुरक्षित तथा मरम्मत के बाहर घोषित कर दिए । तोड़ने पर इन ढांचों से 4.44 लाख रुपये मूल्य की सामग्री प्राप्त होगी ।

1988-89 तथा 1989-90 के दौरान ऐसे भवनों को आवश्यक मरम्मत द्वारा पुनर्वासित करने के लिए, के लो नि वि ने मार्च 1990 में 10 भवनों की मरम्मत पर 48.33 लाख रुपये व्यय किया जाना अनुमानित किया । तथापि, वास्तविक राशि की लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी गई थी।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि के लो नि वि द्वारा सात भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए ; पांच भवनों में आवश्यक मरम्मत की गई / की जा रही थी तथा दो भवनों को गिराने की संस्वीकृति जारी कर दी गई थी ।

1.13 के रि पु ब की तैनाती के लिए राज्य सरकारों से बकाया देय राशि

के रे पु ब के राज्यों से, जिनमें आंतरिक सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए इन्हें तैनात किया

जाता था, निर्धारित दरों पर, प्रभार वसूल करता है ।

1984-85 वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 24.3 में 21 करोड़ रुपये की भारी बकाया राशि सूचित की गई थी । मंत्रालय ने अपनी की गई कार्यवाही टिप्पणी अक्तूबर 1986 में बताया कि बकायों की वसूली / समायोजन के प्रयत्न किये जा रहे थे । यह देखा गया था कि 1989-90 में बकाया देय 143.49 करोड़ रुपये तक अधिक रुप से बढ़ गए थे ।

143.49 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से, 121.04 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) 1985-86 से पंजाब सरकार से बकाया थे । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि यह वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विषय को निपटाने हेतु आवश्यक कार्यवाई कर रही थी ।

1.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा

संघ सरकार के लेखों की विभागीकरण की योजना, लेखों में परिशुद्धता तथा लेखों की रुप रेखा के संचालन, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना हेतु व्यवस्था करती है ।

1984-85 से 1989-90 के दौरान विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा किए जाने वाले के रि पु ब के संगठनों/कार्यालयों की संख्या तथा वास्तव में लेखापरीक्षा किए गयों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की संख्या	वास्तविक लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों की संख्या	कमी	प्रतिशतता
1984-85	132	93	39	30
1985-86	130	85	45	35
1986-87	136	93	43	32
1987-88	136	50	86	63
1988-89	148	88	60	41
1989-90	164	81	83	51

लेखा परीक्षा में कमी मुख्यतः 1982 से लेखापरीक्षा दलों की क्षमता को बढ़ाये बिना बल के

आश्चर्यजनक विस्तार के कारण बताई गई थी, के.रि.पु.ब.' ने अक्तूबर 1990 में बताया कि जब तक अतिरिक्त दल संस्वीकृत नहीं हो जाते, यात्रा कार्यक्रमों को समायोजित/संशोधित करते हुए कमी के कम से कम संभावित सीमा तक घटाया जा रहा था ।

लेखों की आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जाँच ने 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः 44.27 लाख रु. तथा 27.50 लाख रु. की अधिक अदायगियों को दर्शाया । पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक अदायगियों के विवरण के.रि.पु.ब. के पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे । अधिक अदायगियां, वेतन नियमों के संशोधन के अन्तर्गत वेतन के गलत निर्धारण, यात्रा भत्तों की अधिक अदायगी, अवकाश यात्रा रियायत आदि से संबंधित थी । इसके अतिरिक्त लेखा विधि, खरीदों आदि में अपनाई गई पद्धति, में अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताएं, जहाँ वित्तीय प्रभावों को सीधा संगणित नहीं किया जा सकता था परन्तु जिसका के.रि.पु.ब. के वित्तीय प्रशासन पर प्रभाव पड़ता था, भी देखी गई थीं ।

दिसम्बर 1990 मे, 31 मार्च 1989 को 3844 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ (धन मूल्य ज्ञात नहीं) बकाया थीं; जिसमें से 749 वर्ष 1970-71 से 1984-85 के लिए थी ।

के.रि.पु.ब. ने अक्तूबर 1989 में बताया कि आपत्तियों की अनुपालना में उनके द्वारा सामना की गई कर्मचारी संबंधी कठिनाइयों के कारण ये आपत्तियां लम्बित रहीं ।

1.15 7 लाख रु. के राशन धन से या.भ./दै.भ.का अधिक भुगतान

जुलाई 1979 में लागू या.भ. नियमों के अनुसार, के.रि.पु.ब. कर्मचारी या तो डिटैचमैंट भत्ते की घटी हुई दर के साथ राशन धन पाने या फिर सामान्य दरों पर डिटैचमैंट भत्ता जो भी उन्हें लाभदायक था, पाने के हकदार थे । एक बार अपनाया गया विकल्प किसी विशिष्ट स्थान में तैनाती की समस्त अवधि के लिए विधिमान्य था ।

के.रि.पु.ब. ने मार्च 1980 में सरकार को के.रि.पु.ब. कर्मचारियों द्वारा राशन धन के साथ घटा हुआ डिटैचमैंट भत्ता अथवा केवल डिटैचमैंट भत्ता जो भी उन्हें किसी भी समय लाभदायक था, पाने के लिए विकल्प को लागू करने की शर्त को पुनः स्थापित करने के लिए,एक प्रस्ताव, अनुमोदन के लिए भेजा ।

या.भ./दै.भ. की दरें जनवरी 1983 में संशोधित की गई थीं । के.रि.पु.ब. ने फरवरी 1983 में सरकार के आदेश के पुर्वानुमान में क्षेत्रिय कार्यालयों को, यह अनुमान लगाते हुए कि इस विषय में सरकार के पास पड़ा हुआ प्रस्ताव अनुकूल रुप से विचारा जाएगा, अनुदेश दिया कि के.रि.पु.ब. के कर्मचारी या तो राशन धन के साथ घटा हुआ दैनिक भत्ता या डिटैचमैंट भत्ता, जो भी

उन्हें लाभदायक हो, के अपने विकल्प को दौबारा से इस्तेमाल कर सकते थे । तथापि, सरकार ने, के.रि.पु.ब. के पक्ष में मामले को निश्चित नहीं किया । इसलिए के.रि.पु.ब. ने, जुलाई 1984 में नये विकल्पों को इस्तेमाल करने की वापसी हेतु अनुदेश जारी किये ।

चौथे वेतन आयोग ने भी इस विषय में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की थीं । इसी बीच, फरवरी 1983 तथा जुलाई 1984 के दौरान के.रि.पु.ब. द्वारा कर्मचारियों को 7 लाख रु. की राशि का पहले से ही अधिक भुगतान किया जा चुका था ।

अगस्त 1988 में के.रि.पु.ब. ने एक विशेष मामले के तौर पर 7 लाख रु. की वसूली को माफ करने हेतु मंत्रालय से सम्पर्क किया । तथापि, मंत्रालय ने वसूली को माफ करने का पक्ष नहीं लिया तथा गलत आदेशों को जारी करने के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए कहा । इसी बीच अक्तूबर 1989 में के रि पु ब ने ग्रुप केन्द्रों को जो अभी भी कार्यरत थे, से, अधिक भुगतान की गई राशि को उचित मासिक किस्तों पर वसूल करने के लिए कहा । उन व्यक्तियों के विषय में जो अधिवार्षिता, बर्खास्तगी अथवा सेवामुक्ति इत्यादि पर पहले से ही सेवाओं को छोड़ चुके थे, ग्रुप केन्द्रों को यह सूचित करने के लिए कहा गया था कि क्या समायोजन के लिए सरकारी खाते में कोई राशि उपलब्ध है । के रि पु ब के पास कोई सूचना नहीं थी कि क्या व्यक्तियों से अभी तक कोई राशि वसूल की गई थी ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कर्मचारी, जो अब सेवा में नहीं थे से, बकाया राशि को बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्ताव की नियमानुसार मंत्रालय में जांच की जायेगी ।

1.16 प्रबोधन एवं मूल्यांकन

1939 में, जब के रि पु ब की स्थापना की गई थी, बल का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाये रखना था । 1939 से लेकर, के रि पु ब के कर्तव्यों में गहन परिवर्तन आया है । तथापि, यह देखा गया है कि बल के पास प्रबोधन अथवा मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं है । मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि वह प्रस्ताव की जांच कर रहा था ।

2. पंजीकरण फीस एवं लम्बी अवधि वीजा फीस की गैर-वसूली

वीजा मैनुअल 1981 में प्रावधान है कि 120 दिनों अथवा कम के लिये वीजा रखने वाले विदेशियों को अपने आपको पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है । जो 120 दिन से अधिक के लिये वीजा पर आये हों उनको भारत में आने के सात दिन के भीतर पंजीकृत कराना अपेक्षित है ।

जून 1984 में जारी किये गये भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अनुदेशों में अनुबद्ध था कि

19 जून 1984 से राष्ट्रमंडल देशों तथा आयरलैड के नागरिकों से पंजीकरण हेतु 50 रु. की फीस प्रभारित की जायेगी । विदेशियों के लिये पंजीकरण कार्यालयों द्वारा सग्रंहीत फीस संघ सरकार को एक राजस्व प्राप्तियों के रुप में क्रेडिट की जानी होती है ।

अक्तूबर 1988, जनवरी 1989 तथा मार्च 1989 के दौरान मुम्बई, नागपुर और पुणे स्थित विदेशियों के लिये पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि इन कार्यालयों द्वारा पंजीकरण फीस की वसूली नहीं की गई थी । उन मामलों में, जंहा विदेशियों का रुकना 120 दिनों से अधिक था, फीस की गैर वसूली के संबंध में राजस्व की हानि निम्न ब्यौरेवार सीमा तक थी:

पंजीकरण कार्यालय	अवधि (पंचांग वर्ष)	मामलों की संख्या	राजस्व की हानि (लाख रु. में)
मुम्बई	1986 से 1990	24329	12.16
नागपुर	1985 से 1990	281	0.14
पुणे	1987 से 1990	7759	3.88
जोड़		32369	16.18

कार्यालय वसूलियां करने के लिये सहमत हो गये थे ।

विदेशी नागरिकों के लिये निर्धारित दरों पर लम्बी अवधि वीजा फीस, वीजा मैनुअल के अनुसार, जब उनका ठहराव छः माह से अधिक हो जाये तो प्रभारित की जाती है । फीस, सम्बन्धित विदेशियों के लिये पंजीकरण कार्यालयों द्वारा एक मुश्त वसूली योग्य है । मुम्बई, नागपुर तथा पुणे स्थित कार्यालय सितम्बर 1988 तक फीस प्रभारित नहीं कर रहे थे । लेखापरीक्षा द्वारा अक्तूबर 1988 में चूक के बताये जाने पर, कार्यालयों ने उन विदेशियों से जिनका ठहराव छः

माह से अधिक था, से लम्बी अवधि वीसा फीस अक्तूबर 1988 तथा जनवरी 1989 से प्रभारित करनी शुरु कर दी थी । परिणामतः मुम्बई, नागपुर तथा पुणे में जुलाई 1990 तक कुल 80 लाख रु.का राजस्व संग्रहीत किया था ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1990 में भेजा गया था:उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 1991) ।

3. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संगठन लिमिटेड को निधियों का जारी किया जाना

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संगठन लिमिटेड की स्थापना , अन्य बातों के साथ साथ कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीकी नवीनता तथा विपणन सहायता के द्वारा औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता प्रदान कराते हुए, उद्योगों के विकास तथा प्रोत्साहन हेतु, 1966 में की गई थी । संगठन का समग्र नियंत्रण / पर्यवेक्षण पंद्रह चुने हुए सदस्यों, एक भारतीय राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि तथा तीन तक भारत सरकार के नामांकितों से संगठित हुए निदेशक मंडल में निहित था ।

औद्योगिक विकास विभाग ने 1989-90 तक, संगठन की अंशदायी पूंजी में 116 लाख रुपये की राशि का निवेश किया जोकि इसकी 120.18 लाख रुपये की कुल अंशदायी पूंजी का लगभग 97 प्रतिशत बनता था। इसके अतिरिक्त, 1966-67 से 1989-90 के दौरान संगठन को 194.88 लाख रुपये के कुल सहायक अनुदान भी जारी किये गये थे ।

संगठन 1981-82 से निरंतर हानियां उठा रहा था । 1981-82 से 1984-85 तक उठायी गई हानियां 53.56 लाख रुपये की थीं । संगठन के कार्यचालन की मंत्रालय द्वारा गहराई से जांच 1985 में की गई थी जबकि यह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि संगठन उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा था जिनके लिए यह स्थापित किया गया था । यद्यपि, विभाग ने महसूस किया कि संगठन बंद हो सकता था, यह निर्णय लिया गया था कि इसके प्रबंध निदेशक के रुप में योजना आयोग से एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करके संगठन को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास होना चाहिए । यद्यपि, यह जनवरी 1986 में किया गया था, संगठन के निष्पादन में कोई अवगम्य सुधार नहीं हुआ था । निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में अन्य प्रयास पर भी विचार किया गया था।

तथापि, संगठन हानियां उठाता रहा था। 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उठाई गई हानियां क्रमशः 16.64 लाख रुपये तथा 23.75 लाख रुपये की थीं । 1987-88 के बाद के वित्तीय परिणाम विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि इन वर्षों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति में बतायी गई थी (दिसम्बर 1989) । संगठन के

पास जून 1988 को, आपूर्तिकर्त्ताओं, राज्य सहकारिता समितियों इत्यादि को भुगतानों के लिए 1 करोड़ रुपये की कुल देयताएं इकट्ठी हो गई थीं।

विभाग द्वारा अक्तूबर 1988 में संगठन के अल्प निष्पादन में (i) संगठन के मामलों का कुप्रबंध, (ii) निदेशक मंडल की और से उत्तरदायित्व का अभाव तथा (iii) वर्षों से अंधाधुंध भर्ती, पर आरोपित किया गया था । उपरोक्त के लिए उत्तरदायित्व तथा संगठन के कार्यचालन को सरल और कारगर बनाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित किये बिना, विभाग ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान कुल 2.18 करोड़ रुपये की अंशदायी पूंजी तथा सहायक अनुदान के द्वारा संगठन को सहायता जारी की।

औद्योगिक विकास विभाग ने मार्च 1990 में बताया कि 1988 में मंत्रीमंडल समिति के निर्णय की अनुपालना में, कृषि मंत्रालय को उस विभाग से औद्योगिक सहकारिताओं की विषयवस्तु, हाथ में लेने का अनुरोध किया गया था । तथापि, कृषि मंत्रालय प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ तथा फरवरी 1989 में संगठन के कार्यचालन की जांच करने के लिए एक समिति गठित की । समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति कृषि मंत्रालय से प्राप्त हुई थी, औद्योगिक विकास विभाग के विचाराधीन बताई गई थी ।

इस प्रकार से संगठन, जिसको कि सरकार ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की कुल सहायता जारी की थी, के प्रबंध में सरल और कारगर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये थे ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि फरवरी 1990 में समिति की प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं के आधार पर, संगठन का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे ।

4. खारी जल आपूर्ति नहर की खुदाई पर निष्फल व्यय

नमक फैक्ट्री को अतनूकृत खारे पानी की सुविधायें प्रदान कराने के लिए 19.87 लाख रुपये व्यय करते हुए मार्च 1984 में, एक नई नहर की खुदाई की गई थी । निवेश निष्फल सिद्ध हुआ । 6.94 लाख रुपये की समानुपातिक लागत भी नमक फैक्ट्रियों से वसूल नहीं की जा सकी थी ।

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पेनुगुदुरु तथा गुरुजानापल्ली में नमक फैक्ट्रियों की खारे पानी की आवश्यकतायें, पाथेरलागेड्डा नहर, जो बंगाल की खाड़ी में खाली होती थी, के ज्वरीय जल से पूरी होती थी । चूंकि ज्वरीय पानी, धान के खेतों के मीठे पानी की नालियों द्वारा पतला पड़ जाता था जिससे नमक उत्पादन प्रभावित होता था, नमक फैक्ट्रियों के लिए अतनुकृत खारी जल उपलब्ध कराने के लिए 19.67 लाख रुपये की लागत पर नमक बना रहे लाईसेंस धारियों के

लाभ हेतु 9 कि मी लम्बी एक खारी जल आपूर्ति नहर, अलग से खोदी गई थी । खुदाई मार्च 1984 में पूरी हुई थी । नमक बना रहे लाईसेंस धारी लाभ भोगियों से वसूली की जानी वाली ब्याज सहित खुदाई की लागत की एक तिहाई समानुपातिक लागत अनंतिम रुप से 6.96 लाख रुपये रखी गई थी (मार्च 1990) ।

नहर के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य तथा नहर की खुदाई के पूर्व तथा पश्चात यथार्त निम्न प्रकार थे :

क्रियाकलाप	खारे पानी की नहर की खुदाई से पहले की अवस्था	खारे पानी की नहर के लिए नियत लक्ष्य	उपलब्धियां					
	1983		1984	1985	1986	1987	1988	1989
परिष्कार किया गया क्षेत्र (एकड़ में)	676.0	2,000	658.78	692.87	646.45	710	350	480
क्षेत्र में कमी(प्रतिशतता)	-	-	67	65	68	65	83	76
नमक उत्पादन(टनों में)	14803	35000	11083	24955	12414	19739	9291	1306

यह देखा जायेगा कि नमक उत्पादन के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र में कमी 65 से 83 प्रतिशत के बीच रही तथा नहर की खुदाई करने से पूर्व परिष्कृत क्षेत्र में, 1983 में 676.06 एकड़ से 1989 में 480 एकड़ तक 29 प्रतिशत की कमी हुई थी । इस प्रकार, 19.87 लाख रुपये की लागत से खोदी गई खारी जल आपूर्ति नहर के प्रस्तावित लाभ नहीं उठाये गये थे ।

फरवरी 1986 में नमक बनाने वाले लाईसेंस धारियों के एक अभ्यावेदन से यह मालूम हुआ था कि नहर के निर्माण पर समानुपातिक लागत को वहन करने के लिए वचन, जनवरी से मार्च अवधि के दौरान, जब पाथेरलागेड्डा नहर में मीठा पानी होता था, खारी पानी प्राप्त करने की आशा से दिया गया था । तथापि, इस संकटकालीन अवधि के दौरान,नई नहर में भी मीठा पानी होने के परिणामतः वे लाभार्वित नहीं हुए थे तथा उन्हें खारी पानी के खुदाई कुओं पर निर्भर रहना पड़ता था । उन में से बहुत से 15 मार्च के बाद नमक बनाने के लिए बाध्य हुए थे

जब उन्हें पाथेरलागेड्डा नहर से भी खारा पानी प्राप्त होता था ।

नमक आयुक्त ने खारी जल नहर के अनुपयोग के लिए धान के खेतों को, जो फालतू पानी नहर में छोड़ते हुए बाद में खडे हो जाते थे पर आरोपित किया था (फरवरी 1990) । चूंकि नई नहर, धान खेतों से मीठे पानी द्वारा पाथेरलागेड्डा नहर के तनुकृत होने के कारण ही खोदी गई थी, नई नहर में तनुकरण को रोकने में विफलता ने 19.87 लाख रुपये के किये गये निवेश को निष्फल बना दिया ।

यद्यपि नमक आयुक्त ने फरवरी 1990 में दावा किया कि नमक बनाने वाले लाईसेंस धारी लाभ भोगी नहर का 1984 से उपयोग कर रहे थे, लाभ भोगियों से वसूली योग्य 6.96 लाख रुपये में से केवल 0.02 लाख रुपये की वसूली (फरवरी 1990) थी। कारण सुस्पष्टतः नई नहर द्वारा लाभ भोगियों का लाभांवित न होने की वजह से था ।

मंत्रालय ने मई 1990 में बताया कि उनकी टिप्पणियां यथा समय भेज दी जायेंगी । टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी(जनवरी 1991)।

अध्याय -III

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

5. बाह्य निर्माण-दूरदर्शन

5.1 प्रस्तावना

दूरदर्शन, बाह्य निर्माताओं को कार्यक्रमों के निर्माण सौंपने के लिए एक प्रणाली का अनुकरण करता है । इसमें शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह, समाचार एवं सामयिक विषय, खेल कूद, राष्ट्रीय एकीकरण, टेली-फिल्म, दूरदर्शन नाटक, वृत्तचित्र तथा युवाओं पर धारावाहिक, पर्यावरण, संस्कृति, विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि पर कार्यक्रम सम्मिलित हैं । दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम स्वयं द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं ।

5.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 1986-89 के लिए बाह्य निर्माताओं द्वारा कार्यक्रमों के निर्माण से संबंधित महानिदेशक, दूरदर्शन तथा दूरदर्शन केन्द्र के अभिलेखों की, जून से अक्तूबर 1989 के दौरान, लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई थी। दूरदर्शन को नमूना जांच के निष्कर्ष जनवरी 1990 में प्रेषित कर दिए गए थे।

दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि बाह्य कार्यक्रमों से संबंधित नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का ढांचा वर्षानुवर्ष प्राप्त अनुभव से अनवरत सरल व कारगर बना दिया गया था । इसने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा ने "विभिन्न पहलुओं पर यथेष्ट प्रकाश डाला है, जिन पर आगे ध्यान रखने की आवश्यकता है तथा इनका अनुसरण किया जायेगा" ताकि योजना ज्यादा प्रभावशाली तथा लाभ दायक बन जाये ।

पुनरीक्षण संभव सीमा तक 1989-90 के लिए अद्यतन कर लिया गया है तथा मंत्रालय द्वारा फरवरी 1991 में भेजे गये उत्तर को भी ध्यान में रखा गया है ।

5.3 संगठनात्मक ढांचा

सामान्यतया, सभी व्यक्तिगत प्रस्ताव विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर प्राप्त किए जाते हैं जबकि फिल्म धारावाहिकों का संचालन महानिदेशक (म. नि.) दूरदर्शन, दिल्ली द्वारा किया जाता है । केन्द्र की जांच समिति द्वारा छानबीन के बाद अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव म. नि. को भेजे जाते हैं । प्रस्ताव, म. नि. के कार्यालय में स्थापित, लागत समिति के सामने रखे जाते हैं, जिसमें म. नि. दूरदर्शन के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं :-

(i) अतिरिक्त महानिदेशक - दूरदर्शन;

(ii) उप महानिदेशक, (संबंधित);

(iii) निदेशक (वित्त), दूरदर्शन;

(iv) कार्यक्रम नियंत्रक (संबंधित); तथा

(v) कार्यक्रम उप निदेशक (संबंधित) ।

समिति का निर्णय निर्माता को प्रेषित कर दिया जाता है । दूरदर्शन द्वारा प्रस्तावित मूल्य तथा अन्य शर्तों के संबंध में निर्माता की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद, निदेशालय सम्बद्ध निर्माता को भुगतान की आवश्यक संस्वीकृति जारी करता है । करार, सम्बद्ध दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निष्पादित किए जाते हैं । निर्माण की जाने वाली फिल्म की किस्म, समय अनुसूची, भुगतान की विधि, तथा अन्य शर्तें, करार में उल्लिखित की जाती हैं ।

कार्यक्रम की विषय वस्तु का निर्णय म. नि. द्वारा तथा कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है । दूरप्रसारण के लिए कायक्रमों की सारणी समुचित समय पर विशेष कार्यक्रम की मांग के आधार पर तैयार की जाती है।

5.4 विशिष्टताएं

- दूरदर्शन के पास प्रत्येक वर्ष प्राप्त प्रस्तावों, किए गए करारों तथा पूरे किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या से संबंधित सूचना नहीं थी।
- निर्माताओं का निर्णय महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा उनके अनुभव अथवा प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाना सूचित किया गया था। निर्माताओं का कोई पैनल नहीं है। स्वयं निर्माताओं के हित के लिए निर्माताओं के चयन का मानदंड स्पष्ट रुप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
- लागत समिति को लागत के विभिन्न तत्वों की जांच करनी चाहिए तथा दर ढांचे के के औचित्य पर अपना दृष्टिकोण दर्ज करना चाहिए।
- फरवरी 1986 तथा मार्च 1990 के बीच निर्माताओं से करार किए गए तिहतर कार्यक्रम जिसमें 203.77 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान निहित थे, पूरा होने हेतु अक्तूबर 1990 तक लंबित थे। केन्द्रों पर कोई सुव्यवस्थित प्रवोधन नहीं था। दोषियों अथवा उनकी प्रतिभूतियों के प्रति कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।
- यद्यपि, एक विशेष निर्माता अनुबद्ध अवधि के भीतर कार्यक्रम का निर्माण करने में विफल रहा, निर्माता को आगामी कार्यक्रम का करार प्रदान कर दिया गया था ।
- निर्माताओं से प्राप्त प्रत्याभूति जमा राशि सरकारी लेखे में जमा नहीं करायी गयी थी ।

- 71.93 लाख रुपये राशि का आय कर निर्माताओं को किए गए भुगतानों के स्रोत से नहीं काटा गया था।
- सामान्यतया, जून 1987 तथा मार्च 1990 के बीच, 121.39 लाख रुपये की लागत से प्राप्त पचास कार्यक्रम अक्तूबर 1990 तक, राजनीतिक दृश्य लेख में परिवर्तन के कारण दूर प्रसारित नहीं किए गए थे ।
- दूरदर्शन के पास बाह्य निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों के प्रकाशनाधिकार में सांझे के लिए कोई समुचित प्रक्रिया नहीं थी ।
- दूरदर्शन की दो शाखाओं के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरुप निम्न दर पर निर्माता के साथ पहले करार किए गए कार्यक्रम पर 3.90 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ ।
- अपने से ही निर्मित, तथा तीन बार दूर प्रसारित एक कार्यक्रम, एक बाह्य एजेंसी को प्रदान किया गया था,परिणामस्वरुप 1.25 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।
- एक प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में पहले ही अनुमोदित तथा बाद में प्रति दूर प्रसारण हेतु 0.32 लाख रुपये की रायल्टी के भुगतान पर प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित एक टेलीफिल्म, 4 लाख रुपये में खरीदी गई थी । टेलीफिल्म केवल दो बार दूरप्रसारित की गई थी ।
- फरवरी 1989 में भुगतान की निर्धारित अनुसूची का उल्लंघन करते हुए 70 लाख रुपये के कुल बजट के छः भाग वाले वृत्तचित्र धारावाहिक के लिए 10.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया । निर्माता के साथ करार में पूरा होने की अनुसूचित तारीख का उल्लेख नहीं था; धारावाहिक अभी तक पूरा नहीं हुआ था ।
- एक फिल्म के निर्माण के लिए संस्वीकृत 5 लाख रुपये की राशि बिना औचित्य के 8.5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी । फिल्म के निर्माण में 14 महीनों का विलम्ब भी हुआ था । फिल्म इसकी प्राप्ति के 31 महीनों के बाद दूर प्रसारित की गई थी, यद्यपि, दूरदर्शन इस बात से अवगत था कि प्रिंट की गुणवत्ता दूर प्रसारण के योग्य नहीं थी ।
- दूरदर्शन एक वृत्तचित्र की लागत 6.3 लाख रुपये से 8 लाख रुपये बढ़ाने को राजी हो गया था तथा करार पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्माता के पक्ष में, 30 प्रतिशत विदेशी बिक्री का अधिकार दे दिया । निर्माता को और

अधिक लाभदायक भुगतान अनुसूची भी अनुमत की गई थी ।

- नवम्बर 1988 में दूरदर्शन द्वारा स्वीकृत सात कड़ियों के एक धारावाहिक की लागत 12.6 लाख रुपये से 14 लाख रुपये बढ़ा दी गई थी । धारावाहिक अभी पूरा किया जाना था यद्यपि, दिसम्बर 1988 तथा दिसम्बर 1990 में 5.60 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था ।
- एक धारावाहिक (10 कड़ियों) की कुल अवधि में 10 मिनटों की वृद्धि से दूरदर्शन ने 3.5 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को वहन किया जबकि 30 मिनटों की अवधि की प्रत्येक कड़ी की करार की गई दर 1.75 लाख रुपये थी । यद्यपि, सभी कड़ियां जनवरी 1990 में सुपुर्द कर दी गई बताई गई थी, उनके दूरप्रसारण का अभी निर्णय लिया जाना था ।
- फरवरी 1987 में करार की गई एक टेलीफिल्म, जिसके लिए दूरदर्शन ने 2 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था, अभी तक निर्मित नहीं हुई थी।
- दो कार्यक्रम, जिनके लिए मार्च 1990 में 9.6 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था, निरस्त कर दिये गये थे; निर्माताओं ने पहले किए गए व्यय के लिए 2.03 लाख रुपये काटने के बाद जुलाई 1990 में अग्रिम भुगतान की वापसी कर दी ।

5.5 वित्तीय परिव्यय

1985-86 से 1989-90 के दौरान बाह्य निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों पर बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय योजनागत तथा योजनोत्तर दोनों) निम्नवत थे :-

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट आबंटन	व्यय
1985-86	40.00	40.00
1986-87	600.00	231.35
1987-88	528.95	853.44
1988-89	1023.90	2190.77
1989-90	2753.16	2276.23
जोड़	4946.01	5591.79

बाह्य निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों पर व्यय 1985-86 में 40 लाख रुपये से 1989-90 में 2276.23 लाख रुपये तक बढ़ गया दूर दर्शन ने नवम्बर 1990 में बताया कि योजना के उत्साहवर्धक परिणामों, तथा बाहर वालों

को नियुक्त कर, आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1989-90 के बजट आबंटनों में एक काफी बड़ी वृद्धि की गई थी । जबकि 1986-87 तथा 1989-90 के दौरान व्यय बजट प्रावधानों से 61 तथा 17 प्रतिशत कम पड़ गया था , 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान व्यय, बजट प्रावधान से क्रमशः 61 प्रतिशत तथा 114 प्रतिशत अधिक हो गया था । आधिक्य/बचतों के कारणों का उल्लेख करते हुए दूरदर्शन ने जून 1990 में बताया कि समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार सरकार के निर्देशों पर निर्भर रहते हुए, नये कार्यक्रम, विषयवस्तुओं की भिन्नता पर विचारे गये थे तथा प्रासंगिक/ सामयिक विषयों के कार्यक्रमों पर बहुत सी बातों का प्रभाव रहता था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में आगे कहा कि 1986-87 से 1989-90 तक, वर्षवार किया गया वास्तविक व्यय, दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं, कार्यक्रम जो एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त हो गए थे तथा एक विशेष वर्ष के दौरान बचनबद्ध देयता जो अगले वित्तीय वर्ष को प्रवाहित कर दी गई तथा बाह्य निर्माताओं से प्राप्त कार्यक्रमों के सम्बंध में समय अनुसूची में फेरबदल जैसे विभिन्न कारणों पर, निर्भर करता था ।

5.6 प्रत्यक्ष निष्पादन

दूरदर्शन ने बाह्य निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों पर किए गए करारों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं दी । दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने सूचित किया (अक्तूबर 1990) कि 1985-90 की अवधि के दौरान बाह्य निर्माताओं के साथ कुल 799 करार किए गए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिये गये हैं । प्रत्येक वर्ष में पूरे किए गए कार्यक्रमों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं भेजी गई थी ।

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	जोड़
सामयिक विषय	शून्य	शून्य	35	51	84	170
टेलीफिल्म/वृतचित्र	5	7	29	96	66	203
सुबह के प्रसारण	शुन्य	25	106	183	112	426
	5	32	170	330	262	799

दूरदर्शन के अनुसार, अन्य केन्द्रों के मुकाबले सब मिलाकर दिल्ली केन्द्र के पास चालू किए गए कार्यक्रमों का बृहत्तर हिस्सा था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि नेटवर्क के विस्मयकारी परिवर्तन तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता के साथ, प्रारंभिक वर्षों में ठोस आंकड़ा आधार निर्धारित करना कठिन था । कार्यक्रमों को चालू करने की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने के लिए, दूरदर्शन में कार्यक्रम निदेशक की अध्यक्षता में, एक केन्द्रीय आचरण एकक का गठन किया गया था जोकि कार्यक्रमों को चालू करने का निरीक्षण करती थी । बाह्य निर्माताओं से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण में चरणबद्धतरीके से कम्प्यूटर प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया था ।

5.7 निर्माताओं का चयन

निर्माताओं के चयन का निर्णय म. नि. द्वारा उनके पूर्व अनुभव अथवा प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता था । दूरदर्शन ने निर्माताओं का पैनल तैयार नहीं किया । दूरदर्शन ने फरवरी 1990 में यह भी स्वीकार किया कि बाह्य एजेंसियों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों पर पुनर्निवेशन प्राप्त करने के विचार से कोई सर्वेक्षण /अध्ययन नहीं किए गए थे ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि फिल्म प्रभाग की लाइन पर निविदाएं आमंत्रित करना दूरदर्शन में संचालनीय रुप से व्यवहार्य नहीं होगा तथा निर्माताओं के चयनित पैनल का अनुरक्षण नई प्रतिभाओं के प्रवेश को रोकेगा ।

लेखापरीक्षा में यह महसूस किया गया था कि निर्माताओं के चयन का मानदंड, स्वयं निर्माताओं के हित के लिए स्पष्ट रुप से निर्धारित किया जाना चाहिए ।

5.8 लागत प्रणाली

प्रत्येक कार्यक्रम की लागत, लागत समिति द्वारा निर्धारित की गई थी । दूरदर्शन ने जुलाई तथा सितम्बर 1989 में बताया कि विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के निर्माण के लिए कोई मानक दरों का निर्धारण नहीं किया गया था तथा प्रत्येक कार्यक्रम की लागत, निर्माता द्वारा प्रक्षेपित बजट विश्लेषण को ध्यान में लेते हुए, लागत समिति द्वारा निश्चित की जाती थी । लागत/बजट का निर्णय कार्यक्रम/ आलेख, की आवश्यकता, उदाहरण के तौर पर, सैटों / वेशभूषा अवलम्ब के प्रकार, भूमिका, प्रयोग में लाये गये फिल्मकार 16 मि मी / 35 मि मी, यू- मेटिक) तथा फिल्मांकन (बाह्य भीतरी) के लिए आवश्यक पारियों की संख्या, ढुलाई, भोजन व्यवस्था तथा ठहरने, लगाये गये रचनात्मक दल की गुणवत्ता इत्यादि, को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता था दूरदर्शन ने मार्च 1990 में आगे बताया कि यद्यपि प्रत्येक मामलों की लागत समिति द्वारा योग्यता के

आधार पर जांच की गई थी, कुछ श्रेणियों के लिए औसत दरें सदा ध्यान में रखी गई थीं ।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि लागत समिति के कार्यचालन के लिए कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश/ मानदंड मंत्रालय अथवा दूरदर्शन द्वारा जारी नहीं किए गए थे ।

दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि निर्णय, तत्वतः सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिए गए थे तथा विचार विमर्श के विवरण रिकार्ड नहीं किए गए थे ।

किसी विशिष्ट निर्माण की लागत निकालने के लिए, दूरदर्शन ने व्यक्तिगत मद अथवा लागत के विभिन्न तत्वों पर अपनी अभ्युक्तियां प्रस्तावित नहीं कीं । इसके बजाए, लागत समिति को प्रस्तुत किए गए कार्यसूची कागजों में अनुशंसित कुल राशि का उल्लेख किया गया था । दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि प्रत्येक प्रस्ताव में उपलब्ध विवरणों की इन्हें लागत समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, फाइलों में जांच की जा रही थी । तथापि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई फाइलों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि लागत के विभिन्न तत्वों की उनके औचित्य के संबंध में अथवा अन्यथा कोई जांच नहीं की गई थी ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में स्वीकार किया कि लागत समिति के संचालन को नियमित करने के लिए लिखित मार्गनिर्देश जारी नहीं किए थे, क्योंकि यह आंशका थी कि ऐसे मार्गनिर्देश लागत समिति के संचालन रचनात्मक संचालन को नियंत्रित कर सकते थे । एकरुप दरों को निश्चित करना भी व्यवहार्य नहीं विचारा गया था क्योंकि इसकी परिणति कुछ निर्माताओं को अवांछित लाभ में हो सकती थी । लेखापरीक्षा में यह महसूस किया जाता है कि लागत समिति को, लागत के विभिन्न तत्वों की जांच करनी चाहिए तथा कर ढांचे के औचित्य पर अपना दृष्टिकोण दर्ज करना चाहिए ।

5.9 निर्माण में विलम्ब

5.9.1 निर्माताओं के साथ अनुबंधों के अनुसार, बाह्य निर्माताओं के लिए रचित कार्यक्रम सामान्यतया तीन से चार महीनों के भीतर पूरे होने अपेक्षित थे । तिहत्तर कार्यक्रम, जिनके फरवरी 1986 तथा मार्च 1990 के बीच अनुबंध किए गए थे, अक्तूबर 1990 तक पूरा होने के लिए लम्बित थे । इन कार्यक्रमों पर निर्माताओं को अग्रिम के रुप में 203.97 लाख रुपये अदा किए गए थे । लम्बित कार्यक्रमों तथा अग्रिम भुगतानों की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है ।

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	राशि
		(लाख रुपयों में)
1985-86	1	0.63
1986-87	1	2.00
1987-88	4	5.84
1988-89	38	143.92
1989-90	29	51.58
जोड़	73	203.97

निर्माता के साथ अनुबंध के अंतर्गत, अनुबद्ध अवधि के भीतर दूरदर्शन फिल्म के निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल होने की स्थति में निर्माता की जमानत जमा जब्त की जानी संभावित थी तथा वह कोई हानि तथा हर्जाने की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी था, जो कि ऐसी विफलता के कारण सरकार द्वारा बर्दाश्त किया गया था । सरकार के लिए भी उस कारण से अनुबंध समाप्त करना तथा कोई अन्य कार्यवाही करना जोकि आवश्यक मानी जाए, विधिसम्मत थी।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा निर्माताओं के संबंध में जो अनुबध समय के भीतर कार्यक्रम तैयार करने में विफल रहे , के संबंध में कुछ अनुस्मारकों के अतिरिक्त, कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई थी दूरदर्शन द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों के निर्माण की प्रगति की मानिटरिंग, संबंधित केन्द्रों ने की थी, जिन्होंने निर्माताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे । सितम्बर 1989 में दूरदर्शन ने माना कि कुछ एक केन्द्रों के मामले में सुव्यवस्थित मानिटरिंग नहीं थी: अब वह करार में ही एक विशेष धारा शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा था जो उत्पादकों को परिहार्य विलम्बों के करने से रोक सके । दूरदर्शन ने आगे दिसम्बर 1990 में बताया कि करार फार्म के संशोधन के लिए कार्यवाही शुरु की जा रही थी तथा संशोधित करार में जुर्माना ब्याज के लिए एक धारा की व्यवस्था की जायेगी ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में यह भी स्वीकार किया कि बहुत से मामलों में देरी केन्द्रों द्वारा शिथिल प्रबोधन के कारण थी: दूरदर्शन को उन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कहा गया था जो समय सीमा बढ़ाए जाने के पश्चात भी अभ्यर्पणों के समापन को संमत किए जाने के लिए असफल रहे थे तथा दूरदर्शन को समझौते में, निर्माण की तुलना में भुगतानों के चरणों के साथ सम्बद्ध कठोर समय ढांचों को सम्मिलित करने के लिए सलाह दी गई थी । मंत्रालय ने यह भी बताया था कि निर्माण अनुसूची में हटने को रोकने के लिए समयबद्ध अनुवर्ती कार्यवाही तथा प्रबोधन को बढ़ा दिया गया है ।

5.9.2 नमूना जांच में देखे गए निम्नलिखित मामलों में पता चला कि यद्यपि एक विशेष निर्माता निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम के निर्माण करने में विफल रहा तथापि, उसे आगे कार्यक्रमों के लिए ठेका दिया गया था।

(क) एक फर्म को 7 लाख रुपये में एक कार्यक्रम " मोर्निंग मूड " का निर्माण जून 1988 में दिया गया था तथा उसे जून 1988 में 2.80 लाख रुपये की अग्रिम अदायगी की गई थी । कार्यक्रमों का निर्माण सितम्बर 1988 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था । यद्यपि, फर्म ने एक भी कड़ी को पूरा नहीं किया था तथापि, तीन और कार्यक्रमों (लागत 7.45 लाख रुपये) का निर्माण, फर्म को दिसम्बर 1988, फरवरी तथा मार्च 1989 में सौपा गया था तथा 2.98 लाख रुपये की अग्रिम अदायगियां दिसम्बर 1988, मार्च 1989 तथा मई 1989 में की गई थीं । इन मामलों में दो कार्यक्रमों के पूरा करने की नियत तिथि करारों में अभिलेखित नहीं पाई गई थी ; ये .कार्यक्रम नवम्बर 1989 तथा जुलाई 1990 अर्थात तीन से चार महीनों की साधारण अवधि के प्रति क्रमश: नौ तथा उन्नीस महीनों की अवधि में पूरे किए गए थे । तीसरे मामले में जो कार्यक्रम अगस्त 1989 के अंत तक पूरा किया जाना अपेक्षित था वास्तव में केवल फरवरी 1990 में सुपुर्द किया गया था । धारावाहिक "मोर्निंग मूड" की सब प्रकार पूरी प्रतियां जनवरी 1990 में सुपुर्द की गई थीं, तथा धारावाहिक जुलाई तथा सितम्बर 1990 के बीच दूर प्रसारित किया गया था ।

(ख) एक फर्म को "गोल्डन हॉक्स" कार्यक्रम 7.5 लाख रु. की लागत पर सौंपा गया था तथा मार्च 1988 में 2 लाख रु एक अग्रिम के रुप में अदा किये गये थे । कार्यक्रम जो कि जुलाई 1988 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था, अभी तक पूरा नहीं किया गया था (दिसम्बर 1990) दिल्ली केन्द्र ने मई 1990 में सूचित किया कि निर्माता को केवल चार कड़ियों के संबंध में ही 2 लाख रु. अग्रिम अदा किये गये थे, जिसके लिए करार मार्च 1988 में हस्ताक्षरित किया था तथा चार कड़ियां (छ: में से) मार्च 1990 में प्राप्त हुई थीं । फर्म को 17.50 लाख रु. की लागत के एक और कार्यक्रम का निर्माण प्रदान किया गया था तथा जुलाई 1988 में 7 लाख रु. की अग्रिम अदायगी दी गई थी । यह कार्यक्रम जो दिसम्बर 1988 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था वास्तव में एक नवम्बर 1989 में अर्थात 11 महीने के विलम्ब के बाद पूरा तथा सुपुर्द किया गया था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि दूरदर्शन इससे आश्वस्त था कि गुणवत्ता पर समझौता किए बिना कार्यक्रमों के निमार्ण के लिए निर्माता के पास आवश्यकय अवसरंचना तथा सुविज्ञता थी तथा कि कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रों से कड़ियों में प्रसारित करने हेतु निर्धारित किए जा रहे थे । तथापि, तथ्य यह रहता है कि कार्यक्रम के

समापन में विचारणीय विलम्ब हुआ था तथा दूरदर्शन ने विलम्बों के बावजूद निर्माताओं को अतिरिक्त कार्यक्रम सौंपे थे ।

5.9.3 अक्तूबर 1984 में केन्द्रों को जारी किये गये अनुदेशों में, दूरदर्शन ने जोर दिया कि असाधारण विलम्बों के मामलों में, में, केन्द्रों को संबंधित निर्माताओं को काली सूची में शामिल करने हेतु अपनी सिफारिशें भेजने पर विचार करना चाहिए । निर्माताओं के पास पहले से लम्बित कार्यक्रमों के संबंध में सूचना लागत समिति को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी । इसे न ही प्रपत्र में शामिल किया गया जिसमें प्रस्ताव, समिति के लिए प्रस्तुत किये जा रहे थे । दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि उसे अब लागत समिति के लिए कार्यसूची में शामिल किया जा रहा था ताकि विलम्ब कम हो सके तथा "एक समय में एक" नीति के साथ अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके ।

5.9.4 कार्यक्रमों के देने के संबंध में निर्माताओं से, उनको दी गई अग्रिम अदायगियों के लिए, बैंक गारंटियां लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दूरदर्शन ने जुलाई 1989 में बताया कि निर्माताओं के साथ करारों में अग्रिम अदायगियों के संबंध में आवश्यक सुरक्षा उपायों की पहले से ही व्यवस्था थी । तथापि, करार में अग्रिम अदायगियों के संबंध में सुरक्षा उपाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, यह केवल प्रतिभूति की व्यवस्था से संबंध रखता था । ऊपर दशयि गये 73 मामलों में, उन व्यक्तियों, जिन्होंने करार के अनुसार निर्माताओं के लिए प्रतिभूति दी थी, से कोई वसूली नहीं की गई थी । दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि कम से कम एक मामले में उस व्यक्ति, जिसने प्रतिभूति दी थी से, राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरु की गई थी । इस मामले की इस पुनरीक्षण में और कहीं चर्चा की गई है ।

5.10 प्रतिभूति जमा

निर्माताओं से ली गई 500/- रुपये की प्रतिभूति जमा की राशि अपनाई गई पद्धति के रूप में सरकारी लेखे में जमा नहीं कराई जा रही थी । कुछ मामलों में यह देखा गया कि प्रतिभूति जमा की राशि चैक के रुप में भी स्वीकृत कर ली गई थी, जो सरकारी लेखे में क्रेडिट नहीं कराई गयी थी। । लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, दूरदर्शन ने मार्च 1990 में सभी केन्द्रों को अनुदेश जारी किए कि प्रतिभूति जमा की राशि प्राप्ति के तुरंत बाद जमा हो जानी चाहिए ।

5.11 आयकर की वसूली

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 10,000 रुपये से अधिक के करारों के संबंध में स्रोतों पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर काटा जाना था । स्रोतों पर आयकर की कटौती के लिए, निर्माताओं के साथ करारों में कोई प्रावधान नहीं पाया गया था । दूरदर्शन ने जून 1989 में सभी

केन्द्रों को, बाह्य निर्माताओं के लिए 10,000 रुपये से अधिक की अदायगी करते समय स्रोतों पर 2 प्रतिशत आयकर काटने के लिए अनुदेश जारी किए।

1985-86 से 1989-90 (मई 1989 तक) बाह्य निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों पर 3596.56 लाख रुपये व्यय किए गए थे । अतः 71.93 लाख रुपये जो स्रोतों पर निर्माताओं को की गई अदायगियों से काटे जाने चाहिए थे, वसूल नहीं किए गए थे तथा सरकारी लेखे में क्रेडिट नहीं कराये गये थे ।

5.12 दूर प्रसारण के लिए लम्बित कार्यक्रम

दूरदर्शन द्वारा सामान्यतः जून 1987 तथा मार्च 1990 के बीच प्राप्त किए गए पचास कार्यक्रम अक्तूबर 1990 तक दूर प्रसारित नहीं किए गए थे । इन कार्यक्रमों के निर्माण पर 121.39 लाख रुपये व्यय किए गए थे (मार्च 1990 तक) । 50 कार्यक्रमों में से पांच मामलों में (राशि 7.20 लाख रुपये) दूर प्रसारण की संभावना नहीं थी, दो मामलों में (राशि 9.35 लाख रुपये) दूरप्रसारण की संभावना विद्यमान थी जबकि बाकी के 43 मामलों में (राशि 104.84 लाख रुपये) दूर प्रसारण के लिए कोई संकेत उपलब्ध नहीं हो रहे थे ।

दूरदर्शन ने जुलाई 1989 तथा फरवरी 1991 में बताया कि राजनैतिक दृष्यविद्यमान में बदलाव तथा विषय वस्तुओं की संवेदनशीलताओं के कारण कुछ कार्यक्रमों को दूरप्रसारित नहीं किया जा सका । लेकिन कार्यक्रमों के कुछ भाग का, जब भी अवसर आये, उपयोग किया जा सकता है । कुछ कार्यक्रम अतिसंवेदनशील बताये गये थे या उनकी प्रासंगिता समाप्त हो गई । मार्च 1990 तथा फरवरी 1991 में पुनः बताया गया कि निर्माणों में से कुछ में लाभदायक प्रलेखन तथा पुरालेखन सामग्री निहित थी ।

5.13 प्रसारणाधिकार

सामान्यतः, जब दूरदर्शन बाह्य निर्माण एजेंसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले निर्माण कार्य को चालू करता है, निधिकरण दूरदर्शन द्वारा किया जाता है कार्यक्रम/फिल्म यानि,निर्माण के सर्वाधिकार सामान्यतः दूरदर्शन में निहित होने चाहिए । दूरदर्शन ने सितम्बर 1989 में बताया कि कुछ मामले ऐसे थे, जब यह अनुभव किया गया कि निर्माण ऐजेंसी द्वारा किये जाने वाले वास्तविक निर्माण व्यय, दूरदर्शन द्वारा अदा किए गए मूल्य से ऊपर जाने संभावित थे, निर्माता के साथ स्वत्व की भागीदारी के लिए बातचीत की गई थी । दूरदर्शन द्वारा निर्माण एजेंसी के साथ नाटकीय प्रदर्शनी, विदेशों में विपणन इत्यादि जैसे स्वत्वों में भिन्न भिन्न मामलों में, आपसी सहमति के आधार पर भागीदारी की गई थी । चयनित आधार पर कुछ निर्माताओं के अधिकारों को बांटने की आवश्यकता

प्रणाली के विषय में दूरदर्शन ने नवम्बर 1989 तथा दिसम्बर 1990 में बताया कि अधिकारों को बांटने के लिए एक प्रतिरुप विकसित करने हेतु एक प्रक्रिया बनाई जा रही थी जो हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ, जहां भी आवश्यक होगा जोड़ी जाएगी, तथा एक सुस्पष्ट प्रणाली विस्तार से बनाई जा रही थी।

फरवरी 1991 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दूरदर्शन ने 19 मामलों में निर्माताओं के साथ प्रसारणाधिकार की हिस्सेदारी की थी, जिनमें से चार मामले दिल्ली केन्द्र से संबंध रखते थे । दिल्ली केन्द्र से संबंधित चार मामलों में से तीन, जिनके लिए लेखापरीक्षा को फाइलें उपलब्ध कराई थीं, की जांच ने निम्नवत प्रकट किया :

(i) एक मामले में - पोर्टरेट आफ दी डाइरेक्टर - निर्माता द्वारा जैसा कि प्रस्तावित किया गया, प्रति कड़ी 2 लाख रुपये का बजट, पूर्ण रुप से स्वीकृत किया गया; इस पर भी विदेशी प्रसारणाधिकारों के 30 प्रतिशत की निर्माता के साथ हिस्सेदारी की जानी थी ।

(ii) अन्य मामले में - क्रासिंग-दि इंडियन अबराड- लाभांश के प्रति 4.75 लाख रुपये सहित, 65.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत के स्थान पर, राष्ट्रीय तथा अंन्तर्राष्ट्रीय सभी अधिकार दूरदर्शन के पास रहने के साथ निर्माता के 75 लाख रुपये के कुल भुगतान के प्रस्ताव के एक विकल्प के रुप में निर्माता के साथ 40 प्रतिशत विदेशी प्रसारणाधिकारों को बांटने सहित दूरदर्शन, 70 लाख रुपये के कुल भुगतान, को मान गया । इस प्रकार दूरदर्शन ने, 5 लाख रुपये की एक बचत हेतु 40 प्रतिशत विदेशी प्रसारणाधिकार समर्पित कर दिये ।

इस प्रकार, निर्माताओं के साथ प्रसारणाधिकार की भागीदारी को नियमित करने के लिए कोई प्रणाली न थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि विस्तृत फार्मूला तैयार करने का निश्चय किया गया था जिसे समरुप आधार पर समेकित समनुदेशनों के लिए कारारों में जोड़ा जायेगा ।

5.14 दर्शनकक्ष अनुसंधान

दूरदर्शन के पास समस्त भारत में विभिन्न केन्द्रों से जुड़ी 18 दर्शनकक्ष अनुसंधान इकाईयां थीं। मुख्यालयों में दर्शनकक्ष अनुसंधान ईकाई, समस्त क्रियाकलापों का समन्वयन तथा पर्यवेक्षण करती है। दो प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे थे- रचनात्मक तथा संकलनात्मक । पहले के अंतर्गत, निर्माण अनुसंधान प्रारंभ कियसा जाता है संकलनात्मक प्रकार का अनुसंधान प्रसारण के पश्चात होता है तथा दूरप्रसारित किए गए कार्यक्रमों पर दर्शकता परिज्ञान, उपयोगिता तथा प्रतिक्रियाओं का पता लगाने हेतु प्रारंभ किया गया।

1988-89 के दौरान दर्शनकक्ष

अनुसंधान इकाई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के एक अध्ययन ने दर्शाया कि इसमें प्रातः काल प्रसार के 23 कार्यक्रम, सामयिक विषयों के 19 कार्यक्रम तथा बाहर के निर्माताओं द्वारा निर्मित एक टेलीफिल्म सम्मिलित थी । इन कार्यक्रमों की अधिकतम दर्शकता प्रातः काल दूरप्रसारण के मामले में 13 प्रतिशत, तथा टेलीफिल्मों के मामले में 28 प्रतिशत थी । सामयिक विषयों के संबंध में अधिकतम दर्शकता जो केवल दिल्ली से संबंधित थी, 7 प्रतिशत थी ।

1989-90 के लिए प्रातः काल दूरप्रसारण तथा सामयिक विषयों के बारे में दर्शकता केवल दिल्ली से संबंधित थी। । जबकि प्रातः काल प्रसारण के 90 कार्यक्रमों में से 25 में औसत अधिकतम दर्शकता 10 से 28 प्रतिशत,तथा 65 में 9 प्रतिशत तक वर्गीकृत थी, सर्वेक्षण में शामिल 27 सामयिक विषयों के कार्यक्रमों के संबंध में दर्शकता की प्रतिशतता 4 मामलों में शून्य, 16 मामलों में 9 तक तथा 7 मामलों में 12 और 32 के बीच थी । तीन टेलीफिल्मों में 25 से 45 प्रतिशत तक की अखिल भारतीय दर्शकता के साथ अधिक अच्छा मूल्यांकन था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि बाहर के निर्माणों की गुणवत्ता को निर्णित करने के लिए दर्शकता कक्ष अनुसंधान आंकड़े का ही केवल एक मात्र मापदंड होना आवश्यक नहीं तथा एक जन सेवा माध्यम होने के नाते दूरदर्शन ने केवल दर्शकता दर की दृष्टि में रख कर, जिसका कि सामयिक संदेशों, इत्यादि वाले सामयिक विषय कार्यक्रमों के संबंध में अस्थिर होना संभावित था कार्यक्रम आवश्यक रुप से नहीं सौपे थे ।

परन्तु, दर्शकता दर एक आवश्यक तथा कार्यक्रमों का निर्णय लेने हेतु एक महत्वपूर्ण निवेश है ।

5.15 बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित किए गए कार्यक्रम

5.15.1 **राष्ट्रीय एकता:** दिसम्बर 1987 में, दूरदर्शन के समाचार तथा सामयिक विषय कक्ष द्वारा, राष्ट्रीय एकता पर, 0.40 लाख रुपये प्रति कड़ी की दर पर 10 कड़ियों वाला एक कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था । भुगतान की सामान्य अनुसूचि के अनुसार, आलेख के अनुमोदन पर देय 0.80 लाख रुपये के अग्रिम की स्वीकार्य राशि के प्रति, दिसम्बर 1987 में अग्रिम के रुप में निर्माता को 1.60 लाख रुपये की एक राशि का भुगतान किया गया था । तत्पश्चात अगस्त 1988 में, प्रातः कालीन कक्ष 13 कड़ियों के लिए वही कार्यक्रम परन्तु 0.70 लाख रुपये प्रति कड़ी की बढ़ी हुई एक दर पर अनुमोदित किया । दूरदर्शन ने इस प्रकार एक कार्यक्रम के लिए 3.90 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जिसके लिए न्यूनतम दर पर निर्माता के साथ पहले ही ठेका किया जा चुका था । दूरदर्शन ने दिसम्बर 1987

में निर्माता को भुगतान किए गए 1.60 लाख रुपये के अग्रिम पर, जो जून 1989 में लौटाया गया था, ब्याज के प्रति भी कोई राशि वसूल नहीं की । निर्माता द्वारा कार्यक्रम मार्च 1989 में सौंपा गया था।

सितम्बर 1989 में यह बताया गया था कि निर्माता ने अनुभव किया कि परियोजना अधिक मंहगी थी तथा अवधि भी अधिक अपेक्षित की जानी थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में दावा किया कि दूसरे कार्यक्रम में बढ़ोत्तरी को उचित ठहराते हुए एक विस्तृत कार्य क्षेत्र था । तथापि, दोनों ही मामलों में, प्रत्येक कड़ी दस मिनट की अवधि की थीं । दूरदर्शन ने स्वीकार किया कि दो शाखाओं, सामयिक विषय खंड तथा प्रातः कालीन दूरप्रसारण, के बीच समन्वय की कमी थी: तथा बताया कि केन्द्रीय प्रारंभिक इकाई के गठन के साथ, सभी ऐसी त्रुटियों को समाप्त करने की आशा की गई थी (मार्च 1990) ।

कार्यक्रम की दर्शकता को जानने हेतु दर्शनकक्ष अनुसंधान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने इंगित किया कि यह पांच से दस प्रतिशत तक सीमित थी (दिल्ली तथा मद्रास) ।

राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम का समापन लंबित रहते हुए, निर्माता को अक्तूबर 1988 में 19.50 लाख रुपये की लागत का एक अन्य कार्यक्रम सौंपा गया था जिसके लिए 7.80 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान नवम्बर 1988 में किया गया था । इस मामले में अग्रिम का भुगतान भी सही अर्थों में भुगतान की मानक अनुसूचि के अनुसार नहीं था जिसमें आलेख के अनुमोदन पर लागत के केवल 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान का विचार था । यह कार्यक्रम दिसम्बर 1988 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु सभी 13 कड़ियां सितम्बर 1989 तथा दिसम्बर 1990 के बीच प्राप्त तथा दूरप्रसारित की गई बताई गई थी।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि निर्माता को एक साथ दो कार्यक्रमों को निर्मित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था क्योंकि उसके पास एक ही समय में एक से अधिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की दक्षता तथा अवसरंचना थी ।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि विभिन्न कार्यक्रम इकाइयों के बीच, जो कि बजट के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित करती हैं, समन्वय की अनजाने में कोई संभव कमी से बचने हेतु, संचालन गतिविधि का केन्द्रीकरण कर दिया गया था ।

5.15.2 लोटस टैम्पल ऑफ बहाईस :जनवरी 1988में,दूरदर्शन ने,1.25 लाखरु.पर20मिनट अवधि की "लोटस टैम्पल ऑफ बहाईस " फिल्म के निर्माण के लिए एक निर्माता के प्रस्ताव को स्वीकार किया । तत्पश्चात फरवरी 1988 में, दिल्ली केन्द्र ने म नि को सूचित किया कि स्वयं दिल्ली दूरदर्शन द्वारा " लोटस टैम्पल ऑफ

बहाईस " पर एक कार्यक्रम पहले ही निर्मित किया जा चुका था तथा पिछले वर्ष में तीन बार दूरप्रसारित किया जा चुका था । तदनुसार, दूरदर्शन ने फरवरी 1988 में निर्माता का अगले आदेशों तक फिल्म पर कार्य को रोकने का परामर्श दिया । तथापि, निर्माता के अभिवेदन पर मई 1988 में, फिल्म का निर्माण पुनः प्रारंभ किया गया था । लागत समिति को सौंपने से पूर्व, निदेशालय स्तर पर प्रस्तावों की उचित जांच की अनुपस्थिति के परिणामस्वरुप 1.25 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि चूंकि कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था, उस पर किए गए व्यय को टाला नहीं जा सकता था तथा यह बाह्य निर्माण की सापेक्ष गुणवत्ता ही थी जिसे कार्यक्रम को प्रारंभ करने में निर्णायक भूमिका निभानी थी ।

जैसे कि बाहय एजेंसी द्वारा देखी गई, कार्यक्रम की अखिल भारतीय दर्शकता, केवल एक प्रतिशत थी, दिल्ली में दर्शकता शून्य थी ।

5.15.3 अगूंठा छाप : टेलीफिल्म "अंगूठा छाप " दूरदर्शन पर संभव प्रसारण के लिए निर्माता द्वारा मई 1987 में प्रस्तुत की गई थी तथा दूरदर्शन द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में सितम्बर 1987 में अनुमोदित की गई थी । निर्माता फिल्म के लिए प्रायोजक प्राप्त नहीं कर सका था तथा अक्तूबर 1987 में सुझाव दिया कि दूरदर्शन बिना किसी प्रायोजक के सीधे ही फिल्म दिखा सकता था । दर पत्र के अनुसार, 55 मिनट अवधि की एक फिल्म के लिए अनुज्ञेय रायल्टी 0.32 लाख रुपये थी, तथा निर्माता को तदनुसार नवम्बर 1987 में सूचित कर दिया गया था । चूंकि निर्माता को यह स्वीकार्य नहीं था दूरदर्शन ने 4 लाख रुपये के लिए विश्वव्यापी दूरप्रसारण के साथ फिल्म खरीदने के निर्माता के प्रस्ताव को स्वीकार किया । यद्यपि, लागत समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, परन्तु यह दशनि के लिए कोई संकेत नहीं था कि लागत के औचित्य को जांचा गया था । फिल्म अप्रैल 1988 तथा सितम्बर 1989 में दो बार दूर प्रसारित की गई थी ।

दूरदर्शन ने मई 1990 में बताया कि वृत्तचित्र फिल्मों तथा बाल फिल्मों के लिए भुगतान के प्रति रायल्टी की 0.32 लाख रुपये की दर केवल एक समय दूरप्रसारण के लिए थी तथा फिल्म कितनी ही बार दूर प्रसारण के लिए खरीदी गई थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में यह भी बताया कि दूरदर्शन द्वारा फिल्म को खरीदने का निर्णय, फिल्म की उच्च आवृत्ति क्षमता, प्रौढ़ साक्षरता पर इसके शिक्षाप्रद मूल विषय तथा सूक्ष्म संदेश जो यह प्रभावी रुप से ध्यान में लाई, पर विचार करने के पश्चात ही किया गया था ।

यह अवलोकित किया गया था कि फिल्म जोकि दो बार दूर प्रसारित की गई थी की दर्शकता

दूरदर्शन की दर्शनकक्ष अनुसंधान इकाई के सर्वेक्षण पैनल के अंतर्गत प्रारंभ नहीं की गई थी । तथापि, अप्रैल 1988 में प्रसारण की अखिल भारतीय दर्शकता, जैसी कि एक बाहरी एजेंसी द्वारा की गई, 38 प्रतिशत थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि भविष्य के प्रसारण में दर्शकता की बढोतरी संभाव्य थी क्योंकि यह प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करती थी ।

5.15.4 क्रासिंग-दी इंडियन अब्राडः दूरदर्शन ने एक निर्माता के पक्ष में, 40 प्रतिशत विदेशी विक्रय अधिकार सहित 70 लाख रुपये के एक कुल बजट के लिए फरवरी 1989 में, 16 एम एम रंगीन में, प्रत्येक 50 मिनट की अवधि के छः भागों वाले वृतचित्र धारावाहिक का निर्माण, सौंपा ।

करार के हस्ताक्षर करने पर 10.50 लाख रुपये (संस्वीकृत राशि का 15 प्रतिशत) की पहली किश्त फरवरी 1989 में जारी की गई थी । आलेख के अनुमोदन होने पर मार्च 1990 में 21 लाख रुपये की दूसरी किश्त (संस्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत) जारी की गई थी । भुगतानों के नियमन हेतु कार्य के विभिन्न स्तरों के समापन की निर्धारित तिथियां, निर्माता के साथ करार में उल्लिखित हुई नहीं पाई गई थीं । प्रयोज्य भुगतानों की सामान्य अनुसूची के संबंध में, करार के हस्ताक्षर करने पर निर्माता को कोई भी भुगतान स्वीकृत योग्य नहीं था । करार के हस्ताक्षर करने पर 10.5 लाख रुपये के भुगतान के फलस्वरुप निर्माता को अनाधिकृत सहायता के साथ 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित 1.26 लाख रुपये के ब्याज का लाभ हुआ । आलेख के अनुमोदन पर 21 लाख रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान भी अनियमित था तथा परिणामस्वरुप और अनाधिकृत सहायता हुई । आधार, जिस पर 70 लाख रुपये की लागत उपयुक्त मानी गई थी, उपलब्ध नहीं था । धारावाहिक पूरा नहीं हुआ था।

दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि लागत समिति द्वारा कुल लागत को बिल्कुल उपयुक्त माना गया था । दूरदर्शन ने फरवरी 1991 में यह भी बताया कि धारावाहिक की शूटिंग लंदन में सितम्बर 1990 में सम्पन्न हो गई थी ।

5.15.5 खामोशी के दायरे : " खामोशी के दायरे " शीर्षक की एक फिल्म का निर्माण अक्तूबर 1985 में प्रायोजित टेलीफिल्म के संवर्ग में एक निर्माता को सौंपा गया था । चूंकि निर्माता को फिल्म के लिए प्रायोजक नहीं मिल सके थे, दूरदर्शन ने, 5 लाख रुपये की लागत पर फिल्म के निर्माण के लिए निर्माता के मई 1986 के प्रस्ताव को जुलाई 1986 में मान लिया था । करार जनवरी 1987 में किया गया था । फरवरी तथा अप्रैल 1988 में, निर्माता ने दूरदर्शन से 9 लाख रुपये तक की लागत की वृद्धि इस आधार पर करने के लिए कहा कि निर्माण की वास्तविक

लागत अधिक थी क्योंकि इसमें रगींन 16 मि मी फिल्म का निर्माण निहित था । निर्माता, दूरदर्शन के पक्ष में 3.5 लाख रुपये के प्रतिफल पर फिल्म के विडियो अधिकार छोड़ने के लिए भी सहमत हो गया था । इसे दूरदर्शन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा मई 1988 में 3.5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई थी । लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि आरंभिक स्वीकृति रंगीन 16 मि मी फिल्म के निर्माण हेतु थी तथा निर्माता और दूरदर्शन के बीच हुए करार के अनुसार भारत तथा विदेश में दूरदर्शन फिल्म के दूरप्रसारण अधिकार स्थाई रुप से दूरदर्शन के पास होंगे तथा अन्य सभी अधिकार निर्माता के पास रहेंगे । इस प्रकार, 5 लाख रुपये से 8.5 लाख रुपये तक फिल्म की लागत की वृद्धि का कोई औचित्य नहीं था तथा 3.5 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय परिहार्य था । फिल्म जो मार्च 1987 तक सम्पूर्ण कर दी जानी आवश्यक थी में देरी भी की गई थी तथा मई 1988 में सम्पूर्ण की गई थी । यद्यपि, दूरदर्शन ने जून 1990 में बताया कि फिल्म की प्रिंट गुणवत्ता, दूरप्रसारण योग्य नहीं थी, इस पर भी फिल्म देर रात के प्रसारण में दिसम्बर 1990 को दूरप्रसारित की गई थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि लागत में 5 लाख रुपये से 8.5 लाख रुपये तक की वृद्धि के मानने द्वारा दूरदर्शन ने फिल्म के विदेशी अधिकारों सहित सम्पूर्ण विपणन अधिकार प्राप्त कर लिए थे । यह ठीक नहीं था । किसी भी मामले में एक फिल्म के रचना स्वत्व की अधिप्राप्ति, जिस की गुणवत्ता दूरदर्शन प्रसारण के योग्य न हो, किसी भी लाभ की नहीं थी ।

5.15.6 स्पिरिट पॉजेशनः मार्च 1988 में, दूरदर्शन 6.3 लाख रुपये की लागत पर 60 मिनट की अवधि के "स्पिरिट पॉजेशन " शीर्षक के वृतचित्र के निर्माण हेतु एक निर्माता के प्रस्ताव पर सहमत हो गया था । वृतचित्र का प्रसारण अधिकार दूरदर्शन के पास रहना था । यद्यपि, निर्माता ने समझौते पर मार्च 1988 में हस्ताक्षर किए थे, परन्तु उसने आवश्यक निर्धारित प्रतिभूतियां प्रस्तुत नहीं की थीं । नवम्बर 1988 में, निर्माता ने विलम्ब के कारण 12.98 लाख रुपये की लागत वृद्धि हेतु दूरदर्शन से सम्पर्क किया । दूरदर्शन, दिसम्बर 1988 में 1.7 लाख रुपये की वृद्धि एवं निर्माता के पक्ष में 30 प्रतिशत विदेशी बिक्री अधिकारों के स्थानांतरण के लिए सहमत हो गया था । निर्माता को, सामान्य अनुसूची के विचलन में भुगतान की संशोधित अनुसूची अनुमत की गई थी तथा दिसम्बर 1988 में उसे लेखों भुगतान पर (3.20 लाख रुपये) तथा शूटिंग प्रारंभ करने के भुगतान पर (1.60 लाख रुपये) 4.80 लाख रुपये अदा किए गए थे । दूरदर्शन ने जनवरी 1990 में, उपशीर्षकों हेतु 0.77 लाख रुपये की और वृद्धि की थी तथा अवधि में विस्तार

किया था ।

पूर्ण करार संबंधी औपचारिकता केवल दिसम्बर 1988 में पूरी की गई थी । तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि निर्माता ने करार पर मार्च 1988 में पहले ही हस्ताक्षर कर रखे थे जोकि निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किए गए थे । इसलिए, निर्माता को कुल लागत में वृद्धि, 30 प्रतिशत विदेश बिक्री अधिकारों का हस्तातंरण तथा भुगतान की अधिक अनुकूल अनुसूची के द्वारा अतिरिक्त रियायतों का अनुमत किया जाना अनियमित था । कार्यक्रम जोकि जुलाई 1990 में सम्पूर्ण किया गया था भारत में अभी तक प्रसारित नहीं किया गया था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि बजट में वृद्धि करते समय दूरदर्शन ने विदेशी बाजार मे इस वृतचित्र की संभावना को ध्यान में रखा था ।

5.15.7 एकस के हम बारिक: नवम्बर 1988 में, दूरदर्शन ने 1.8 लाख रुपये प्रति कड़ी की दर से प्रत्येक 25 मिनट की अवधि की सात कड़ियों वाले धारावाहिक (कुल 12.6 लाख रुपये) के निर्माण के लिए एक निर्माता का प्रस्ताव स्वीकार किया था । अप्रैल 1989 में, निर्माता ने, निर्माण में शामिल उच्चतर लागत के मध्यनजर प्रति कड़ी लागत में वृद्धि करने हेतु अभिवेदन किया । सितम्बर 1989 में दूरदर्शन प्रति कड़ी 2 लाख रुपये की दर से भुगतान करना इस आधार पर देना मान गया कि दो अन्य निर्माताओं के मामले में यही दर मान ली गई थी । सितम्बर 1989 में यह बताया गया था कि बजट में बढ़ौतरी, निर्माण की गुणवत्ता तथा आवश्यकता के हक में भी तर्कसंगत थी । यद्यपि 5.60 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान दिसम्बर 1988 तथा दिसम्बर 1990 में किया गया था, कोई समापन अनुसूची तिथि निर्धारित नहीं की गई थी । दिल्ली केन्द्र ने मई 1990 में सूचित किया कि एक अनुस्मारक के प्रति उत्तर में, निर्माता ने सूचना दी थी कि म नि को दो कड़ियां प्रस्तुत कर दी गई थीं तथा कि निर्माता ने प्रति कड़ी लागत 4 लाख रु. तक बढ़ाने तथा कुल कड़ियों की संख्या में 25 तक वृद्धि करने के लिए अभिवेदन किया था । कार्यक्रम अभी पूरा किया जाना था (जनवरी 1991) ।

5.15.8 पोरट्रेट आफ द डायरेक्टर : मई 1988 में, दूरदर्शन ने, 30 प्रतिशत विदेश प्रसारण-अधिकार के सिवाय सभी अधिकारों सहित 2 लाख रु. प्रति कड़ी(कुल 26 लाख रु.) की दर से अंग्रेजी में प्रत्येक 30 मिनट की अवधि के 13 खंड के एक धारावाहिक के निर्माण हेतु एक निर्माता का प्रस्ताव स्वीकार किया था । अनुमोदन इस शर्त पर था कि निर्माता कड़ियों में व्यक्तियों को सम्मिलित करने के संबंध में दूरदर्शन के साथ

परियोजना पर बातचीत करेगा । जनवरी 1989 में, प्रत्येक 40 मिनट अवधि की हर एक कड़ी दर को 2.30 लाख रु. तक संशोधित कर दिया गया था तथा धारावाहिक में दो अतिरिक्त कड़ियों को भी शामिल किया जाने वाले। अतिरिक्त कड़ियों में शामिल किए जाने वालो व्यक्तित्व सुनिश्चित रुप से निर्देशक नहीं थे । तथापि, मई 1989 में, निर्माता ने सभी कड़ियों के निर्माण में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा छः कड़ियों के निर्माण के पश्चात दूरदर्शन से समझौते को समाप्त करने हेतु निवेदन किया था । निर्माता को फरवरी 1989 तक सभी 15 कड़ियों के लिए 12.24 लाख रु. का एक अंश पहले ही भुगतान कर दिया गया था । जून 1989 में निर्माता ने कुल मिलाकर छः कड़ियां सुपुर्द की थीं । दूरदर्शन ने जनवरी 1991 में सूचित किया कि छः कड़ियां अगस्त तथा सितम्बर 1990 के बीच दूरप्रसारित की गई थीं तथा कि निर्माता को अक्तूबर 1990 तक सभी छः कड़ियों के अंतिम समाधान में 13.80 लाख रु. अदा किये गये थे ।

5.15.9 रिश्ताः दूरदर्शन द्वारा अगस्त 1988 में 1.75 लाख रु. प्रति कड़ी की दर से प्रत्येक 30 मिनट की अवधि की आठ कड़ियों के धारावाहिक " रिश्ता " (कुल 14.00 लाख रुपये) का निर्माण स्वीकार किया गया था । मार्च तथा अप्रैल 1989 में, निर्माता ने दूरदर्शन से प्रति कड़ी 2 लाख रुपये दर में वृद्धि हेतु सम्पर्क किया था । यद्यपि, दूरदर्शन द्वारा दर में वृद्धि स्वीकार नहीं की गई थी, दूरदर्शन ने निर्माता को 1.75 लाख रुपये प्रति कड़ी की दर से प्रत्येक 25 मिनट अबधि की दस कड़ियों के निर्माण की अनुमति दी थी । इस प्रकार, सभी कड़ियों की कुल अवधि में 10 मिनट की वृद्धि के कारण से, दूरदर्शन धारावाहिक के निर्माण में 3.5 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए सहमत हो गया था । दिसम्बर 1988 तथा जून 1989 में निर्माता को 7 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी । समापन की अनुसूचित तिथि समझौते में दर्ज हुई नहीं पाई गई थी । यह सूचित किया गया था कि सभी कड़ियां जनवरी 1990 में सुर्पुद कर दी गई थीं तथा इसके दूरप्रसारण का निर्णय अभी किया जाना था (दिसम्बर 1990)।

दूरदर्शन ने मार्च 1990 में बताया कि प्रसारण हेतु धारावाहिक की स्लाटिंग की कठिनाई कें कारण, कथानक की निरंतरता तथा इसके उपयुक्त प्रतिपादन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कड़ी की अवधि 25 मिनट तक कम करने तथा कड़ियों की संख्या दो तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था । इस प्रकार स्वीकृत किया गया अतिरिक्त व्यय दो अतिरिक्त कार्यक्रमों को बनाने तथा बढ़े हुए बजट हेतु निर्माता की मांग को पूरा करने में किया गया था । तथापि, बजट में बढ़ौतरी हेतु निर्माता की मांग, लागत समिति द्वारा पहले नवम्बर 1988 में रद्द कर दी गई थी ।

दूरदर्शन ने समझौते के अनुसार औपचारिकताओं के लम्बित रहते निर्माता का शेष भुगतान (स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत) रोक लिया था ।

मंत्रालय का विचार था कि वाणिज्यिक विज्ञापनों से सम्भाव्य लाभ धारावाहिक पर वहन किए गए व्यय से कहीं अधिक होगा (फरवरी 1991) ।

5.15.10 तृप्ति : जुलाई 1986 में, दूरदर्शन ने 5 लाख रुपये में रंगीन 16 मि मी की 90 मिनट अवधि की " तृप्ति " शीर्षक की एक टेलीफिल्म के निर्माण के लिए एक निर्माता का प्रस्ताव स्वीकार किया था । निर्माता के साथ समझौत किया गया तथा 2 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान (संस्वीकृत राशि के 40 प्रतिशत होने नाते) फरवरी 1987 में किया था । समापन की निर्धारित तिथि समझौते में दर्ज हुई नहीं पाई गई थी ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि अप्रैल 1990 तक निर्माता द्वारा फिल्म का रफ कट भी प्रस्तुत नहीं किया गया था । दूरदर्शन ने मार्च तथा अगस्त 1987 में निर्माता को लिखा था परन्तु पत्र बिना वितरित हुए वापिस आ गए थे । इसके पश्चात दूरदर्शन ने फरवरी 1988 में दो जमानतियों को लिखाः एक जमानती से कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला था जबकि अन्य जमानती ने निर्माता का नया पता सूचित किया था । निर्माता को नये पते पर भेजा गया पत्र भी असंवितरित वापिस प्राप्त हो गया था । मई 1989 में दिल्ली केन्द्र को निर्माता के विरुद्ध प्रस्ताव को वापिस लेने/रद्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने तथा ब्याज सहित अग्रिम की वापसी की मांग हेतु निर्देश जारी किए गए थे । दिसम्बर 1989 में अंतिम पत्र जारी किया गया था । इस प्रकार, निर्माता के साथ मामले को आगे बढ़ाने में ढील हुई थी ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में सूचित किया कि दूरदर्शन ने जनवरी 1991 में विधि मंत्रालय से सलाह मांगी थी तथा विधिक परामर्श की प्राप्ति पर करार की शर्तों के अनुसार, आगामी कार्यवाही की जाएगी ।

5.15.11 न्यूज मैगजीन इन हिन्दी : मार्च 1990 में, दूरदर्शन ने प्रत्येक छः कड़ियों हेतु प्रति कड़ी 2 लाख रुपये की दर से (कुल 24 लाख रुपये) एक कार्यक्रम " न्यूज मैगजीन इन हिन्दी " शीर्षक के निर्माण का कार्य दो निर्माताओं को सौंपा था ।

मार्च 1990 में निर्माता को, संस्वीकृत राशि का 40 प्रतिशत होने के नाते 9.6 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी । दो निर्माताओं को अग्रिम अदायगी के स्रोत से, 0.19 लाख रुपये आयकर की राशि की कटौती की गई थी ।

बाद में, अप्रैल 1990 में, दूरदर्शन ने

दोनों कार्यक्रमों को रद्द करने का निर्णय लिया । निर्माताओं ने इन कार्यक्रमों के निर्माण पर उनके द्वारा पहले से ही किए गए व्यय के रुप में 2.03 लाख रुपये कम करने के पश्चात 7.39 लाख रुपये की राशि जुलाई 1990 में वापिस कर दी थी । दूरदर्शन ने नवम्बर 1990 तथा जनवरी 1991 में बताया कि कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे क्योंकि " कार्यक्रमों को स्वयं ही निर्माण करने का निर्णय लिया गया था" तथा सामग्री की स्वयं अपने कार्यक्रम के निर्माण हेतु प्रयोग की संभावना थी ।

5.15.12 करप्शन एण्ड द कॉमन मैन: दूरदर्शन ने फरवरी 1990 में 1.25 लाख रुपये की राशि पर एक कार्यक्रम "करप्शन एण्ड द कॉमन मैन " शीर्षक के निर्माण हेतु एक निर्माता का प्रस्ताव स्वीकार किया था ।

निर्माता की संस्वीकृत राशि का 40 प्रति.होने से 0.50 लाख रु.की राशि मार्च 1990में अदा की गई।

दूरदर्शन ने नवम्बर/दिसम्बर 1990 में बताया कि कार्यक्रम का निर्माण अधिक व्यावसायिक रुप से नहीं किया गया था तथा वह चैनल II पर भी इसे प्रसारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । तथापि, दूरदर्शन ने इसे संशोधित करने तथा व्यावसायिक रुप से प्रसारण योग्य बनाने हेतु निर्माता पर दबाव डालना प्रस्तावित किया

6. एशिया गांव काम्प्लैक्स, नई दिल्ली में डाईनिंग हाल तथा शॉपिंग काम्प्लैक्स की खरीद

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मंत्रालय) ने, दूरदर्शन द्वारा केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के स्टुडियों की स्थापना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) से एशिया गांव काम्प्लैक्स सीरी फोर्ट, नई दिल्ली में, डाईनिंग हाल तथा शॉपिंग काम्प्लैक्स की अधिप्राप्ति के लिए अक्तूबर तथा नवम्बर 1986 में क्रमशः पॉच करोड़ रुपये तथा 3.13 करोड़ रुपये का व्यय वहन करने की संस्वीकृति प्रदान की । दूरदर्शन द्वारा दि वि प्रा को राशियां क्रमशः अक्तूबर तथा नवम्बर 1986 में अदा की गई थी । दूरदर्शन द्वारा भूमि की लागत के प्रति दि वि प्रा को पुनः जनवरी तथा अगस्त 1989 में 0.45 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किय गया था । सम्पत्ति के स्वामित्व को औपचारिक रुप से दूरदर्शन को हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा न ही इस सम्बन्ध में अभीतक खरीद/बिक्री विलेख का पंजीकरण किया गया था (जनवरी 1991)।

जनवरी 1986 में स्वीकृत सरकारीएजेंसियों को बेची जाने वाली एशियाई सम्पत्तियों के निपटान के लिए लागत के अनुमोदित सिद्धांत के अनुसार काम्प्लैक्स में गैर आवासीय भवनों तथा आवासीय फलैटों के लागत मूल्य में, भूमि के अधिग्रहण की लागत, जैसी तथा जब निर्णित की जाये, भूमि के विकास की

वास्तविक लागत, भवन के निर्माण की लागत, 15 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार, प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण प्रभार तथा अवरुद्ध पूंजी परप्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सम्मविष्ट होंगे ।

अभिलेखों की जांच ने प्रदर्शित किया कि डायनिंग हाल तथा शापिंग काम्प्लैक्स के लिए प्रदत्त 8.13 करोड़ रुपये की राशि में "मध्यस्थों के विचाराधीन पंचाट मामलों पर आधारित आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान" के लिए 0.27 करोड़ रुपये शामिल थे । अनुरक्षण तथा ब्याज प्रभारों की राशियों को सुनिश्चय करने के लिए इसे भी हिसाब में लिया गया था । पंचाट मामले को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया था (जनवरी 1991) । क्योंकि व्यय वास्तव में दि वि प्रा द्वारा वहन नहीं किया गया था, इसे भवन के निर्माण की लागत तथा अनुरक्षण तथा ब्याज प्रभारों को सुनिश्चय करने के लिए निकाल दिया जाना चाहिए था । ऐसा करने में विफलता की परिणति दि वि प्रा को 42.49 लाख रुपये के अधिक भुगतान (दिसम्बर 1982 से 15 नवम्बर 1986 की अवधि के लिए अनुरक्षण तथा ब्याज के लिए 15.49 लाख रुपये शामिल करते हुए) में हुई । इसके अतिरिक्त, यद्यपि 15 अक्तूबर 1986 को दि वि प्रा को पांच करोड़ रुपये की राशि अदा की गई थी इसके बावजूद भी मंत्रालय ने 15नवम्बर 1986 तक निर्माण की लागत पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया । इसके परिणामस्वरुप पुनः दि वि प्रा को 5 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार से दि.वि.प्रा.को सम्पत्ति के लिए 47.49 लाख रु. की कुल राशि अधिक अदा की गई थी । दि.वि.प्रा. द्वारा निकाली गई निर्माण इत्यादि की लागत का भी दि.वि.प्रा. के मूल अभिलेखों से मंत्रालय/दूरदर्शन द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि चूंकि दि.वि.प्रा. ने स्वयं विवादों के सम्बन्ध में 0.27 करोड़ रु. का न्यूनतम दायित्व स्वीकार किया था जो विचाराधीन सम्पत्तियों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुए थे, यह राशि, लागत की संगणना करते समय शीघ्र अथवा देरी से किसी भी प्रकार, हिसाब में ली जानी थी । मंत्रालय ने 5 करोड़ रु. के ब्याज के भुगतान को भी इस तर्क पर न्यायोचित ठहराया कि किस्तों में भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु इस पर भी सरकार के आग्रह पर पूर्ण भुगतान से पहले, सम्पत्तियाँ दूरदर्शन को नहीं सौंपी गई थी ।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं था, चूंकि एशिया सम्पत्तियों के निपटान के लिए लागत के अनुमोदित सिद्धान्त के अनुसार, दि.वि.प्रा. को, किसी आकस्मिक देयताओं को छोड़कर, उनके द्वारा वहन किये गये केवल वास्तविक व्यय के सन्दर्भ में भुगतान किया जाना था । अवरुद्ध पूंजी

पर ब्याज केवल उस अवधि के लिये ही दिया जाना अपेक्षित था, जिसके लिए दि.वि.प्रा. की निधियां निवेशित पड़ी रहीः एक बार दूरदर्शन द्वारा दिविप्रा को भुगतान किया गया था, उसी राशि पर ब्याज के लिए भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

7. **बकाया देय राशि तथा ब्याज की गैर वसूली**

वाणिज्य प्रसारण सेवा, आकाशवाणी (आकाशवाणी), मुख्य चैनल पर वाणिज्य विज्ञापन प्रसारण संबंधी कार्य करती है (दिल्ली तथा रोहतक) । एजेंसियों से समझौते की शर्तों के अनुसार, आकाशवाणी मासिक बिल जारी करेगी तथा विज्ञापकों को सभी बिल तत्काल अदा करने अपेक्षित थे । प्रत्यायित एजेंसियों के मामले में भुगतान, प्रसारण की तिथि के आगामी मास की प्रथम तिथि से 45 दिनों के बीच अदा किया जाना था जबकि अप्रत्यायित एजेंसियों को प्रसारण से 15 दिन पहले अदा करना अपेक्षित था । एजेंसियों, विज्ञापनों तथा सभी संबंधित बिलों के भुगतान के लिए अलग अलग तथा विज्ञापकों के साथ संयुक्त रुप से जिम्मेदार थी । विभागीय विनियमों में यह भी व्यवस्था थी कि प्रत्येक मास के अंत पर, बकाया देय राशि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए बकाया बिलों का एक सार तैयार किया जाएगा तथा स्टेशन निदेशक द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जाएगा । प्रत्येक एजेन्ट के संबंध में बिलों में दर्ज कुल राशि तथा उनके प्रति प्राप्त हुई अदायगियों को दर्ज करने के लिए एजेंन्ट बही का बनाना भी आवश्यक है तथा नियमित अंतरालों और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐजेंसियों से अथवा उन को देय राशि की उनसे पुष्टि कराना अपेक्षित था ।

आकाशवाणी ने महीनेवार बकायों तथा बकाया बिलों का सार निकालने के लिए कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं रखा था । निर्धारित ऐजेंटों की बही भी नहीं बनाई थी । तथापि जुलाई 1990 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 1985-86 से 1989-90 तक 13 ऐजेंसियों के प्रति 13.77 लाख रुपये राशि के बिल बकाया थे जिसमें से 12.73 लाख रुपये सिर्फ विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से संबंधित थे । मार्च 1990 तक कुल बकाया भुगतानों पर ब्याज के रुप में 3.78 लाख रुपये वसूली योग्य बताए गए थे ।

निर्धारित समय के अंदर अदा न की गई राशियों पर जिस तिथि को भुगतान देय था से अगली तिथि से प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्रभार्य था । यह देखा गया कि 1987-88 से 1989-90 तक 406 मामलों में 3.32 लाख रुपये की ब्याज बिल राशियां नहीं उगाही गई थी हालांकि बिलों के भुगतान में देरी हुई थी ; देरी 1 से 24 महीने के बीच थी । इसके परिणामस्वरुप पार्टियों को अनुचित लाभ हुआ

जिसके लिए कोई कारण अभिलेख में नहीं थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आकाशवाणी को अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि अभिलेखों के अनुरक्षण तथा प्रेक्षण में ऐसी कमियां भविष्य में उत्पन्न न हों । बकाया प्राप्यों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरुप वि द्र प्र नि तथा अन्य एजेंसियों से 1.03 लाख रुपये की कुल वसूली की गई थी । इसके अतिरिक्त मार्च 1990 तक इन्हें परिकलित करने के पश्चात ब्याज बिल जारी कर दिए गए थे । मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि भविष्य में ऐसे बिल चूककर्त्ता एजेंसियों को मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे ।

8. निधियों का अवरोधन

दूरदर्शन ने जुलाई 1988 में, विदेशी मुद्रा में 2.93 लाख रुपये तथा 0.22 लाख रुपये के एजेंट कमीशन सहित 7.08 लाख रुपये की लागत पर अपनी केन्द्रीय निर्माण इकाई के लिए दृश्य ध्वनि सहित 35 मि मी फिल्मों के सम्पादन तथा प्रदर्शन के लिए एक 35 मि मी फिल्म तथा प्रदर्शन पटल खरीदा जिसमें से 0.04 लाख रुपये राशि का एजेंट कमीशन अभी भी देय था । खरीद, सीमित निविदा पूछताछ के प्रत्युत्तर में प्राप्त दो उद्धरणों के आधार पर, की गई थी तथा उपस्कर की 12 महीने की अवधि के लिए वारंटी थी ।

जुलाई 1989 में, पांच दिनों में 17 घंटों को छोड़कर उपस्कर प्रयुक्त नहीं किया गया था । इस प्रकार से खरीद की परिणति, निष्क्रिय निवेश तथा 7.04 लाख रुपये की राशि के निधियों के अवरोधन में हुई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर दूरदर्शन ने जून 1990 में बताया कि उपस्कर की नियमित रुप से जांच की जा रही थी तथा फिल्म आधारित निर्माण पहले से ही नियोजित किये जा रहे थे तथा उपस्कर लाभकारी होगा ।

मंत्रालय ने नवम्बर 1990 में स्वीकार किया कि उपस्कर बहुत कम उपयोग में लाया गया था । उन्होंने दावा भी किया कि अत्यधिक परिष्कृत दूरदर्शन स्टुडियो ढांचे में संस्थापित विभिन्न तकनीकी सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग समय व्यतिक्रम के बाद ही संभव था, जबकि यूनिट के लिए कार्यक्रम आयोजन वांछित स्तर पर स्थिर हो जाये ।

9. एक डीजल जैनरेटर सैट का चालू न किया जाना

सिविल निर्माण खण्ड, मंडल सं. 1 आकाशवाणी नई दिल्ली ने मई 1987 में अतिरिक्त पुर्जो सहित, 4.76 लाख रु. की कुल लागत पर केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र दूरदर्शन के लिये एक फर्म को एक 200 के.वी.ए. डीजल जैनरेटर सैट आपूर्त तथा स्थापित करने का आदेश दिया ।

सैट जुलाई 1987 में प्राप्त हुआ था तथा आपूर्तिकर्त्ता को 4.51 लाख रु. की आंशिक अदायगी जुलाई और दिसम्बर 1987 में की गई थी ।

करार के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता को सैट को सौंपने से पूर्व कम से कम 72 घंटे की अवधि हेतु पूरे लोड तथा बिना लोड, सैट के व्याधारहित संचालन का प्रदर्शन करना अपेक्षित था । वांछित जांच फरवरी 1988 में केवल आठ घंटे के लिये की गई थीं । मई 1988 में जांच अवधि के दौरान यह पाया गया था कि ईंजन 10 प्रतिशत अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम नहीं था तथा आल्टरनेटर के पुराने होने की शंका थी । मंडल ने जून 1988 में आपूर्तिकर्त्ता को सूचित किया कि आल्टरनेटर वांछित वोल्टेज विकसित करने में विफल हो गया था ।

करार में, ईंजन की साक्षी जांच आपूर्तिकर्त्ता के कार्यों में शामिल की जानी थी । सितम्बर 1990 में मंडल द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई तथा मंडल ने इसके लिए बाध्य नहीं किया था । मंडल ने बताया कि फर्म ने आल्टरनेटर जो कि सैट के स्थापित करने के बाद हुई जांच के दौरान जल गया था, हेतु किसी निर्माण दोष के प्रति 12 महीने की गारन्टी दी थी ।

मंडल को एक सैट किराये पर लेना पडा था जिसके लिये जुलाई 1990 तक एक संचालक के लिए प्रभारों सहित 0.72 लाख् रु. का व्यय किया जा चुका था ।

मंडल ने अगस्त 1990 में बताया कि आल्टरनेटर को आपूर्तिकर्त्ता की जोखिम व लागत पर बदलने के लिये कार्यवाही की जा रही थी । इसने फरवरी 1991 में और बताया कि 200 कि.वा. वाले नये आल्टरनेटर को स्थापित करने तथा आपूर्त करने हेतु कार्य, जनवरी 1991 में 1.82 लाख रु. के लिए एक ठेकेदार को सौंपा गया था ।

उपकरण की प्राप्ति पर उपकरण की जांच करने की अनिवार्य शर्त की अनुपालना को सुनिश्चित किये बिना 4.51 लाख रु. की अदायगी जारी करने की मंडल की कार्यवाही के परिणामस्वरुप वैकल्पिक सैट के किराये पर लेने के व्यय के अतिरिक्त 4.51 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ ।

मामला सितम्बर 1990 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 1991) ।

अध्याय IV

इस्पात एवं खान मंत्रालय

10. अप्रयुक्त पूंजीगत परिव्यय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (भा भू स) ने एक मैक्सीप्रोब इ एम आर 16 इलैक्ट्रो-मैगनैटिंग प्रोस्पैक्टिंग उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु महानिदेशक आपूर्ति तथा निपटान (म नि आ नि) को जनवरी 1984 में मांग पत्र भेजा । म नि आ नि ने प्रेषण के प्रमाण पर भुगतान किए जाने हेतु एक विदेशी फर्म को 1.80 लाख अमरीकी डालर (23.12 लाख रुपये) पर मई 1984 में एक आदेश भेजा । उपस्कर, भूभौतिकीय खोज हेतु भारत सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच अप्रैल 1981 के साख समझौते के अंतर्गत खरीदा गया था।

उपस्कर, भा भू स द्वारा जुलाई तथा सितम्बर 1984 में प्राप्त किया गया था । निबंधन तथा शर्तों के अनुसार फर्म को संस्थापन, प्रदर्शन तथा विशेष भूवैज्ञानिक समस्याओं के विषय प्रदर्शन के लिए भारत में अपने इंजीनियरों को भेजना था। विदेशी फर्म को टोरंटो में दो भा भू स अधिकारियों को निःशुल्क संयंत्र संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना था । लंबे पत्राचार के पश्चात अक्तूबर- नवम्बर 1986 में फर्म के इंजीनियर भारत आये तथा उपस्कर जांच करने की प्रक्रिया में, कुछ हिस्से पुर्जों को त्रुटिपूर्ण पाया । फर्म के अध्यक्ष ने त्रुटिपूर्ण हिस्से पुर्जों को बदलने हेतु लिखित वचन दिया परन्तु फर्म ने इसे स्वीकार नहीं किया । भा भू स ने भ्रमण दल के लिए हवाई टिकटों पर 0.84 लाख रुपये तथा आवास एवं भोजन पर 0.15 लाख रुपये खर्च किए । उपस्कर की संस्थापना तथा त्रुटिपूर्ण हिस्से पुर्जों के बदलने का मामला भा भू स तथा म नि आ नि दोनों द्वारा फर्म के साथ जुलाई 1987 में उठाया गया था, परन्तु फर्म ने उत्तर नहीं दिया । विदेशी उच्चायुक्त के साथ मामला उठाये जाने के पश्चात भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। न तो भा भू स द्वारा न ही म नि आ नि द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई थी।

मंत्रालय ने अगस्त 1990 में बताया कि भा भू स उपस्कर के लगाये जाने पर त्रुटिपूर्ण हिस्से पुर्जों की गैर आपूर्ति, संचालन तथा उपस्कर के विषय प्रदर्शन के कारण एक किलोमीटर से अधिक की अपनी प्रक्षेपण क्षमता के स्थान पर, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 350 मीटर गहराई तक आंकड़े एकत्रित करने में सक्षम था । मंत्रालय ने पुनः बताया कि म नि आ नि द्वारा किए गए एक करार की धाराओं के लागू होने के कारण भा भू स को बाधा हुई थी जिनके अनुसार

उपस्कर की संतोषजनक संस्थापना, जांच तथा संचालन के अधीन भुगतान सुनिश्चित करने के स्थान पर, जहाजी लदान के प्रमाण पर भुगतान जारी किया जाना था । फर्म को काली सूची में रखने तथा कानूनी कार्यवाही के माध्यम से 90,000 अमरीकी डालर की राशि तक के कम्प्यूटर, सौफ्ट वेयर तथा अन्य प्रासंगिकों की लागत की वसूली की संभावना का पता लगाना, विचार किए गए अन्य उपाय थे।

इस प्रकार, 1984 में आयात किया गया, 23.12 लाख रुपये के मूल्य का एक उपस्कर पिछले छः वर्षों से अवप्रयुक्त पड़ा रहा ।

इस्पात एवं खान / शहरी विकास मंत्रालय

11. हैदराबाद में आवासीय मकानों का निर्माण

भारत सरकार ने, हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (भा भू स) के अधिकारियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण हेतु, जुलाई 1983 में 407.29 लाख रुपये संस्वीकृत किये । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) ने मार्च 1984 से जुलाई 1985 के दौरान 428 मकानों (टाईप-I से 5) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तथा जून 1985 से जनवरी 1988 के दौरान सिविल कार्यों को सम्पूर्ण कर दिया । आंतरिक जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्थाएं सिविल निर्माण कार्यों सहित पूरी कर ली गई थी तथा बाह्य जल निकासी कार्य दिसम्बर 1985 तक सम्पूर्ण किये गये थे । पंखों को लगाने के सिवाय विद्युत कार्य भी अगस्त 1988 तथा फरवरी 1989 के बीच सम्पूर्ण कर लिए थे । कार्यों पर किया गया कुल व्यय 420.64 लाख रुपये था।

तथापि, मकान, जल तथा विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण गैर कब्जा पड़े रहे (जून 1990)। वेतन समय- मानों के न्यूनतम आधार पर परिकलित की गई 428 खाली मकानों पर लाईसेंस फीस की हानि 11.21 लाख रुपये तक तथा मकान किराये भत्ते पर परिहार्य भुगतान 50.26 लाख रुपये की राशि तक होगा (जनवरी 1986 से जून 1990)।

मकानों के निर्माण हेतु समझौतों में अनुबद्ध था कि ठेके की अवधि के दौरान निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री तथा मजदूरी के मूल्यों में वृद्धि का भुगतान ठेकेदार को होना चाहिए । (i) सामग्रियों की आपूर्ति (तीन से 15 माह) तथा (ii) डिजाईनों तथा ड्रांइगों के संप्रेषण (ढाई माह) के विलम्ब के कारण अवधि विस्तार अनुमत किये गये थे । विलम्बों के हेतु कारण सामग्रियों की अनुपलब्धता पर आरोपित किये गये थे । भंडार लेखों से लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि जिस अवधि के दौरान समय वृद्धियां अनुमत की गई थीं निर्माण सामग्री 10 मास (अक्तूबर 1985 से जुलाई 1986) की अवधि के

लिए उपलब्ध थी । 10 माह की अवधि (अगस्त 1986 से मई 1987) के लिए भंडार उपलब्ध नहीं थे । इस समय बढ़ाई गई अवधियों के दौरान ठेकेदारों को सामग्री तथा मजदूरी के मूल्यों में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के प्रति 8.76 लाख रुपये भुगतान किये गये थे । यदि सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए उचित अग्रिम योजना की गई होती तथा ड्राईगों के संप्रेषण में विलम्ब से बचा गया होता तो वृद्धि भुगतान को बचाया जा सकता था।

मामला मंत्रालयों को अगस्त 1990 में संप्रेषित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1990)।

अध्याय V

भूतल परिवहन मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

12. एक पुल का निर्माण

सितम्बर 1982 में, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय ने, 48.64 लाख रुपये की एक अनुमानित लागत पर, (सितम्बर 1984 में 84.25 लाख रुपये तक संशोधित) राज्य सरकार को, सहायक अनुदान के एक अंश के रुप में, एक स्थल पर एक स्थाई पुल का निर्माण संस्वीकृत किया । मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्माण हेतु करार, 82.60 लाख रुपये की लागत पर 30 जून 1984 में सम्पूर्ण किया गया था, जिसके अनुसार कार्य, अगस्त 1987 तक पूरा किया जाना था ।

करार के अनुसार, ठेकेदार को, बैंक गारंटियों के प्रति अक्तूबर 1984 में 8.26 लाख रुपये के संग्रहण अग्रिम का भुगतान किया गया था। ठेकेदार को, किये गये निर्माण कार्य के लिए दस चालू खाते भुगतानों की अदायगी की गई थी, 23.43 लाख रुपये की राशि का अंतिम भुगतान 5 जुलाई 1988 में हुआ था । विभाग द्वारा रेखाचित्रों के अनुमोदन में लिए गए समय, असामान्य वर्षा एवं बाढ़ तथा विभाग द्वारा नींव स्तर के अनुमोदन के कारण ठेकेदार को दिसम्बर 1988 तक, समय वृद्धि प्रदान की गयी थी । नोटिसों के जारी किये जाने के बावजूद चूंकि कार्य में कोई प्रगति नहीं थी, 22 दिसम्बर 1988 को जबकि कार्य की प्रगति 34.69 प्रतिशत थी उसके जोखिम तथा लागत पर करार रद्द किया गया था । पुरानी करार दरों पर बाकी छोड़े गए कार्य की लागत, 53.95 लाख रुपये थी तथा 32.82 लाख रुपये का व्यय लेखाबद्ध किया गया था ।

1986-87 के दौरान तकनीकी परीक्षक (त प) द्वारा कार्य की परीक्षा तथा जून 1988 से अप्रैल 1989 तक तीन जांच न्यायालयों द्वारा की गई जांच पड़तालों से भी यह पता चला कि जोड़ बाहर उभर आये थे, दोनों किनारे चटक गये थे तथा बरीक बारीक दरारें उत्पन्न हो गई थीं। इसकी सीधाई भी संदिग्ध थी । त प द्वारा सुझाए गए उपचारी उपाय उचित रुप से कार्यान्वित नहीं किये गये थे । आगे, पुल के एक भाग के लिए नींव आर एल 85.00 के बजाए आर एल 89.3 पर डाली गई थी । एक न्यायालय जांच ने इस संबंध में तीन अधिकारियों को उनकी गलतियों के लिए दोषी ठहराया (जुलाई 1988) तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी । आर एल 89.3 पर डाली गई नींव के संरक्षण के लिए, अतिरिक्त निर्माण कार्य अन्य न्यायालय जांच द्वारा

1989 में 5.93 लाख रुपये पर अनुमानित किया गया था । इस न्यायालय जांच ने नई निविदाओं में नींव के संरक्षण हेतु अतिरिक्त कार्य को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की ।

मुख्य अभियन्ता ने मई 1990 में लेखापरीक्षा को बताया कि जोखिम तथा लागत निविदा का तकनीकी भाग खोल लिया गया था तथा मूल्य वाला भाग निविदा की शर्तों के निपटान के पश्चात खोला जाएगा । संग्रहण अग्रिम में से, 2.55 लाख रुपये अभी वसूल किया जाना था क्योंकि ठेकेदार ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था।

सीमा सड़क विकास मंडल ने, त प द्वारा सुझाए गये उपचारी उपायों के परिपालन में विफलता पर टिप्पणी करते हुए अक्तूबर 1990 में बताया कि ठेकेदार को सुधारात्मक तथा संरक्षात्मक उपायों का निष्पादन करने हेतु आदेश दिया गया था परन्तु वह इसको संतोषजनक रुप से करने में विफल रहा तथा बाद में कार्य छोड़ दिया । इसने आगे बताया कि उपचारी उपाय जोखिम तथा लागत निविदा में व्यवस्थित किये गये हैं ।

निष्कर्ष में:

- विभाग, नींव का सही मापन लेने, तथा निष्पादन स्तर पर इस कार्य का प्रभावी रुप से पर्यवेक्षण करने में भी विफल रहा जिसके कारण नींव के संरक्षण हेतु 5.93 लाख रुपये की लागत का अतिरिक्त कार्य आवश्यक हुआ ।

- त प द्वारा दरारों इत्यादि के लिए सुझाए गए उपचारी उपायों के परिपालन में विफलता थी ।

- विभाग ने पुल के लिए करार को अंतिम रुप देने में 21 माह लगाए ।

करार रद्द होने के ड़ेढ वर्षों के अंतराल के पश्चात भी, छोड़ा गया निर्माण कार्य तथा नींव के संरक्षण हेतु अतिरिक्त कार्य का ठेका अभी किया जाना था।

(सड़क प्रभाग)

13 पुनः निविदा के कारण अतिरिक्त व्यय

कुरुक्षेत्र जिले में 166 से 171 कि. मी. के शेरशाह सूरी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1) को मजबूत बनाने / किनारे सुदृढ़ करने के लिए 12.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, पत्थर सामग्री की आपूर्ति हेतु, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा, करनाल द्वारा जनवरी 1986 में निविदाएं खोली गई थीं । 12.81 लाख रुपये का ठेकेदार "क" का प्रस्ताव न्यूनतम था जो कि समझौतावार्ता के पश्चात 12.70 लाख रुपये तक और कम किया गया था । मामला मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) के अनुमोदन हेतु फरवरी- मार्च 1986 में, अधीक्षण अभियन्ता को भेजा गया था । मु. अ. ने 28 मार्च 1986 को बिना अनुमोदन निविदाएं वापिस कर दीं तथा विस्तृत प्रचार हेतु उनके पुनः आमंत्रण का परामर्श दिया ताकि उचित

दरें सुनिश्चित की जा सकें ।

निविदाएं जून 1986 में पुनः आमंत्रित की गई थीं । ठेकेदार "ख" की एक मात्र निविदा (तीन महीनों के लिए वैध) 13.68 लाख रुपये पर प्राप्त की गई थी । बातचीत के बाद, ठेकेदार ने इसे 13.40 लाख रुपये तक कम कर दिया । कार्यकारी अभियन्ता ने, बाजार दरों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दृष्टि से, अधीक्षण अभियन्ता को जुलाई 1986 में ठेकेदार "ख" की वार्ता द्वारा तय की गई दरें शीघ्र स्वीकृत करने की सिफरिश की । तथापि, निविदाओं को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका था, क्योंकि ठेकेदार ने, जनवरी 1986 में ठेकेदार "क" द्वारा प्रस्तावित दरों की सीमा तक दरों को पुनः कम करने से इंकार कर दिया । ठेकेदार से वैध अवधि को बढ़ाने के लिए कहा गया था (सितम्बर 1986) परन्तु उसने इंकार कर दिया।

कार्य के विभाजन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, अधीक्षण अभियन्ता ने 16 दिसम्बर 1986 को तीन भागों में निविदा आमंत्रित करते हुए विस्तृत नोटिस अनुमोदित कर दिया जिसके लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे । मार्च 1987 में नई निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई तथा 29 अप्रैल 1987 में खोली गई थीं । निर्माण कार्य के दो भाग 6.07 लाख रुपये तथा 4.94 लाख रुपये पर ठेकेदार "ख" को तथा तीसरा भाग 5.47 लाख रुपये पर ठेकेदार "क" को जुलाई 1987 में आबंटित किये गये थे । विभाग द्वारा अंतिम रुप से प्राप्त मात्राओं पर आधारित, ये तीन करार जनवरी 1989, मार्च 1988 तथा अप्रैल 1988 में क्रमशः 5.80 लाख रु., 4.77 लाख रुपये तथा 5.40 लाख रुपये की लागत पर सम्पूर्ण किये गये थे ।

जनवरी 1986 में ठेकेदार "क" के बातचीत द्वारा तय न्यूनतम प्रस्ताव की अस्वीकृति तथा बाद में, कार्य को तीन भागों में विभाजित करने के परिणामस्वरुप विभाग को की गई वास्तविक आपूर्तियों के संदर्भ में 3.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था । जून 1986 में ठेकेदार "ख" के वार्ता द्वारा तय प्रस्ताव की तुलना में अतिरिक्त व्यय 2.99 लाख रुपये तक होगा ।

मामला राज्य सरकार तथा मंत्रालय को क्रमशः जून 1989 तथा मई 1990 में सूचित किया गया था । विभाग ने बताया (दिसम्बर 1989) कि चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई की जा रही थी । मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990)।

14. ह्यूम पाईपों की अविवेकपूर्ण खरीद

राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, मंगलौर, कर्नाटक लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग नं: 48 के सुधार के लिए जनवरी 1986 में 6.01

लाख रुपये से 1000 मि मी व्यास के 190 ह्यूम पाईप खरीदे थे। खरीद संस्वीकृत अनुमान पर आधारित थी तथा सारी लागत " ब्राहमारा कूटलू के समीप 330.525 कि मी से 332.520 कि मी तक रा रा 48 का सुधार " कार्य को प्रभारित की गई थी । परन्तु निर्माण कार्य में वास्तविक रुप से केवल 72 पाईप प्रयुक्त किए गए थे। जब लेखापरीक्षा में यह इंगित किया गया तो मंडल अधिकारी ने मार्च 1990 में उत्तर दिया कि 23 पाईप अन्य कार्य में प्रयुक्त किये गए थे । शेष 3 लाख रुपये लागत के 95 पाईपें प्रयुक्त नहीं किए गए थे (मार्च 1990)। इस प्रकार, तत्काल आवश्यकता से अधिक पाईपों की खरीद के परिणामस्वरुप 3 लाख रुपये की निधियों का चार वर्षों से अधिक समय तक अवरोधन हुआ था (मार्च 1990)।

मामला मंत्रालय को फरवरी 1990 में सूचित किया गया था। मंत्रालय ने नवम्बर 1990 में बताया कि उपरोक्त कार्य के प्रति बकाया अप्रयुक्त 118 पाईपों में से 29 पाईप (1989-90 के दौरान 23 तथा जून 1990 में 6) अन्य निर्माण कार्य मे प्रयुक्त किए गए थे, शेष, अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने थे । यह भी बताया गया था कि वास्तविक आवश्यकता तथा मूल निर्धारण के बीच इस प्रकार का अधिक अंतर पूर्वानुमानित नहीं था क्योंकि कमी का पता केवल कार्य के निष्पादन के दौरान लगा था।

अध्याय VI

कपड़ा मंत्रालय

15. शिल्प संग्रहालय का निर्माण

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (भा व्या मे प्रा) को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में शिल्प संग्रहालय भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए मार्च 1982 (51.90 लाख रुपये) तथा मार्च 1983 (13 लाख रुपये) में 64.90 लाख रुपये जारी किए थे । प्रस्तावित भवन का स्थल कृषि तथा निर्माण एवं आवास मण्डपों के पुनः अवस्थापन द्वारा उपलब्ध कराया जाना था । भवन का अभिकल्प इस प्रकार का होना चाहिए था जिस में गुजरात की एक पुरानी उत्कीर्ण लकड़ी की " हवेली " अंतग्रहित हो जाए तथा इस उद्देश्य के लिए अहमदाबाद में उत्कीर्ण लकड़ी के भवन " जावेरी हवेली" की खरीद के लिए सौदा किया गया था ।

अगस्त 1982 में संग्रहालय भवन के अभिकल्प तैयार करने का कार्य एक वास्तुकार को सौंपा गया था । शिल्प संग्रहालय का निर्माण, जैसा कि विनिर्दिष्ट था, हाथ में लिया नहीं जा सका था क्योंकि कृषि मंत्रालय, संग्रहालय भवन के निर्माण के लिए अपने मण्डप का स्थल उपलब्ध कराने के लिए सहमत नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त, 1983 के प्रारंभ में गुजरात सरकार द्वारा " "जावेरी हवेली " एक सुरक्षित स्मारक घोषित कर दी गई थी तथा इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था । ऐसा होने पर, कृषि मण्डप द्वारा अधिकृत क्षेत्र को छोड़ते हुए उसी स्थल पर निर्माण को सीमित करते हुए वास्तुशिल्पीय अभिकल्प में संशोधन करने के द्वारा निर्माण कार्य हाथ में लेने तथा नए अभिकल्पों में, अधिग्रहण की जाने वाली अन्य " हवेली " के परिमापों को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया था ।

तदनुसार, फरवरी 1985 में वास्तुकार से वास्तुशिल्पीय अभिकल्प तथा योजनाओं का संशोधन करने के लिए निवेदन किया गया था । वास्तुकार जिसने तब तक, भूमिखण्ड क्षेत्र जिसमें कृषि मण्डप सम्मिलित था, के मध्यनजर अभिकल्प तथा आरेखण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया था, ने अपने द्वारा पहले ही किए गए कार्य हेतु भुगतान के लिए आग्रह किया । विभाग ने अक्तूबर 1985 में वास्तुकार को योजनाओं तथा अभिकल्प जोकि अनावश्यक हो गए थे, को तैयार करने हेतु 1.24 लाख रुपये अदा किए थे।

संग्रहालय भवन के दूसरे चरण के निर्माण का प्रारंभ (स्तंभ नींव कार्य) केवल अप्रैल 1987 में भा व्या मे प्रा को निधियां जारी

करने के लगभग पांच वर्षों के पश्चात हाथ में लिया गया था ।

मामले से पता चलता था कि स्थल की उपलब्धता से पहले, ही हस्तशिल्प भवन के निर्माण के लिए मार्च 1982 तथा मार्च 1983 के दौरान 64.90 लाख रुपये राशि की निधियों के निर्मोचन के परिणामस्वरुप आरेखण तैयार करने हेतु वास्तुकार को 1.24 लाख रुपये के निष्फल भुगतान के अतिरिक्त, लगभग पांच वर्षों तक निधियों का अवरोधन हुआ था ।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि कृषि मंत्रालय की भूमि की अनुपलब्धता तथा गुजरात सरकार द्वारा पाबंदी लगाये जाने के कारण पहले से संस्वीकृत हुई सारी योजना को संशोधित करना पड़ा था । घटना चक्र विभाग के नियंत्रण से बाहर था तथा इस तरह भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के पास निधियां अवरुद्ध रहीं थीं । उसने पुनः बताया कि सारी निधियों का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है तथा भवन के दूसरे चरण का निर्माण लगभग पूरा हो गया था ।

अध्याय VII

शहरी विकास मंत्रालय

16. नई दिल्ली के अक्षर मुद्रणालयों की कार्यप्रणाली

16.1 प्रस्तावना

सरकारी प्रकाशनों के मुद्रण कार्यों के निष्पादन के लिए मुद्रण निदेशालय के पूर्ण नियंत्रण में, भारत सरकार के मुद्रणालय विभागीय रुप से प्रबंधित उपक्रम हैं । मुद्रणालय सरकार की मुद्रण आवश्यकताओं को "न लाभ-न हानि" के आधार पर पूरा करते हैं ।

अक्षर मुद्रणालय में कम्पोजिंग मिश्र धातु के बने टाइप से और मुद्रण, आफसैट मुद्रणालय से भिन्न, जहां कम्पोजिंग फोटो सैटिंग द्वारा और छपाई आफसैट छपाई मशीन द्वारा की जाती है, अक्षर छपाई मशीन के द्वारा की जाती है ।

16.2 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

मिन्टो रोड तथा रिंग रोड के अक्षर मुद्रणालयों की 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि की कार्यप्रणाली की समीक्षा, लेखापरीक्षा में मई से जुलाई 1990 के दौरान की गई थी ।

तथ्यों की पुष्टि एवं टिप्पणियां देने के लिए प्रारुप समीक्षा की प्रति अक्तूबर 1990 में मंत्रालय को भेजी गई थी । जबकि मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था मुद्रण निदेशालय ने अप्रैल 1991 में टिप्पणियां दी, जिन्हें समीक्षा को अंतिम रुप देते समय पूरे ध्यान में रखा गया था ।

16.3 संगठनात्मक ढांचा

मुद्रणालय तंत्र के माध्यम से सरकार के कार्यों को करवाने हेतु, शहरी विकास मंत्रालय से संलग्न, मुद्रण निदेशालय एक नोडल एजेंसी हैं । प्रत्येक मुद्रणालय प्रबंधक के नेतृत्व में है जिसमें मिन्टों रोड मुद्रणालय में 1771 औद्योगिक कामगार और 289 गैर औद्योगिक कामगार तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 1184 औद्योगिक कामगार और 243 गैर औद्योगिक कामगार हैं (मार्च 1990)। विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई छपाई की मांग को, कार्य के प्रकार जिसमें प्रत्येक मुद्रणालय अत्यधिक उपयुक्त और सक्षम होता है,को ध्यान में रखकर, विभिन्न मुद्रणालयों को आबंटित किया जाता है ।

16.4 विशिष्टताएं

- 1986-90 के दौरान मानी गई क्षमता की तुलना में, मुद्रण मशीनों की उपयोगिता, क्षमता, मिन्टो रोड और रिंग रोड मुद्रणालय में क्रमशः 19 प्रतिशत

तथा 33 प्रतिशत थी। मिन्टो रोड मुद्रणालय ने 1700 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ था। मेक रेडी प्रचालन, अनुमत 20 प्रतिशत के प्रति उपलब्ध मशीन घण्टों का 31 से 60 प्रतिशत बनता था।

क्षमता के कम उपयोग रहने के बावजूद 1986-90 के दौरान 6731 लाख रुपये की लागत से 1634 जॉब निजी मुद्रणालय द्वारा निष्पादित करवाये गए । मुद्रण निदेशालय द्वारा निज़ी मुद्रणालयों के माध्यम से निष्पादित करवाये गए मुद्रण कार्यों के लिए मांगकर्ता विभागों से 40.89 लाख रुपए वसूली योग्य थे ।

प्रोफार्मा लेखों के विलम्ब से तैयार करने के परिणामस्वरुप जॉब के वास्तविक आधार पर बिल नहीं बनाये गए। लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार लागत के आधार पर पूरक बिल, जॉब के पूरे होने के पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत किये गए थे।

31 मार्च 1990 को मिन्टो रोड तथा रिंग रोड मुद्रणालयों में 458.18 लाख रुपए तथा 922.57 लाख रुपए के प्राप्य मांगकर्त्ता विभागों से क्रमशः 1976-77 से 1989-90 तक की अवधि के लिए वसूली हेतु लम्बित पड़े थे । अक्तूबर 1985 से अगस्त 1987 के दौरान किए गए 5614 कार्यों के लिए रिंग रोड मुद्रणालय द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये गए थे ।

- मिन्टो रोड मुद्रणालय में भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान उद्घाटित कमियों व अधिकता को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियमित नहीं किया गया था । मिन्टो रोड मुद्रणालय में जड़ स्टॉक एवं लघु संयंत्रों को शामिल करते हुए निर्धारित पंचवर्षीय स्टॉक की जांच, 1975 से नहीं हुई थी ।
- मिन्टो रोड मुद्रणालय की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरुप 52.24 लाख रुपए की लागत का 3064 क्विंटल धातुमल 1987 से, बिना निपटान पड़ा रहा । मिन्टो रोड मुद्रणालय द्वारा धातु मल अवशेष के निपटान हेतु ठेके के नियमों व शर्तों के प्रवर्तन न करने के फलस्वरुप 4.28 लाख रुपए की हानि हुई ।
- मिन्टो रोड मुद्रणालय की अक्षर मुद्रणालय इकाई में क्षमता उपयोग की बढ़ौतरी के लिए कोई व्यवहार्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

16.5 निष्पादन

16.5.1 कम्पोजिंग मशीनः विभिन्न अक्षर

मुद्रणालयों की लिनो और मोनो की बोर्ड मशीनों की वास्तविक मशीनी कम्पोजिंग क्षमता, मुद्रण निदेशालय द्वारा, संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न मदों जैसे विश्राम, अनुपस्थिति, तेल देना तथा सफाई इत्यादि के कारण समय की हानि के लिए छूट देते हुए 1986 में निर्धारित की गई थी । उनकी कम्पोजिंग क्षमता का निर्धारण क़रते समय, लिनो मशीन के मामले में कुल समय के 30 प्रतिशत (सिवाय मिन्टो रोड के जहां पर यह 40 प्रतिशत होगी) तथा मोनो की बोर्ड मशीनों के मामले में 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी । मिन्टो रोड मुद्रणालय में, 34 लिनो तथा 26 मोनो की बोर्ड मशीनों के सम्बन्ध में 2 पारियों के लिए कम्पोजिंग क्षमता 2.58 लाख क-5 पृष्ठ निर्धारित की गई (आकार 14.86 से.मी. x 21.02 से.मी.) जब रिंग रोड मुद्रणालय में 22 लिनो तथा 24 मोनो-की बोर्ड मशीनों के सम्बन्ध में 1.79 लाख क-5 पृष्ठ निर्धारित की गई थी।

1986-87 से 1989-90 के दौरान मशीनों की निर्धारित कम्पोजिंग क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन मिन्टो रोड मुद्रणालय में 38 से 72 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 62 से 78 प्रतिशत तक का अन्तर था ।

1986-87 से 1989-90 के दौरान मिन्टो रोड मुद्रणालय में उपलब्ध मशीन घंटों के प्रति निष्क्रिय घंटे लिनो में 59 से 67 प्रतिशत तथा मोनो की-बोर्ड मशीनों में 34 से 44 प्रतिशत थे । रिंग रोड मुद्रणालय में उसी समय के दौरान लिनो के मामले में 51 से 59 प्रतिशत के बीच तथा मोनो की-बोर्ड मशीनों के संबंध में 13 से 19 प्रतिशत थे।

निष्क्रिय घंटों के कारण-वार विवरणों से प्रकट हुआ कि 1986-87 से 1989-90 के दौरान कुल निष्क्रिय मशीन घंटों की मशीनी कमियों को मिन्टों रोड मुद्रणालय में 31 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 26 प्रतिशत तक गणना में लिया गया। मशीनी कमियों के कारण मशीन घंटों की हानि, मुद्रणालयों द्वारा अपनाये गये अप्रभावी अनुरक्षण उपायों की सूचक थी ।

मशीनों की क्षमता का निर्धारण करते हुए 12 प्रतिशत छूट के प्रति, 1986-87 से 1989-90 के दौरान, अनुपस्थिति के कारण मशीन घंटों की हानि, मिन्टो रोड मुद्रणालय में लिनो तथा मोनो की बोर्ड मशीनों में कुल मशीनी घंटों के 16 से 21 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 20 से 25 प्रतिशत के बीच रही ।

मशीनों की क्षमता का निर्धारण करते हुए 5 प्रतिशत की छूट के प्रति, 1986-87 से 1989-90 के दौरान लाइनर मेजर तथा मैगेजीन परिवर्तन पर बिताए गए घंटे मिन्टों रोड मुद्रणालय में 7 से 8 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 9 से 12 प्रतिशत के बीच रहे थे।

मुद्रण निदेशालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि मिन्टों रोड मुद्रणालय में उपरोक्त स्थिति

के अवप्रेरण कारण ये रहे हैं कि लिनो /मोनो मशीनें अपने सामान्य जीवन के चर्मोत्कर्ष अवधि तक चल चुकी हैं । अधिकतर मामलों में मशीने मरम्मत योग्य नहीं हैं। रिंग रोड मुद्रणालय के मामले में, निष्क्रिय मशीन घंटों में फालतू पुर्जे जो कि मूल पुर्जों से असामान्य रुप में बड़े थे और देश में उपलब्ध नहीं थे, को प्राप्त करने मे लिया गया समय शामिल है ।

16.5.2 मुद्रण मशीनें : भारत सरकार के मुद्रणालयों में स्थापित की गई कार्य करने योग्य मशीनों की क्षमता का निर्धारण सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखकर और विभिन्न मदों जैसे मेक रैडी प्रचालन, विश्राम और अनुपस्थिति आदि के कारण समय की हानि के लिए उदारतापूर्ण आधार पर छूट देते हुए मुद्रण निदेशालय द्वारा 1986 में किया गया था । मिन्टों रोड मुद्रणालय को 45 मशीनों के संबंध में कुल वार्षिक क्षमता दो पारियों में 1385.89 लाख अंकन, तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 33 मशीनों के मामले में 1255.70 लाख अंकन आंकी गई थी ।

1986-87 से 1989-90 के दौरान निर्धारित क्षमता की तुलना में मिन्टों रोड मुद्रणालय में मशीन क्षमता उपयोग 16 से 19 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 28 से 33 प्रतिशत था जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	निर्धारित क्षमता (शीट अंकन लाखों में)		वास्तविक उत्पादन		उपयोग की प्रतिशतता	
	* मिं रो	** रिं रो	मिं रो	रिं रो	मिं रो	रिं र
1986-87	1385.89	1255.70	264.10	420.48	19	32
1987-88	1385.89	1255.70	219.69	381.47	16	30
1988-89	1385.89	1255.70	241.06	351.84	17	28
1989-90	1385.89	1255.70	255.25	413.58	18	33

* मिं रो मिन्टो रोड़ मुद्रणालय

** रिं रो रिंग रोड़ मुद्रणालय

निदेशालय ने (मई 1990) कम उत्पादन को इस तथ्य पर आरोपित किया कि मशीनें अपने सामान्य जीवन काल से ज्यादा चल चुकी थीं और अक्षर मुद्रणालयों में होने वाली रिक्तियां भरी नहीं जा रही थीं । तथापि, मिन्टो रोड मुद्रणालय में 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान संस्वीकृत कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मियों की कमी क्रमशः 29 तथा 37 प्रतिशत थी जबकि इन वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग केवल 17 तथा 18 प्रतिशत था । रिंग रोड मुद्रणालय के बारे में, संस्वीकृत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों की कमी 1987-88 में 1.4 प्रतिशत तथा 1989-90 में 8.9 प्रतिशत थी । क्षमता उपयोग असमानुपातिक रुप से कम था, जो 1986-87 से 1989-90 के दौरान 28 से 33 प्रतिशत के बीच रहा । निदेशालय ने पुनः बताया (अप्रैल 1991) कि कई कठिनाईयों के कारण उपचारी कार्यवाही करना हमेशा संभव नहीं था तथा मिन्टों रोड मुद्रणालय में मशीन की क्षमता 1 अप्रैल 1990 से प्रतिवर्ष 71 प्रतिशत से 400 लाख अंकनों तक कम आंकलित की गयी थी । कम आंकलन क्षमता के संदर्भ में भी अप्रैल-दिसम्बर 1990 की अवधि के दौरान उपयोग जैसे कि निदेशालय द्वारा बताया गया था, केवल 41 प्रतिशत था।

16.5.3 लेखापरीक्षा में जांच से पता चला था कि कर्मचारियों की कमी के अलावा निष्पादन में गिरावट, मेक रेडी आपरेशन, बेकार समय तथा अनुपस्थिति के कारण मशीन घंटों की हानि के कारण थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है :

(i) मेक रेडी आपरेशन : 1986-87 से 1989-90 के दौरान मेक रेडी आपरेशन पर लगाया गया समय क्षमता निर्धारण करते समय अनुमत किए गए 20 प्रतिशत के प्रति मिन्टों रोड मुद्रणालय में उपलब्ध मशीन घंटों का 41 से 60 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 31 से 36 प्रतिशत बनता था ।

(ii) निष्क्रिय मशीन घंटे : 1986-87 से 1989-90 वर्षों में दो मुद्रणालयों में निष्क्रिय मशीन घंटों के विवरण निम्नानुसार थे :

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे		उपयोग में लाए गए मशीन घंटे		निष्क्रिय मशीन घंटे		उपलब्ध मशीन घंटों के प्रति निष्क्रिय मशीन घंटों की प्रतिशतता	
	मिं रो*	रिं रो**	मिं रो	रिं रो	मिं रो	रिं रो	मिं रो	रिं रो
1986-87	153562	105865	106741	87112	4682	118753	30	18
1987-88	103927	101933	98627	81718	5300	20215	5	20
1988-89	95976	103233	84760	77889	11216	25344	12	25
1989-90	89515	115666	83796	88183	5719	27483	6	24

मिं रो * मिंटो रोड मुद्रणालय

रिं रो ** रिंग रोड मुद्रणालय

1986-87 से 1989-90 के दौरान उपलब्ध मशीन घंटों के प्रति निष्क्रिय मशीन घंटे मिन्टों रोड मुद्रणालय में 5 से 30 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 18 से 25 प्रतिशत के बीच थे । 1986-87 से 1989-90 के दौरान अकेले यांत्रिक तथा विद्युतीय त्रुटियां ही कुल निष्क्रिय मशीन घंटों का मिंटो रोड मुद्रणालय के संबंध में 90 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय के संबंध में 62 प्रतिशत बनती थीं ।

(iii) अनुपस्थिति : क्षमता उपयोग के आंकलन के समय लिए गए 12 प्रतिशत के प्रति, 1986-87 से 1989-90 के दौरान अनुपस्थिति के कारण खराब हुए घंटे मिंटो रोड मुद्रणालय में 16 से 30 प्रतिशत तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 16 से 21 प्रतिशत के बीच थे।

प्रबंधकीय नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से निदेशालय द्वारा प्रबोधन करने के बावजूद, क्षमता उपयोग का प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था ।

क्षमता के समग्र रुप से कम उपयोग रहने के बावजूद, कार्य निजी मुद्रकों के माध्यम से निष्पादित कराया गया था । निजी मुद्रकों के माध्यम से निष्पादित कार्यों की संख्या तथा मुद्रण निदेशालय द्वारा 1986-87 से 1989-90 के

दौरान इन पर वहन किया गया व्यय निम्नानुसार था :-

वर्ष	निष्पादित कार्यों की संख्या	व्यय
		(लाख रुपयों में)
1986-87	443	14.98
1987-88	433	14.45
1988-89	435	17.00
1989-90	323	20.88
जोड़	1634	67.31

निदेशालय द्वारा प्रारंभिक रुप से मुद्रण कार्यों पर किया गया भुगतान, मांगकर्ता विभागों से वसूल किया जाना होता है । यह देखा गया था कि मार्च 1990 तक मांगकर्ता विभागों के प्रति 1977-78 से 1989-90 तक 40.89 लाख रुपये की राशि बकाया थी ।

विभिन्न निजी मुद्रकों को दिए गए मुद्रण कार्यों के संबंध में, मुद्रण हेतु कागज उन्हें निदेशालय द्वारा आपूर्त किया जाता है । तथापि, 1985 तथा 1987 के दौरान विभिन्न निजी मुद्रकों को दिए गए 50 मुद्रण कार्यों की लेखापरीक्षा में जांच करने पर यह पता चला था कि नौ मामलों में, जिन के लिए ठेके 1985 के दौरान दिए गए थे, निजी मुद्रकों ने कार्यों के समापन के पश्चात अप्रयुक्त कागज वापिस नहीं किए थे । निदेशालय ने भी लगभग 0.65 लाख रुपये कीमत के अप्रयुक्त कागज की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी । निदेशालय को मई 1990 में इसी प्रकृति के अन्य सभी मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया था जहां अप्रयुक्त कागज निजी मुद्रकों के पास पड़े हुए थे । निदेशालय ने बताया (अप्रैल 1991) कि 0.65 लाख रुपये में से, 0.14 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया थी ।

16.6 प्रोफोर्मा लेखे

सरकारी मुद्रणालयों द्वारा प्रतिवर्ष, अन्य बातों के साथ साथ, माल की लागत सहित मुद्रण तथा जिल्दसाज़ी की लागत तथा पूंजीगत लेखा और भंडार लेन देन के विवरण दशति हुए प्रोफोर्मा लेखे तैयार करने होते हैं । प्रत्येक मुद्रणालय द्वारा एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रोफोर्मा लेखे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने के लिए अनुवर्ती वर्ष के सितम्बर के अन्त से पहले तैयार किए जाने आवश्यक होते हैं । मार्च 1991 तक, मिन्टों रोड तथा रिंग रोड मुद्रणालय ने क्रमशः 1985-86 तथा 1988-89 वर्षों तक प्रोफोर्मा लेखे प्रस्तुत किए थे ।

प्रोफोर्मा लेखे तैयार करने में विलम्ब मिंटो रोड मुद्रणालय में 47 मास (1985-86) से 69 मास (1982-83) तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 7 मास (1987-88) से 24 मास (1983-84) के आस पास था।

प्रोफोर्मा लेखे को तैयार करने में विलम्ब की परिणति कार्यों के समापन के बहुत देर पश्चात लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित अनुपूरक बिल बनाने में हुई ।

मंत्रालय द्वारा मार्च 1986 में स्थापित एक कार्य दल ने सिफारिश की थी कि निदेशालय सुनिश्चित करे कि भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों में वार्षिक प्रोफोर्मा लेखे दिसम्बर 1986 तक अद्यतन कर दिए गए थे । मांगकर्ताओं को प्रस्तुत किए जाने वाले बिल भी मार्च 1987 तक अद्यतन किए जाने थे । निदेशालय द्वारा जारी निर्देशनों के बावजूद (जुलाई 1986), प्रोफोर्मा लेखे तैयार करने तथा बिलों को प्रस्तुत करने से संबंधित कार्य दो मुद्रणालयों में बकाया थे ।

16.7 लागत निर्धारण प्रणाली

भारत सरकार के मुद्रणालयों में लागत लेखा प्रणाली में, मुद्रणालय लागत प्रदर्शित करने के लिए लेखों का तैयार करना विनिर्दिष्ट था । प्रणाली के अनुसार, लागत निर्धारण मुद्रणालयों के विभिन्न लागत केन्द्रों अर्थात मुद्रण पूर्व (कम्पोजिंग), मुद्रण, मुद्रणोत्तर (जिल्दसाज़ी) हेतु, घंटा दर आधार पर की जाती है । इन में ऊपरी प्रभार तथा कागज और अन्य सामग्री की लागत भी जोड़ी जाती है ।

प्रोफोर्मा लेखे के अनुसार कार्य की कीमत, जिसके लिए बिल प्रस्तुत किए गए थे, किए गए कार्य की कीमत से कहीं कम थी । जबकि मिंटो रोड मुद्रणालय ने 1985-86 तक 1621.47 लाख रुपये की राशि के अनुपूरक बिल प्रस्तुत नहीं किए थे, रिंग रोड मुद्रणालय को 1987-88 तक 1021.35 लाख रुपये के अनुपूरक बिल प्रस्तुत करने थे ।

प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग ने मुद्रण निदेशालय के परामर्श पर की गई भारत सरकार मुद्रणालयों की कार्य प्रणाली के अध्ययन पर आधारित अपनी रिपोर्ट (जनवरी 1986 में प्रस्तुत) में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि माँगकर्ताओं के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा प्रभारित राशि, निज़ी मुद्रकों की तुलना में, अत्यधिक यहाँ तक दस गुना अधिक थी।

16.8 बिलिंग तथा प्राप्यों की वसूली

अप्रैल 1971 से पहले, बहुत से मंत्रालयों/विभागों के मुद्रण कार्यों पर वहन किया गया व्यय, तत्कालीन मुख्य नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के बजट आबंटन में से पूरा किया जाता था । लोक लेखा समिति ने अपनी चौंतीसवीं रिपोर्ट, चौथी लोक सभा (1968), में निम्नानुसार अवलोकित किया:

"समिति अनुभव करती है कि यदि सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने-अपने प्रकाशनों का व्यय सहन करने दिया जाए तो यह अधिमुद्रण में लापरवाही तथा व्यर्थ व्यय के प्रति वर्तमान प्रवृति को प्रभावपूर्ण ढंग से हतोत्साहित करेगी ।

इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि प्रकाशनों का व्यय, सभी मंत्रालयों/विभागों के बजट में, व्याख्यात्मक टिप्पणियों में विशेष रुप से उल्लेख के साथ अनुदान हेतु सम्बन्धित मांग में एक अलग उपशीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह संसद का ध्यान आकृष्ट करें।"

तद्नुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को 1 अप्रैल 1971 से शुल्कदायी के रुप में मानने का निर्णय किया गया था तथा इस प्रकार उनकी ओर से किए गए कार्यों हेतु उनके प्रति डेबिट प्रस्तुत किए गए थे

1976 में प्रारम्भ लेखों के विभागीयकरण की योजना के अनुसार लेखा अधिकारियों के माध्यम से लेखों के परिशोधन के बजाए अन्तर्विभागीय समाशोधन, चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के विनिमय द्वारा किए जाने थे । इस प्रकार,विभागों जिनके द्वारा कार्य निष्पादित किए गए थे, भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता उद्भूत हुई तथा डेबिट विवरणियाँ विलों द्वारा बदली गई थीं ।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सरकारी विभागों से मार्च 1990 के अन्त तक बकाया प्राप्य मिन्टो रोड मुद्रणालय में 458.18 लाख रु. तथा रिंग रोड मुद्रणालय में 922.57 लाख रु. के थे । प्राप्य 1976-77 से 1989-90 की अवधि से सम्बन्धित थे ।

मिन्टो रोड मुद्रणालय ने बताया (जून 1990) कि वर्ष 1976 से आगे विभिन्न माँगकर्ताओं के प्रति बकाया राशियाँ दशनि वाली सूची तैयारी के अन्तर्गत थी तथा मुद्रण निदेशक को सूचित कर दी जाएगी ।

रिंग रोड मुद्रणालय ने बताया (जून 1990) कि पुराने बिलों की वसूली के सम्बन्ध में, मुद्रणालय द्वारा पुराने दस्तावेजों को खोजने में पेश आ रही कठिनाइयों के अतिरिक्त, उनके अपने यहां अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, मांगकर्ताओं ने अपनी कठिनाइयां व्यक्त की । मंत्रालयों के पुनर्गठन के कारण भी वसूली के लिए असली मांगकर्ताओं का पता लगाना और कठिन हो गया था तथा उसने आगे बताया (जुलाई 1990) कि अक्तूबर 1985 से अगस्त 1987 के दौरान पूरे किए गए 5614 कार्यों के लिए बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

निदेशालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि मुद्रण प्रभारों की वसूली करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी मुद्रणालय प्रमुख को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

16.9 भंडार लेखे

लेखापरीक्षा में जांच ने प्रकट किया कि कागज तथा जिल्दसाजी के सामान के अंत शेष, 1979-80 से 1982-83 के दौरान पाई गई कमियों तथा आधिक्यों के समायोजन करने के बाद, ऐसे समायोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की

संस्वीकृति प्राप्त किए बिना, निकाले गये थे ।

वर्ष	सामान	कमी (रुपये)	आधिक्य (रुपये)
1979-80	कागज	158085	207366
	जिल्द साज़ी	13	-
1980-81	कागज	187832	224337
	जिल्द साज़ी	-	-
1981-82	कागज	348664	30890
	जिल्द साज़ी	7	-
1982-83	कागज	882649	598772
	जिल्द साज़ी	10434	10810

निदेशालय ने बताया (अप्रैल 1991) कि भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, को जांच तथा निर्णय के लिए आधिक्य तथा कमी के समायोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ।

भंडार लेनदेनों के मूल मात्रा अभिलेख बिन कार्ड हैं । उनमें प्रदर्शित भंडार शेषों का, भंडार लेजर में दिखाये गये के साथ आवधिक मिलान किया जाना आवश्यक है । यह पुनर्मिलान किसी मद का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रारंभ किए जाने से पूर्व किया जाना चाहिए । भंडार लेखों की जांच ने प्रकट किया कि ऐसा कोई पुनर्मिलान नहीं किया गया था, परिणामतः बहुत से मामलों में बिन कार्डों के अनुसार शेष लेजर में दिखाये गये सदृश शेषों से मेल नही खाते थे ।

भारत सरकार मुद्रणालयों की हस्त पुस्तिका के अनुसार, बेकार माल तथा प्रयोग में आने वाले संयंत्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक पांच वर्षों के बाद किया जाना होता है तथा ऐसे सत्यापनों के परिणामस्वरुप पाये गये आधिक्य / कमियां विनियमन के लिए निदेशालय को सूचित किए जाने होते हैं ।

मिंटो रोड मुद्रणालय में 1975 के बाद से पंचवर्षीय भंडार सत्यापन नहीं किया गया था। 1975 के दौरान संचालित भंडार सत्यापन से संबंधित मिंटो रोड़ मुद्रणालय के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि लेखों में दर्ज बकायों की तुलना में प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाए गए वास्तविक बकायों के बीच अंतर थे। अभिलेखों से यह भी संकेत नहीं मिला कि प्रत्यक्ष सत्यापन के निष्कर्ष निदेशालय, को सूचित कर दिए गए थे तथा अंतरों के विनियमन हेतु संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी । निदेशालय ने बताया (अप्रैल 1991) कि लिनो तथा मोनों धातु की लेखा/वजन तोलने की प्रक्रिया बहुत नीरस तथा समय लेने वाली थी तथा इसप्रकार इसे, जड़ स्टाक की अन्य सभी मदों का पंचवर्षीय माल जांचने की प्रक्रिया के बाद अलग से लिया जायेगा।

16.10 धातु मल का निपटान:

फालतू/अप्रचलित भंडारों के निपटान के संबंध में मंत्रालय द्वारा संचालित एक अध्ययन की अनुपालना में, निदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि (सितम्बर 1987) कि सभी अप्रयोज्य/अप्रचलित भंडारों के निपटान के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की जाये । प्रबंधक, रिंग रोड मुद्रणालय को निदेशालय द्वारा नई दिल्ली तथा फरीदाबाद के मुद्रणालयों में पड़े धातु मल के निपटान के लिए संयुक्त निविदा आमंत्रित करना अपेक्षित था । प्रबंधक, मिंटो रोड मुद्रणालय ने, निपटान के लिए 1100 क्विंटल धातु मल अवशेष की मात्रा की सूचना देते समय (अक्तूबर 1987) लगभग 3064 क्विंटल धातु मल की सूचना नहीं दी, जोकि लिनो/मोनो मैटल की दैनिक रजिस्टर के अनुसार अक्तूबर 1987 में निपटान के लिए उपलब्ध थी (उपलब्ध धातु मल की कुल मात्रा तथा समय समय पर इससे निस्सारित धातु को दशनि वाला रजिस्टर)। परिणामतः रिंग रोड मुद्रणालय पर धातु मल के निपटान के लिए स्वीकृत 1705 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आधारित मूल्यांकन, 52.24 लाख रुपये मूल्य का धातु मल, बिना निपटान के पड़ा रहा ।

प्रबंधक, मिंटो रोड, मुद्रणालय को मार्च 1990 में मुद्रणालय में पड़े धातु मल की मात्रा सूचित करने के लिए (अगस्त 1990) कहा गया था परन्तु सूचना लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा उपलब्ध धातु मल की मात्रा निर्धारण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी ।

निदेशालय ने बताया (अप्रैल 1990) कि धातु मल पुनर्संसाधन के लिए रोक रखा गया था । तथापि, धातु मल को पुनर्संसाधित करने अथवा निपटान के लिए अक्तूबर 1987 से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

मिंटो रोड मुद्रणालय द्वारा जनवरी

1987 में 110 टन धातु मल (अवशेष) के निपटान के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी । एक फर्म से 856 रुपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था (जनवरी 1988)। स्वीकृत निविदा की शर्तों के अनुसार, माल (धातु मल अवशेष) की सुपुर्दगी " जहां है, जैसा है " के आधार पर स्वीकार की जानी थी। तथापि, फर्म ने छटाई, भिगाई तथा छनाई के बाद, लगभग 50 टन अवशेष छोड़ते हुए जिसका बाजार मूल्य कुछ नहीं था, माल स्वीकार किया । फर्म ने अनुरोध किया कि धातु मल अवशेष की समान मात्रा अन्य ढेर से उपलब्ध करा दी जाये, जिससे कि निदेशालय की सलाह (जून 1988) के विपरीत प्रबंधक मिंटो रोड मुद्रणालय द्वारा मान लिया गया था ।

स्वीकृत निविदा की शर्तों के विपरीत धातु मल अवशेष छाटने के लिए फर्म को अनुमत करने तथा शेष मात्रा को अन्य ढेर से उपलब्ध कराने से, सरकार को 4.28 लाख रुपये की हानि हुई क्योंकि छंटाई, भीगाई तथा छनाई के पश्चात् शेष बची सामग्री की कोई भी बाजार कीमत नहीं थी।

16.11 प्रतिस्थापन कार्यक्रम

लोक लेखा समिति ने इकतालिसवें प्रतिवेदन, पांचवी लोक सभा (अप्रैल 1972) में मिंटो रोड प्रैस के अल्प निष्पादन पर चिंता व्यक्त करते हुए इंगित किया कि संयुक्त प्रयासों से, क्षमता प्राप्त करना संभव हो जाना चाहिए तथा यह इस बात पर भी बल दिया कि मुद्रणालय में त्रुटियों पर अति तात्कालिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए । यह भी इंगित किया गया था कि क्योंकि मुद्रणालय, मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर, मिंटो रोड पर स्थित था, " यह अन्य भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिए अनुकरण करने के लिए यह आदर्श रुप में अच्छा प्रदर्शन करेगा " ।

अक्षर मुद्रणालयों में कम उत्पादकता का उल्लेख करते हुए, निदेशालय ने बताया (मई 1990) कि अक्षर मुद्रणालय पद्धति धीरे धीरे फोटोलिथो प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही थी ।

निदेशालय ने बताया (अप्रैल 1991) कि रिंग रोड मुद्रणालय के लिए एक प्रतिस्थापन कार्यक्रम सक्रिय विचाराधीन था । मिंटो रोड मुद्रणालय के अक्षर मुद्रणालय के संबंध में, किसी प्रतिस्थापन कार्यक्रम पर विचार नहीं था, क्योंकि इकाई समाप्त की जानी थी ।

तथापि, तथ्य यह रहता है कि मिंटो रोड अक्षर मुद्रणालय स्टाफ के 1700 से अधिक सदस्यों को नियोजित किए हुए था । इसके अतिरिक्त, अगले दस वर्षों के लिए मुद्रणालय की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 1988-90 के दौरान 29.01 लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त पुर्जे अधिप्राप्त किए थे । इसके बावजूद, इसकी क्षमता उपयोगिता में सुधार करके

इकाई के पुनर्वास के लिए कोई व्यवहार्य कार्यवाही योजना नहीं थी ।

17. निक्षेपों से अधिक किया गया व्यय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) गैर सरकारी निकायों / संगठनों के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन हाथ में लेता है, जिनके निष्पादन के लिए वित्त व्यवस्था इसके अधिकार में रखी जानी अपेक्षित है । ऐसे निर्माण कार्यों को "निक्षेप निर्माण कार्यों" की संज्ञा दी जाती है । विधि अपेक्षाओं के अनुसार, जब कोई "निक्षेप निर्माण कार्य" कार्यान्वित किया जाना होता है,निर्माण कार्य के लिए वहन की गयी किसी भी देयता से पूर्व, निर्माण कार्य की अनुमानित लागत, के लो नि वि द्वारा वसूल कर ली जानी चाहिए ।

जून 1990 में लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने प्रकट किया कि विधि प्रावधानों तथा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के बावजूद, दिल्ली में 36 एककों द्वारा मार्च 1990 तक उनके द्वारा प्राप्त निक्षेपों से अधिक, 1188 लाख रुपये का व्यय किया गया था। 1188 लाख रुपये में से, आठ स्वायत्त निकायों के संबंध में ही नीचे दर्शाई गई अवधियों के लिए 1070 लाख रुपये बकाया थे :-

	लाख रु. में
एक वर्ष से कम	254
एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्षों से कम	561
पांच वर्षों से अधिक	255

एक स्वायत्त निकाय से देय 428 लाख रुपये में से, 388 लाख रुपये के निर्माण कार्य-वार विवरण के लो नि वि के पास उपलब्ध नहीं थे ।

मामला अगस्त 1990 में मंत्रालय को सूचित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1991)।

18. जल आपूर्ति योजना पर निष्फल व्यय

रिकोंग पिओ स्थित सीमा पुलिस को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, 4.44 लाख रुपये पर (जो सितम्बर 1975 में 13.12 लाख रुपये तक संशोधित कर दिए गए थे) एक जल आपूर्ति योजना के निर्माण के लिए फरवरी 1974 में स्वीकृति दी गई थी । योजना, समुद्र तल से 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक स्रोत से 11 किलोमीटर लम्बी पाइप लाईन के माध्यम से गुरुत्व प्रणाली द्वारा ज़ल आपूर्ति से अभिप्रेत थी । निर्माण का कार्य फरवरी 1975 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) मंडल, शिमला द्वारा हाथ में लिया गया था तथा 1981 में 11.73 लाख रुपये की लागत पर योजना के सम्पन्न होने (आंतरिक वितरण प्रणाली के सिवाए) के पश्चात विभाग ने निम्नलिखित कारणों से योजना का जनवरी 1982 में परित्याग कर दिया था :-

(i) 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित जल के स्रोत की सर्दी के महीनों के दौरान जमने की संभावना थी तथा हिमस्खलन का डर भी था ।

(ii) पाइपलाईन का संरेखण इस प्रकार का था कि यह दबाव बर्दाश्त करने के योग्य नहीं था तथा इसके कारण पाइपलाईन में रिसाव हुआ था।

(iii) वर्षा ऋतु के दौरान भू-स्खलन के द्वारा पाइप लाईन क्षतिग्रस्त होनी संभाव्य थी ।

सितम्बर 1980 में 3.27 लाख रुपये पर निम्नतर ऊंचाई पर स्थित एक स्रोत से जल आपूर्ति की एक और योजना स्वीकृत की गई थी परन्तु वह भी कार्यान्वित नहीं हो सकी थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य (सिं ज स्वा) विभाग ने प्रस्तावित संरेखण पर पाईप बिछाने की अनुमति नहीं दी । इसके स्थान पर, राज्य सरकार अपनी जल आपूर्ति योजना से प्रतिदिन 20,000 लीटर संसाधित जल की आपूर्ति हेतु सहमत हो गई थी (दिसम्बर 1980)। सितम्बर-अक्तूबर 1982 में पिओ नगर क्षेत्र हेतु राज्य सरकार की जल आपूति योजना के फिल्टर बैड से 1200 मीटर की दूरी पर स्थित के लो नि वि की भण्डारण टंकी तक एक पाइप लाईन बिछाई गई थी । अक्तूबर 1981 से अक्तूबर 1985 तक की अवधि हेतु सीमा पुलिस की आवश्यकता, विभागीय वाहनों को लगाने के द्वारा पूरी की जानी थी क्योंकि आंतरिक वितरण प्रणाली बिछाई नहीं गई थी । आंतरिक वितरण प्रणाली 2.44 लाख रुपये की लागत पर अक्तूबर 1985 में पूरी की गई थी । इसके पश्चात अवसादन टंकी के प्रवेश मार्ग से थोड़ा पहले एक स्थान पर राज्य सि ज स्वा विभाग की मुख्य जल आपूर्ति से कच्चे जल को रोका गया था तथा इस प्रकार प्राप्त किया गया कच्चा जल इकट्ठा तथा साफ किया गया था तथा तब पानी सीमा पुलिस की अवसादन तथा निस्पन्दन टंकियों के माध्यम से लाया जाता था । सिं ज स्वा विभाग ने सूचना दी थी (अगस्त 1988) कि 1026 रुपये प्रति मास की दर से मार्च 1988 के दूसरे सप्ताह से सीमा पुलिस को प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी आपूर्त किया जा रहा था ।

मुख्य अभियन्ता, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली ने 0.31 लाख रुपये की लागत पर मूल योजना के अंतर्गत बिछाई गई 9184 मीटर पाइपलाईन जो कि प्रयुक्त नहीं की जा सकी थी, को उखाड़ने का आदेश दिया (जनवरी 1982)। तदनुसार, 7506 मीटर पाइपलाईन को उखाड़ने पर 0.62 लाख रुपये (0.11 लाख रुपये की देयता सहित) का व्यय वहन किया गया था । कार्यकारी अभियन्ता, के लो नि वि मंडल, शिमला ने सूचना दी थी (मार्च 1990) कि शेष 1678 मीटर पाईप लाईन जिस पर 1.29 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया था, को उखाड़ना सस्ता तथा व्यवहार्य नहीं था क्योंकि उखाड़ने का खर्च पुनः प्राप्त होने वाली पाईपों की लागत से कहीं अधिक होगा । उखाड़ी गई पाइप लाईनों में से 2473 मीटर पाईप लाईन अन्य कार्यों को जारी की गई थी तथा शेष 5033 मीटर भंडार में पड़ी थी (मार्च

1990)। अवसादन तथा निस्पंदन टंकियां जोकि 3 लाख रुपये की लागत पर बनाई गई थीं मार्च 1988 से निस्पंदन कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं वरन विद्यमान भण्डारण टंकियों की कमी को पूरा करने के लिए जल भंडारण हेतु प्रयोग में लायी जा रही थीं ।

के लो नि वि मंडल, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1987) से पता चला था कि योजना का निष्पादन करने से पहले कोई विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरुप, इस पर वहन किये गये 11.73 लाख रुपये के व्यय से ऐच्छिक उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त, पाइपलाईन उखाड़ने पर 0.62 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया था ।

कार्यकारी अभियंन्ता, शिमला केन्द्रीय मण्डल इस पर स्थिर था (मार्च 1988) कि योजना का चयन सर्वेक्षण के दो वर्षों के पश्चात तथा स्थानीय लो नि वि प्राधिकारियों से पूछताछ के पश्चात ही किया गया था । तथापि, सीमा पुलिस के सहायक कमांडर के सितम्बर 1980 के निरीक्षण टिप्पण जिसके अनुसार कि स्रोत से टंकी तक पूर्ण संरेखण का विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं था, के तथ्य के कारण, दावा मान्य नहीं था । इसके अतिरिक्त, मार्च 1976 में राज्य सरकार से मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1990 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1990)।

19. हैदराबाद में आवासीय मकानों के लिए पावर कनेक्शन की व्यवस्था में विलम्ब

भारत सरकार ने, भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिए हैदराबाद स्थित उप्पल में टाईप-1 की संख्या 48, टाईप-II की संख्या 80 तथा टाईप - III की संख्या 64 के आवासीय मकानों के निर्माण हेतु जनवरी 1986 में 230.83 लाख रुपये संस्वीकृत किये । मकान वास्तव में 222.99 लाख रुपये की एक लागत पर मार्च- जून 1988 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण किये गये थे ।

मकानों के पावर कनेक्शन हेतु, कनेक्शन सेवा प्रभार, अप्रैल 1988 में भुगतान किये गये थे । तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्राधिकारियों ने इंगित किया (जून 1989) कि जहां मीटर स्थापित होने थे, लकड़ी के बोर्ड अभी लगाए जाने थे । मकानों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने के पश्चात, प्रयोक्ता विभाग को मकान अंतिम रुप से, अगस्त 1989 में ही सौंपे गये थे। समयोचित कार्यवाई करने में विफलता के कारण मकानों के कब्जे में विलम्ब के परिणामस्वरुप मकान किराया भत्ते के प्रति 7.50 लाख रुपये के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त 1.60 लाख रुपये की लाईसैंस फीस की हानि हुई ।

मामला अगस्त 1990 में मंत्रालयों को

प्रेषित किया गया था । जबकि शहरी विकास मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में उत्तर दिया कि आंबटन शुरु कर दिया गया था तथा अक्तूबर 1989 तक सम्पूर्ण कर दिया गया था तथा विद्युत कनेक्शनों को प्राप्त करने में विलम्ब विभाग के नियंत्रण में नहीं था ।

20. योजनाओं को अंतिम रुप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

सरकार द्वारा जुलाई 1984 में डी आई जेड क्षेत्र नई दिल्ली में 43.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 90 टाईप-II क्वार्टरों के निर्माण का अनुमोदन दिया गया था । निर्माण कार्य अप्रैल 1985 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) द्वारा फर्म "क" को 47.42 लाख रुपये पर सौंपा गया था तथा निर्माण कार्य अगस्त 1986 तक समाप्त किया जाना था।

विभागीय नियम पुस्तिका के अनुसार ठेकेदार को, सम्पूर्ण वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक आरेखण निविदाएं आंमत्रित करते समय उपलब्ध कराए जाने थे । ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि के लो नि वि द्वारा भवन योजनाएं नई दिल्ली नगरपालिका (न दि न प) को, अनुमोदन हेतु केवल फरवरी 1986 में भेजी गई थी उस समय तक निर्माण कार्य सम्पूर्ण करने की निर्धारित अवधि का लगभग 60 प्रतिशत बीत चुका था ।

जुलाई 1986 में, फर्म ने के लो नि वि को सूचित किया कि क्योंकि विभाग ने न दि न पा से उस समय तक योजनाओं का अनुमोदन नहीं करवाया था तथा निर्माण कार्य पूर करने के लिए लगभग निर्धारित सम्पूर्ण अविध् समाप्त हो गई थी, वह संविदात्मक बाध्यताओं से मुक्त था । इस पर के लो नि वि ने संविदा को फरवरी 1987 में समाप्त करने का निर्णय लिया ।

जून 1987 में निविदाएं दोबारा आमंत्रित की गई थी तथा निर्माण कार्य सितम्बर 1987 में फर्म "ख" को 51.06 लाख रुपये पर सौंपा गया था और अक्तूबर 1988 तक समाप्त होना था । निर्माण कार्य अगस्त 1989 में समाप्त हुआ था । फर्म "ख" को 49.91 लाख रुपये का भुगतान मई 1989 में अदा किए गए अंतिम चालू बिल तक कर दिया गया था, परन्तु अंतिम बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया था (जुलाई 1990)।

इस प्रकार, फर्म "क" को अनुमोदित योजना / आरेखण उपलब्ध करवाने में के लो नि वि की असफलता के कारण, इसके साथ की गई संविदा समाप्त करनी पड़ी थी तथा निर्माण कार्य फर्म "ख"को 3.64 लाख रुपये की उच्चतर लागत पर सौंपा गया था। फर्म "ख" के अंतिम बिल के समाशोधन के लंबित रहते, के लो नि वि द्वारा 2.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया गया था । क्वार्टरों के निर्माण को पूरा करने में भी

तीन वर्षों की देरी हुई थी ।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1990 में संदर्भित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1991)।

21. निविदा प्रस्तावों के गलत अभिकलन के कारण उच्चतर दरों पर कार्य का सौपा जाना

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) ने ठेकेदार "क" को, उसके प्रस्ताव को, न्यूनतम रुप में अधिनिर्णित करने के पश्चात, दिसम्बर 1987 में 202.34 लाख रुपये पर " जनकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद के लिए भवन के निर्माण " का कार्य सौंपा । तथापि, लेखापरीक्षा जांच ने, प्रकट किया कि 197.38 लाख रुपये का ठेकेदार "ख" का प्रस्ताव न्यूनतम था परन्तु उसकी निविदा गलत रुप से 203.31 लाख रुपये पर मूल्यांकित की गई थी । न्यूनतम निविदाकार होते हुए भी, बातचीत करने हेतु अवसर को मांगते हुए निर्माण कार्य को सौंपने से पूर्व, मुख्य अभियंता द्वारा प्राप्त दिनांक 8 दिसम्बर 1987 का ठेकेदार "ख" का अभिवेदन, ठेकेदार "क" को कार्य सौंपने से विभाग को रोक नहीं पाया ।

निविदाओं के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरुप 4.96 लाख रुपये की अेतिरिक्त लागत हुई ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अक्तूबर 1990 में बताया कि अतिरिक्त व्यय की सही राशि का पता कार्य समापन के पश्चात लगेगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि मामला छानबीन के लिए के लो नि वि की सतर्कता इकाई को प्रेषित किया गया था तथा गलती के लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही प्रारंभ की जानी प्रस्तावित की गई थी ।

22. उचित मापन के बिना भुगतान

लोधी रोड कार्यालय परिसर, नई दिल्ली स्थित इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के कार्यालय भवन के तहखाने के लिए मिट्टी का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) द्वारा दिसम्बर 1986 में एक फर्म को 2.67 लाख रुपये पर सौंपा गया था । वास्तविक रुप से निष्पादित कार्य के लिए भुगतान 5.45 लाख रुपये का था; भूमि की खुदाई हेतु यह 1.08 लाख रुपये था तथा 10 कि मी दूर ले जाने सहित यांत्रिक वाहन द्वारा खोदी गई मिट्टी के निपटान हेतु यह 4.37 लाख रुपये का था ।

विभागीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक तथा अंतिम स्तरों को उस स्थान पर अभिलेखित किया जाना था जहां मिट्टी खोदी गई थी तथा उस स्थान पर भी जहां इस का निपटान किया गया था । यह सुनिश्चित करना

आवश्यक है कि खोदी गई मिट्टी की सारी मात्रा क्षेपण स्थल पर ले जाई गई थी । मिट्टी के निपटान के लिए भुगतान, कटाई अथवा भराई की लघु मात्राओं तक सीमित किया जाना था ।

यह देखा गया था कि क्षेपण स्थल पर प्रारंभिक तथा अंतिम स्तरों के मापनों को अभिलेखित किए बिना खोदी गई मिट्टी की मात्रा के लिए मिट्टी के निपटान हेतु 4.37 लाख रुपये का भुगतान किया गया था । इस के परिणामस्वरुप विभाग अपने आपको संतुष्ट नहीं कर सका था कि क्या खोदी गई मिट्टी की सारी मात्रा क्षेपण स्थल पर ले जाई गई थी । इस प्रकार, यांत्रिक वाहन द्वारा मिट्टी के निपटान के लिए 4.37 लाख रुपये का भुगतान करते समय संहितात्मक प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था ।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय को सूचित किया गया था: उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 1991)।

23. अपर्याप्त निरीक्षण से त्रुटिपूर्ण कार्य के निष्पादन को बढ़ावा

जून 1982 में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) ने, " विद्यमान ढांचे को गिराने सहित जनपथ, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण " कार्य 255.83 लाख रुपये पर एक ठेकेदार को प्रदान किया । इसमें दीवारों, फर्शों, छूटे हुए फर्शों, गन मेटल क्रेम्प्स, पत्थर कार्य, दीवार अस्तर इत्यादि से संबंधित रिक्तियों में प्रबलित सीमेंट क्रंक्रीट (प्र सी कं) के निमित्त 4.18 लाख रुपये शामिल थे । दीवारों में आठवीं मंजिल तक किये जाने वाला प्र सी कं कार्य दिसम्बर 1984 तक चौथी मंजिल तक पूरा किया गया था ।

जब कार्य प्रगति में था, विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा ने नवम्बर 1985 में कार्य का निरीक्षण किया तथा बताया कि दीवारों में तृतीय तल स्तर से चौथे स्तर तक प्र सी कं का कार्य साहुल से बाहर था । अगस्त 1986 में के लो नि वि द्वारा ठेकेदार को त्रुटिपूर्ण कार्य को तोड़ कर सुधार करने के निर्देश दिये गये । ठेकेदार, ने त्रुटि में सुधार करने के कार्य को किये बिना निर्माण कार्य जारी रखा । दीवारों मे प्र सी कं का कार्य पूरा होने के बाद के लो नि वि ने प्र सी कं कार्य की विभिन्न मदों के लिए अदायोग्य दरों को कम करने का निर्णय लिया । 4.48 लाख रुपये की निविदा लागत के प्रति जनवरी 1984 से मार्च 1989 तक ठेकेदार को कुल 3.83 लाख रुपये की अदायगी की गई थी ।

अतिरिक्त महानिदेशक के लो नि वि जिन्होंने जुलाई 1989 में कार्य का निरीक्षण किया था, ने अवलोकित किया कि भवन इतना टूटा फूटा बनाया गया था कि यह के लो नि वि के लिए एक शर्म की बात थी । उन्होंने कहा कि " पत्थर कार्य न तो साहुल में था न ही सही कारीगरी का था "

तथा ठेकेदार के साथ-साथ कार्य के प्रभारी व्यक्ति के प्रति आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का सुझाव दिया ।

अगस्त 1989 में के लो नि वि ने निर्माण कार्य को तोड़ने तथा ठेकेदार की जोखिम व लागत पर पुनः करवाने का निर्णय लिया । अक्तूबर 1989 में निविदायें आमंत्रित की गई तथा 11.83 लाख रुपये की उद्धृत निम्नतम निविदा स्वीकृति के लिए प्रस्तावित की गई थी । इसी बीच मूल ठेकेदार ने नवम्बर 1989 में के लो नि वि को ठेका देने से रोकते हुए उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए । स्थगन आदेश अगस्त 1990 तक समाप्त नहीं हुआ था ।

इस प्रकार दोषपूर्ण निरीक्षण तथा के लो नि वि द्वारा अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरुप 3.83 लाख रुपये का एक अनुत्पादक कार्य निष्पादित हुआ ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1990 में भेजा गया था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1991)।

24. निर्माण कार्य की गलत संगणना के कारण अधिक भुगतान

मार्च 1986 में 42 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक " शक्तिस्थल, नई दिल्ली में भूमि का विकास " कार्य, एक फर्म को 49.90 लाख रुपये पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) द्वारा सौंपा गया था । इस कार्य में बाहर से मिट्टी लाना तथा शक्ति स्थल स्थित क्षेत्रों को भरना शामिल था । कुछ क्षेत्रों से मिट्टी की कटाई का तथा इसके साथ-साथ उसी स्थल पर अन्य क्षेत्रों में भराई का कार्य अन्य एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया था ।

फर्म को, तेहरवें चालू लेखा बिल तक 91,328 लाख घ. मी. मिट्टी कार्य के निष्पादन के लिए 33 लाख रुपये अदा किए गए थे । अगस्त 1989 में फर्म के बिल (चौदहवें तथा अंतिम) को अंतिमरुप देते हुए, के लो नि वि ने पाया कि स्थल पर लाई गई मिट्टी की कुल मात्रा से, स्थल में कटाव से प्राप्त की गई 13,223 घ मी कटौती योग्य मिट्टी पूर्व परिकलनों में, घटाई नहीं गई थी। भुगतानयोग्य मिट्टी कार्य की वास्तविक मात्रा, 2.72 लाख रुपये का एक अधिक भुगतान दशति हुए, 30.28 लाख रुपये मूल्य की 82,233 घ मी निकाली गई थी । तथापि, अधिक भुगतान, ठेकेदार को खातों में अग्रिम के रुप में दिखाया गया था तथा फर्म से प्राप्य 1.72 लाख रुपये को छोड़ते हुए, अगस्त 1989 में एक लाख रु. की जमानत जमा के प्रति समायोजित किया गया था ।

मामला, अप्रैल 1990 में के लो नि वि तथा जुलाई 1990 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था । 1.72 लाख रुपये के अधिक भुगतान की फर्म से वसूली प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1990) । मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 1990)।

अध्याय VIII

जल संसाधन मंत्रालय

25. एक सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन

उपलब्ध जल संसाधनों से कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु जल का सफल प्रयोग करने की दृष्टि से, सौर पम्पों, पवन चक्कियों, फव्वारों, ड्रिप्प प्रणालियों, हाईड्रैमों, जल टरबाइनों, मानव अथवा पशु द्वारा संचालित पम्पों के माध्यम से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित, एक परियोजना 1982-83 में प्रारंभ की गई थी। सौर पम्प तथा पवन चक्कियों को सातवीं योजना अवधि के दौरान, परियोजना से, बाद में बहिष्कृत कर दिया गया था चूंकि यह मदें, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा हाथ में ली जानी थी । परियोजना को, मूल्यवान जल तथा ऊर्जा की बचत में योगदान करना तथा जहां विद्युत शक्ति उपलब्ध नहीं थी अथवा जहां डीजल तेल के मितव्ययी परिवहन में कठिनाईयां थी, उन क्षेत्रों को, लाभ पहुंचाना था । परियोजना के अंतर्गत, विभिन्न साधनों की लागत की निर्धारित प्रतिशतता पर, किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जानी थी । सहायिकी पर व्यय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बांटा जाना था । छठी योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 500 लाख रुपये तथा सातवीं योजना के लिए 1000 लाख रुपये था।

मंत्रालय के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई :-

(i) 1982-83 से 1989-90 के दौरान 15 राज्यों को जारी की गई 857.08 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायिकी के प्रति, मार्च 1990 तक वास्तविक व्यय केवल 387.10 लाख रुपये था अर्थात 469.98 लाख रुपये के एक अप्रयुक्त शेष को छोड़ते हुए, 45 प्रतिशत।

(ii) बिहार, उड़ीसा तथा पंजाब में 1982-83 में (8.38 लाख रुपये) तथा 1988-89 में (5.00 लाख रुपये) इन राज्यों को जारी की गई 13.38 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायिकी में से कोई व्यय नहीं किया गया था।

(iii) सात राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में निधियों की अनुपयोगिता की सीमा 60 तथा 95 प्रतिशत के बीच रही ।

(iv) हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में यद्यपि, राज्य सरकारों के पास पहले से ही मार्च 1989 में 11.61 लाख रुपये तथा 26.23 लाख रुपये का अप्रयुक्त शेष था, क्रमशः 9.28 लाख रुपये तथा 5.58 लाख रुपये तक की अतिरिक्त निधियां

1989-90 के दौरान जारी की गई थी ।

मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार संस्वीकृत किये गये विभिन्न साधनों की स्थापना में प्रत्यक्ष प्रगति से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई :-

(क) छः राज्यों के लिए 1982-83 से 1984-85 के दौरान संस्वीकृत 155 सौर पम्पों तथा 186 पवन चक्कियों में से, 1989-90 तक दो राज्यों में एक पवन चक्की तथा 12 सौर पम्प स्थापित किये गये थे ।

(ख) चार राज्यों (बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा मणीपुर) में 1982-83 से 1989-90 के दौरान संस्वीकृत 141 हाईड्रमों तथा 7जल टरबाइनों में से, मार्च 1990 तक, कोई भी स्थापित नहीं किया गया था ।

(ग) यद्यपि, गुजरात तथा कर्नाटक के राज्यों के लिए 535 पम्प (मनुष्य अथवा पशु द्वारा संचालित) संस्वीकृत किये गये थे, राज्यों मे कोई भी साधन स्थापित नहीं किया गया था ।

(घ) छः राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, करेल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु) के लिए संस्वीकृत 8677 ड्रिप प्रणालियों में से केवल महाराष्ट्र में 2354 प्रणालियां स्थापित की गई थीं।

(ड़.) 13 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) के लिए संस्वीकृत 18974 फव्वारों में से, सात राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में 16424 फव्वारे स्थापित किये गये थे ।

राज्य सरकारों को परियोजना के लाभ मूल्यांकित करने थे तथा उनकी रिपोर्टें मंत्रालय को भेजनी थी। जून 1990 तक राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी ।

परियोजना के कार्यान्वयन के आवधिक मूल्यांकन तथा प्रबोधन के लिए उत्तरदायित्व का भार जल संसाधन मंत्रालय पर था । मंत्रालय ने, राज्य सरकारों के साथ मामले का अनुसरण नहीं किया । त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों से केवल व्यय की प्रगति तथा स्थापित किये गये साधनों की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही थीं । परियोजना के मूल्यांकन के संबंध में वार्तालाप के पश्चात मार्च 1990 में योजना आयोग में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरुप कृषि वित्त परामर्शदाता लिमिटेड, बम्बई को मूल्यांकन अध्ययन की सुपुर्दगी हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था (दिसम्बर 1990)।

इस प्रकार, कृषि उत्पादन हेतु उपलब्ध जल संसाधनों के सफल प्रयोग को विकसित करने के लिए अभिप्रेत परियोजना, निरुत्साह ढंग से कार्यान्वित की गई थी तथा इसकी शुरुआत के सात वर्षों के पश्चात भी यह उचित मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रही थी ।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था: कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

है (दिसम्बर 1990)।

26. गोला पत्थरों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

मार्च 1986 में,फरक्का बांध परियोजना प्राधिकारी ने कार्य आदेश जारी होने के पश्चात 15वें दिन से संगणनित साढ़े तीन मास के अंदर आपूर्तियां समाप्त कर देने के अनुबंध के साथ, आपूर्तिकर्ता "क" तथा "ख" प्रत्येक को 25,000 घन मीटर गोला पत्थरों की आपूर्ति हेतु दो आदेश दिए थे । गोला पत्थरों की 380 और 480 चेनों के बीच तथा 200 और 380 चेनों के बीच गंगा नदी के दाएं किनारें पर संरक्षण कार्य के लिए आवश्यकता थी । संविदा मूल्य क्रमशः 49.13 लाख रुपये तथा 48.75 लाख रुपये था । स्थानीय जनता के प्रतिरोध के कारण, आपूर्तिकर्त्ता "क" द्वारा गोला पत्थरों की आपूर्ति का स्थान 322 तथा 355 चेनों के बीच बदल दिया गया था इसमें आदेश की लागत में 49.13 लाख रुपये से 48.75 लाख रुपये तक की कमी निहित थी । आपूर्तिकर्त्ता "क" तथा "ख" ने फरवरी 1988 तक क्रमशः 15,913 घन मीटर तथा 20,653 घन मीटर गोला पत्थरों की आपूर्ति की थी ।

विनिर्दिष्ट स्थान पर गोला पत्थरों की और अधिक मात्रा की आवश्यकता न होने के कारण, फरवरी 1988 में, आपूर्तिकर्ताओं को शेष मात्रा 100 तथा 160 चेनों के बीच आपूर्त करने के लिए कहा गया था । नए स्थान पर गोला पत्थरों की आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता "क" ने 196.50 रुपये प्रति घन मीटर की मूल दर के प्रति 219.89 रुपये की मांग की थी जो कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी (मई 1988) क्योंकि बढ़ी हुई दर स्वीकार करने हेतु कार्यकारी इंजीनियर का प्रस्ताव वैध दस्तावेजों से समर्थित नहीं था । आपूर्तिकर्त्ता "ख" ने भी विशिष्ट दर उद्धृत किए बिना दर की वृद्धि की मांग की थी (फरवरी तथा अक्तूबर 1988)। जून 1989 में पारस्परिक समझौते से आपूर्तिकर्त्ता "क" तथा "ख" के साथ संविदाएं समाप्त कर दी गई थीं ताकि कानूनी उलझनों से बचा जा सके तथा मई 1990 और मार्च 1989 में उन्हें क्रमशः 31.03 लाख रुपये और 40.27 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था ।

तकनीकी सलाहकार समिति (त स स) ने दिसम्बर 1987 में फरक्का में आयोजित हुई अपनी बैठक में 97.25 तथा 102.25 चेनों के मध्य और 138.25 तथा 144.25 चेनों पर संरक्षण कार्य की सिफारिश की थी । तदनुसार, परियोजना प्राधिकारी ने आपूर्तिकर्त्ता "ग" तथा "घ" को कार्य आदेश के जारी होने के पश्चात 15 वें दिन से संगणनित 30 दिनों के अंदर आपूर्ति समाप्त कर देने के अनुबंध के साथ 15,032 घन मीटर गोला पत्थरों की आपूर्ति हेतु क्रमशः 18.93 लाख रुपये तथा 17.16 लाख रुपये के दो आपूर्ति

आदेश दिए थे (जून 1988) । आपूर्तिकर्त्ता "ग" तथा "घ" ने क्रमशः मई 1989 तथा मार्च 1989 में आपूर्ति सम्पूर्ण की थी ।

यदि परियोजना प्राधिकारी, आपूर्तिकर्त्ता "क" का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो गोला पत्थरों की 9087 घनमीटर की बकाया मात्रा की अधिप्राप्ति पर वहन किये गये 1.83 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था क्योंकि दिसम्बर 1987 में त स स की सिफारिश आपूर्तिकर्त्ता "क" के प्रस्ताव की अस्वीकृति से (मई 1988) बहुत पहले की गई थी ।

मामला मंत्रालय तथा परियोजना प्राधिकारियों को जुलाई 1990 में संदर्भित किया गया था; कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990)।

अध्याय IX

कल्याण मंत्रालय

27. पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग आबादी के पुनर्वास के लिए एक मुश्त सेवाएं जैसे- भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी सुधार, श्रवण सहाय्य, आर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सर्जिकल करेक्शन तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए, दिसम्बर 1983 में मिदनापुर जिले में खड़गपुर में बाद में जिला पुनर्वास केन्द्र (जि पु के) के रूप में पुनर्नामित एक मार्गदर्शी पुनर्वास योजना केन्द्र की स्थापना की गई थी । योजना पूर्ण रुप से भारत सरकार द्वारा निधि प्रदत्त थी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थी ।

जि पु के की गतिविधियां 1984 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनर्वास एकक (प्रा स्वा के पु ए) के माध्यम से केशियारी खंड में प्रारंभ हुई थी तथा बाद में 1986 में अन्य प्रा स्वा के पु ए के माध्यम से सलबोनी खंड में भी लागू की गई थी।

1983-85 के दौरान जि पु के द्वारा 7 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई थी । 1985-89 के दौरान 42.39 लाख रुपये की कुल मांग के प्रति, भारत सरकार से यूनीसेफ सहायता (1.17 लाख रुपये) तथा विविध प्राप्तियों (0.26 लाख रुपये) सहित 21.82 लाख रुपये प्राप्त किये गये थे । 1983-89 के दौरान जि पु के ने 28.05 लाख रुपये खर्च किये थे, जिसमें से 21.58 लाख रुपये कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय फर्नीचर, उपकरण इत्यादि पर खर्च किये गये थे तथा 6.47 लाख रुपये पुनर्वास सहायताओं, उपकरण, प्रशिक्षण इत्यादि पर खर्च किये गये थे ।

दिसम्बर 1984-जनवरी 1985, दिसम्बर 1986-जनवरी 1987 तथा अप्रैल-मई 1989 में ग्राम पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं द्वारा उन खंडों में किये गये दो सर्वेक्षण तथा पुनर्सर्वेक्षण के दौरान , 7807 विकलांग व्यक्तियों की पहचान की गई थी।

जुलाई से दिसम्बर 1989 की अवधि के लिए भावी कार्यवाही योजना के अनुसार, जून 1989 तक, जि पु के के क्षेत्र से बाहर 4052 व्यक्तियों को छोड़ते हुए, आवश्यक उपचार की प्रकृति के बारे में 3755 व्यक्तियों (7807 में से) को परामर्श दिया गया था । 3755 व्यक्तियों में से, 885 का उपचार किया गया था, 1291 व्यक्तियों को उपचार दिया जा रहा था तथा 1579 व्यक्तियों को उपचार प्रदान नहीं किया गया था (मार्च 1990)। इस प्रकार से, जून 1989 तक पहचाने

गये विकलांग व्यक्तियों (7807) के केवल ग्यारह प्रतिशत का ही उपचार किया जा सका । उपचार किये गये अथवा उपचाराधीन 2176 व्यक्तियों में से, 1376 को पुनर्वास का परामर्श दिया गया था तथा वास्तव में केवल 485 व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया था ।

केशियारी खंड में प्रा स्वा के पु ए के आवास के लिए एक भवन का निर्माण, जिसके लिए 1985-87 के दौरान भारत सरकार से परियोजना समन्वयक जिला पुनर्वास केन्द्र (प स जि पु के) द्वारा 1.80 लाख रुपये प्राप्त किये गये थे, जुलाई 1990 तक भूमि की उपलब्धता के बारे में शर्तों के निपटान में विलम्ब तथा राज्य सरकार द्वारा निर्माण के लिए अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण, प्रारंभ नहीं किया जा सका । तथापि, प स जि पु के ने जिला पुनर्वास केन्द्र, केन्द्रीय प्रकोष्ठ से अनुमोदन प्राप्त किये बिना एकक के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों को पूरा करने के लिए 1.62 लाख रुपये का विपथन किया ।

1984-89 के दौरान, जिला पुनर्वास केन्द्र, खड़गपुर द्वारा भारत सरकार से सहायता तथा उपकरणों और कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए प्राप्त अनुदानों में से 3.61 लाख रुपये मूल्य के उपस्कर की 11, मदें जैसे -औद्योगिक भट्ठी, पोर्टेबल हैडलाइट, रेफ्रिजरेटर इत्यादि (यूनिसेफ से प्राप्त 0.32 लाख रुपये मूल्य के छः उपकरणों सहित), 769 परकार, 80 श्रवण सहाय्य, खरीदे गये थे । इनमें से, 2.19 लाख रुपये मूल्य के उपस्करों की 11 मदें, 450 परकार, 35 श्रवण सहाय्य, छः वर्षों तक की अवधियों के आस पास तक प्रयुक्त नहीं किये जा सके थे (मार्च 1990)। जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा भेजे गए कारण, (मार्च 1990) 440 बोल्ट की विद्युत लाइनें, रोगियों, का ना ग तथा नेत्र विशेषज्ञों इत्यादि की आवश्यक संख्या की कमी थे ।

जिला पुनर्वास अधिकारियों द्वारा परियोजना का नगण्य निष्पादन (मार्च 1990) इन पर आरोपित किया गया था, (i) सर्जिकल करेक्शन हेतु पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता (ii) तीन वर्षों तक के लिए भौतिक चिकित्सक के पद का रिक्त होना, (iii) जि पु के, प्रा स्वा के पु ए में स्थान की कमी, भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति (iv) खंडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का अभाव, उनके लिए जिनकी श्रवण शक्ति दुर्बल थी मानसिक रुप से पिछड़े और अंधे थे विशेष विद्यालयों का अभाव, तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से रोगियों को ऋण संवितरण करने में अल्प प्रत्युत्तर ।

मामला अगस्त 1990 में मंत्रालय को भेजा गया था: जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1990)।

अध्याय X

संघ शासित प्रदेश

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन

28. भू- संरक्षण योजनाएं

28.1 प्रस्तावना

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र 8,24,900 हैक्टेयर भूमि को समाविष्ट करता है जिस में से 52,821 हैक्टेयर भूमि (6.4 प्रतिशत) कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के अधीन है तथा 85 प्रतिशत को आवृत करते हुए एक विशाल क्षेत्र वनों द्वारा आच्छादित है । प्रतिवर्ष 320 घ. मी. से 400 घ. मी. के बीच भारी वर्षा तथा भूमि का लहरदार स्वरुप, भारी भूमि कटाव के कारण बनते हैं जिसके परिणामस्वरुप भूमि की उत्पादकता में शीघ्रगामी कमी आने से भूमि संरक्षण उपायों का करना अनिवार्य हो जाता है । धान की भूमि के अतिरिक्त, पौधरोपण के विकास हेतु आबंटित पहाड़ी भूमि की भी उपयुक्त देखरेख की आवश्यकता थी। कई जगहों में खेतीयोग्य भूमि का भी भूमि उद्धार/ संरक्षण अपेक्षित था क्योंकि भूमि, खारी पानी द्वारा या समुद्र जल के प्रवेश द्वारा प्रभावित होता है । छठी योजना के अंत तक (मार्च 1985), 1350.5 हैक्टेयर भूमि संरक्षण उपायों के अधीन शामिल की गई थी तथा 686 हैक्टेयर भूमि को खारे पानी से पुनः खेती योग्य सुरक्षित किया गया था ।

28.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

द्वीपों में सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान निम्नलिखित भूमि सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन का एक पुनरीक्षण मार्च-मई 1990 में प्रारंभ किया गया था :-

(i) भू-संरक्षण (अनुमोदित परिव्यय 26.91 लाख रुपये) ।

(ii) भूमि संरक्षण - सह प्रदर्शन केन्द्र तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला की क्षमता को बढ़ाना (अनुमोदित परिव्ययः 8.47 लाख रुपये) ।

(iii) भूमि व्यवस्थापन तथा ट्रेक्टर जुताई (अनुमोदित परिव्यय: 62.26 लाख रुपये) ।

(iv) खेती के लिए खारे पानी से प्रभावित क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना (अनुमोदित परिव्ययः 56 लाख रुपये)। 153.64 लाख रुपये के कुल परिव्यय के प्रति सातवीं योजना अवधि में किया गया व्यय 156.20 लाख रुपये था ।

28.3 संगठनात्मक ढांचा

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन का कृषि निदेशक, योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए

कार्यकारी मुखिया है ।

28.4 विशिष्टताएं

- योजना पर 153.64 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय के प्रति सातवीं योजना अवधि में 156.20 लाख रुपये व्यय किया गया था ।
- भूमि संरक्षण योजना के अंतर्गत 2350 हैक्टेयर को आवृत करने के लक्ष्य के प्रति दिल्ली प्रशासन द्वारा तय 18 रुपये की न्यूनतम मजदूरी की तुलना में सरकार द्वारा नियत 8 रुपये प्रति श्रम दिवस की निम्न दर के कारण, वास्तव में आवृत क्षेत्र 305.65 हैक्टेयर सूचित किया गया था । ब्याज की अदायगी में, दिल्ली प्रशासन द्वारा बिना यह सुनिश्चित किए कि खेतीहरों द्वारा योजना के न्यूनतम अनुवर्ती कार्यक्रम का पालन किया गया था, 1.63 लाख रुपये राशि की छूट दी गई थी ।
- 1985-86 से 1989-90 से नियत 60,000 के लक्ष्य के प्रति, भूमि के केवल 17762 नमूनों की जांच की गई थी। 6944 भूमि नमूनों के जांच परिणाम खेतीहरों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।
- संचालन के अपेक्षित घंटों की अपेक्षा ट्रैक्टरों का उपयोग बहुत कम था ; 108 रुपये प्रति घंटे संचालन लागत के प्रति खेतीहरों को ट्रैक्टर 35 रुपये प्रति घंटा की रियायती दर पर किराये पर दिए गए थे ।
- सातवीं योजना अवधि के दौरान खारे पानी द्वारा प्रभावित भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।
- एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा योजना के संघात के विस्तृत अध्ययन हेतु योजना आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

28.5 भूमि का संरक्षण

28.5.1 सातवीं योजना अवधि के दौरान, योजना 2350 हैक्टेयर में कार्यान्वित की जानी थी परन्तु वास्तव में शामिल किया गया क्षेत्र 305.65 हैक्टेयर था । 26.91 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय के प्रति, किया गया व्यय केवल 8.11 लाख रुपये था । वर्ष-वार लक्ष्य, उपलब्धियां तथा व्यय निम्नवत: थे :

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	प्रत्यक्ष (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख रु.में)	प्रत्यक्ष (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख रु. में)
1985-86				
धान 100				
पहाड़ी250	450	10.00	9.80 पहाड़ी भूमि	0.99
सरकार 100				
1986-87				
उपरोक्त	450	5.60	18.00 उपरोक्त	0.50
1987-88				
उपरोक्त	450	2.80	93.69 उपरोक्त	1.14
1988-89				
धान 100				
पहाड़ी500	600	4.60	77.31 उपरोक्त	2.24
1989-90				
धान				
पहाड़ी	400	3.91	106.85 उपरोक्त	3.24
जोड़	2350	26.91	305.65	8.11

इस प्रकार, वित्तीय एवं प्रत्यक्ष उपलब्धियां केवल क्रमशः 30.14 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत थी । आगे, निजी धान, खेतों, पहाड़ी भूमि तथा सरकारी भूमि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे परन्तु कार्य पहाड़ी भूमि पर ही प्रारंभ किये गये थे। निदेशालय ने मार्च 1990 में बताया कि उपलब्धि में कमी मुख्यतः, प्रशासन द्वारा नियत (प्रति श्रम-दिवस 18 रु.)प्रचलित न्यूनतम मजदूरी

की तुलना में भारत सरकार द्वारा भूमि संरक्षण कार्य हेतु नियत कम दर (प्रति हैक्टेयर 4000 रुपये प्रति हैक्टेयर/ प्रति श्रम-दिवस 8 रुपये) के कारण थी ।

28.5.2 खेतीहर के खेतों में भूमि संरक्षण उपाय, ऋण एवं सहायता के आधार पर किए गए थे, आर्थिक सहायता बकाया ऋण को अनुदान में परिवर्तन करने के स्वरुप में थी । पांचवे वर्ष में ऋण का 50 प्रतिशत, आर्थिक सहायता के रुप में माना जाना था यदि भूमि संरक्षण कर्मचारी वर्ग द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि खेतीहर द्वारा न्यूनतम अनुवर्ती कार्यक्रम चार वर्षों के लिए अपनाया गया था । आर्थिक सहायता का प्रदान किया जाना ऋण तथा/या उस पर ब्याज की समय पर अदायगी की शर्त पर भी था । ऋण, कार्य की समाप्ति या राशि के संवितरण की छठी वार्षिकी के शुरु से बकाया शेष पर 15 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना था, केवल ब्याज ही पहले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक तिथियों पर अदा योग्य था ।

ऋण रजिस्टर के विश्लेषणों ने इंगित किया कि 31 मार्च 1990 को, 371 व्यक्ति थे जिनसे 31 मार्च 1985 तक जारी किए गए ऋणों के संबंध में 11.00 लाख रुपये वसूल किए जाने थे। इसके अतिरिक्त, उनसे ब्याज के रुप में 4.52 लाख रुपये भी बकाया थे ।

यह देखा गया था कि प्रशासन ने छठी योजना अवधि के दौरान प्रदान किए गए 3.72 लाख रुपये के ऋणों पर 1.63 लाख रुपये राशि के ब्याज की अदायगी की छूट दे दी थी । छूट दिए गए मामलों के संबंध में अनुवर्ती कार्यक्रम के अंगीकार करने के प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।

नियमावली में, नाप पुस्तिका में दर्ज किए जाने वाले नापों के आधार पर किए गए समस्त कार्यों हेतु खेतीहरों को अदायगी हेतु व्यवस्था है । योजना के अधीन किए गए कार्यों हेतु ऋणों की अदायगी की सत्यता के सत्यापन हेतु नाप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई थीं ।

भूमि पर किए गए कार्य की लागत दशति हुए भूस्वामियों के अधिकार व देयताएं, ऋण की कुल राशि तथा वसूल किया जाने वाला ब्याज, वार्षिक किस्तों की संख्या, वसूली आरंभ करने की तिथि इत्यादि अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा था ।

सातवीं योजना अवधि के दौरान अलग अलग खेतीहरों को दी गई राशि को दशति हुए जून 1990 तक कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था । निदेशालय ने जून 1990 में बताया कि सातवीं योजना के दौरान लाभभोगियों की कुल संख्या 136 थी तथा उन्हें दी गई राशि 8.11 लाख रुपये थी ।

खेतीहरों की ओर से निदेशालय द्वारा किये गये कार्य हेतु राशि आकस्मिक बिलों पर

आहरित की गई थी तथा खेतीहरों द्वारा प्राप्त राशि, ऋण शीर्ष की बजाय सेवा शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित की गई थी । निदेशालय ने जून 1990 में बताया कि ऋण शीर्ष के अन्तर्गत बुक किये जाने के उपाय किये जायेंगे ।

28.6 भू-संरक्षण-सह प्रदर्शन केन्द्र तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला को बढ़ावा

योजना का मुख्य उद्देश्य, खेतिहरों को, खेतों में उन्हें व्यवहारिक प्रदर्शन द्वारा विभिन्न अनुसंधानों एवं भू- संरक्षण अभ्यासों के प्रभाव से अवगत कराना तथा भूमि उर्वरता तथा पैदावार बढ़ाने के लिये आवश्यक खादों की किस्मों का विश्लेषण करने की दृष्टि से विभिन्न फसलों पर भूमि की जांच करना भी था ।

निदेशालय ने फरवरी 1990 में बताया कि खेतीहरों/किसानों को, भू-संरक्षण के मामले में अपनाये जाने वाले उपायों की उन्हें जानकारी देने के लिये प्रदर्शन फार्मों में लाया गया था । खेतों में कोई अलग से प्रदर्शन नहीं किये गये थे ।

जांच किये गये भू-नमूनों के संबंध में उपलब्धियां प्रतिवर्ष नियत किये गये लक्ष्यों से बहुत पीछे थीं। सातवीं योजनावधि के दौरान 60,000 के लक्ष्य के प्रति केवल 17762 नमूनों की जांच की गई थी । उपलब्धि दर केवल 29.6 प्रतिशत थी । भेजी गई सिफारिश शीटें (10,818) भी जांच किये गये नमूनों (17762 संख्या) से कम थी । इस प्रकार 6,944 भू-नमूनों के जांच परिणाम खेतीहरों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।

सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय निम्नवत थे:

(लाख रु. में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
1985-86	2.38	0.33	(-) 2.05
1986-87	1.60	0.10	(-) 1.50
1987-88	1.20	1.24	(+) 0.04
1988-89	1.20	0.60	(-) 0.60
1989-90	2.09	2.09	-
	8.47	4.36	(-) 4.11

जून 1990 में निदेशालय द्वारा निधि का कम उपयोग (51 प्रतिशत) भू-रसायनी तथा वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के पदों को न भरने पर आरोपित किया गया था । भू- संरक्षण ढांचे हेतु प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त भू-संरक्षण उपायों, घास की किस्मों, फलियों आदि को विकसित एवं प्रारंभ करने के लिए 0.42 लाख रुपये की लागत से जून 1983 में निर्मित हरित गृह, उपयुक्त छत तथा जल संयोजन के अभाव में, प्रयोग में नहीं लाया जा सका था ।

28.7 भूमि समतलीकरण तथा ट्रैक्टर जुताई

योजना का मुख्य उद्देश्य , बैल शक्ति की कमी की समस्या को काबू करके किसानों की सहायता तथा समय से जुताई पूरा करने की दृष्टि से भूमि के विभागीय ट्रैक्टरीकरण को तीव्र करने के द्वारा खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाना था । योजना में उपयुक्त दरों पर किसानों को विभागीय ट्रैक्टरों को मुहैय्या कराने पर भी विचार किया गया था ।

वर्षवार अनुमोदित परिव्यय तथा किए गए व्यय निम्न दशयि गए अनुसार थे :

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	भिन्नता आधिक्य (+) बचत (-)
1985-86	8.26	14.62	(+) 6.36
1986-87	12.00	22.82	(+)10.82
1987-88	12.50	12.60	(+) 0.10
1988-89	12.50	18.42	(+) 5.92
1989-90	17.00	21.43	(+) 4.43
	62.26	89.89	(+)27.63

निदेशालय ने अधिक व्यय के लिए कारण इंगित नहीं किए थे ।

निदेशालय के पास सातवीं योजना के शुरु में ट्रैक्टरों की संख्या, पुनर्वास विभाग से

उसकी द्वीप में गतिविधियां समाप्त होने के परिणामस्वरुप प्राप्त किए गए 35 ट्रैक्टरों सहित, 63 थी । इन में से 2.55 लाख रुपये मूल्य के 13 ट्रैक्टर फरवरी 1987 में, असेवायोग्य घोषित कर दिए गए थे तथा खेतीहरों को, इस उद्देश्य हेतु नियुक्त की गई एक समिति द्वारा रद्दी के रुप में नियत की गई कीमत पर निपटा दिये गये थे । निपटान 0.33 लाख रुपये की कुल कीमत पर 1988 के दौरान किया गया था । आगे, 2 ट्रैक्टर 1985 में, 9 ट्रैक्टर 1987 में तथा 25 ट्रैक्टर 1989 में 38.86 लाख रुपये की कुल लागत पर खरीदे गये थे, जिसके द्वारा निदेशालय के पास लिए गए कुल ट्रैक्टरों की संख्या 86 हो गयी थी । यह पता चला था कि प्रति वर्ष कुल चालन घंटे के संबंध में ट्रैक्टरों का उपयोग, प्रति ट्रैक्टर प्रतिवर्ष संभावित संचालन के 1250 घंटों के मुकाबले अनुसार बहुत कम था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

पोर्ट ब्लेयर , दक्षिण अण्डमान

	जुताई हेतु संचालन में ट्रैक्टरों की संख्या	कुल चालन घंटे
1985-86	7	2350.79
1986-87	7	1366.37
1987-88	7	1993.00
1988-89	7	3215.00
1989-90	10	4107.00

हट बे , लिटिल अण्डमान

1987-88	3	1695.००
1988-89	5	1892.9
1989-90	5	2754.4

(1985-86 तथा 1986-87 केलिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे)

ट्रैक्टरों को 108.00 रुपये प्रति घंटे की संचालन लागत के प्रति 35.00 रुपये प्रति घंटे की रियायती दरों पर खेतीहरों को किराये पर दिया गया था । आगे, यद्यपि योजना का मुख्य उद्देश्य दो फसलों को पैदा करते हुए खाद्यान्नों की पैदावार को बढ़ाना था , ट्रैक्टरीकरण से खाद्यान्नों की पैदावार में बढ़ोत्तरी का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था । निदेशालय ने जून 1990 में बताया कि योजना की कार्यविधि का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

28.8 कृषि के लिए खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों को सुधारना

सातवीं योजना अवधि के अंतर्गत योजना का मुख्य उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न द्वीपों में लगभग 686 हैक्टेयर भूमि (326 हैक्टेयर पहले से ही प्रभावित तथा 360 हैक्टेयर प्रभावित हो जानी संभाव्य) को, विद्यमान पुस्तों, दीवारों तथा जलद्वारों इत्यादि को सुदृढ़ करने के द्वारा खेती योग्य बनाना था । खारे पानी से प्रभावित भूमि के सुधार हेतु पांच विभिन्न द्वीपों में सर्वेक्षण

भी किया जाना था । योजना अवधि के दौरान अनुमोदित परिव्यय 56 लाख रुपये था जिस में से 47.00 लाख रुपये विद्यमान सुरक्षा उपायों को बल प्रदान करने के लिए तथा 9.00 लाख रुपये खारे पानी से प्रभावित भूमि के सुधार हेतु सर्वेक्षण करने के लिए था । मार्च 1990 तक योजना अवधि के दौरान 53.46 लाख रुपये का व्यय 686 हैक्टेयर में विद्यमान सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा 0.38 लाख रुपये छठी योजना अवधि के बिखरे हुए सर्वेक्षण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था । सातवीं योजना अवधि के दौरान खारे पानी से प्रभावित विभिन्न द्वीपों में भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

28.9 योजना का मूल्यांकन

योजना आयोग ने इच्छा व्यक्त की थी (फरवरी 1987) कि पहले से ही कार्यान्वित की गई भू- संरक्षण योजनाओं के संघात का विस्तृत अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए । संघ सरकार द्वारा अध्ययन, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद या भारतीय कृषि वित्त निगम, मुम्बई द्वारा किए जाने का सुझाव दिया गया था । लेकिन इस दिशा में निदेशालय द्वारा जून 1990 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

ये टिप्पणियां मंत्रालय को अगस्त 1990 में भेजी गई थीः अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

29. पेय जल पर प्रौद्योगिकी मिशन

29.1 प्रस्तावना

1986 में स्थापित, पेय जल पर प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य, गांवों में लवणता फलोराईड तथा लौह की मात्रा की अधिकता के कारण संदूषण से मुक्त पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता बनाये रखने को सुनिश्चित करना था । योजना को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया था ।

1981 की जनगणना के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में कुल 1.89 लाख की जनसंख्या में से 1.39 लाख, 491 गांवों में फैले हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे । अप्रैल 1985 में, 24246 की जनसंख्या वाले 40 गांव समस्याग्रस्त गांवों के रुप में माने गये थे । इन गांवों में 1.6 कि मी की दूरी के भीतर पेयजल के सुनिश्चित स्रोत या तो नहीं थे या जल में लवणता, लोहा फलोराईड की अधिकता तथा/या अन्य विषाक्त तत्व सम्मिलित थे । समस्याग्रस्त 40 गांवों में से 14 को, प्रौद्योगिकी मिशन चालू करने से पहले ही सातवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान शामिल किया गया था तथा बाकी 26 गांवों को 1986-87 (नौ गांव), 1987-88 (नौ गांव), 1988-89 (छः गांव), 1989-90(दो गांव), में शामिल किया गया था । सभी निर्माण कार्य निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम (नि आ का) तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व ग्रा

ज का) के अधीन किये गये थे ।

यद्यपि, सातवीं योजना के दौरान प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मूल रुप से कोई भी गांव आवृत नहीं किया गया था, प्रौद्योगिकी मिशन से पहले नि आ का तथा त्व ग्रा ज का के अधीन पहले से आवृत 9477 निवासियों वाले 13 गांव, जलापूर्ति की और वृद्धि के लिए, प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान लिए गए थे ।

29.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1987-88 से 1989-90 की अवधि के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन की मई 1990 में लेखापरीक्षा में पुनरीक्षा की गई थी ।

29.3 संगठनात्मक ढांचा

अंडमान लोक निर्माण विभाग को परियोजना रिपोर्ट के ब्यौरे तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । योजना के अधीन गतिविधियों के निष्पादन तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि ग्रा वि ए) में निहित था । संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण जलापूर्ति का प्रभारी सचिव, परियोजना समन्वयक था ।

29.4 विशिष्टताएं

- निधियों का कम उपयोग हुआ है । 11.04 लाख रुपये की उपलब्ध राशि के प्रति 1987-90 के वर्षों के दौरान किया गया व्यय 3.87 लाख रुपये था ।
- जलापूर्ति विश्लेषण की योजना के कार्यान्वयन हेतु नागपुर में एक एजेंसी को अप्रैल 1988 में एक अग्रिम के रुप में 1.50 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी । संस्थान की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सूचित नहीं की गई थी ।
- निदेशालय ने मार्च 1989 में 6.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 24 स्वास्थ्यकर कुओं के लिए 9477 की जनसंख्या वाले 13 गांव आवृत करने हेतु स्वास्थ्यकर कुएं उपलब्ध कराने का निष्पादन कार्य शुरु कर दिया तथा 1.38 लाख रुपये के व्यय पर, 3059 की जनंसख्या को आवृत करते हुए, आठ कुओं का निर्माण कार्य पूरा किया (मई 1990) । योजना का लाभ, योजना के अधीन आवृत की जाने वाली जनसंख्या के केवल 32 प्रतिशत को ही पहुंचा ।
- जल गुणवत्ता के निर्धारण हेतु अभीष्ट, प्रयोगशाला अभी स्थापित की जानी थी (नवम्बर 1990) यद्यपि, 2.50 लाख रुपये की राशि जुलाई 1987 में प्राप्त की गई थी ।

समय- समय पर योजना की प्रगति तथा निष्पादन का प्रबोधन नहीं किया गया है योजना का मूल्यांकन भी नहीं किया गया है ।

29.5 योजना का निष्पादन

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने भारत सरकार से जुलाई 1987 में 10.00 लाख रुपये का एक अनुदान प्राप्त किया। 1.04 लाख रुपये का ब्याज अर्जित करते हुए राशि बैंक में जमा करा दी गई । 1987-88 से 1989-90 के दौरान किया गया व्यय, मार्च 1990 के अंत तक 7.17 लाख रुपये का अव्ययित शेष छोड़ते हुए, केवल 3.87 लाख रुपये था । इस प्रकार, निधियों का बहुत अल्प उपयोग रहा है ।

1988-89 तथा 1989-90 के दौरान प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन पायलट परियोजना (लघु मिशन) के अंतर्गत निम्नलिखित चार गतिविधियों के कार्यान्वयन के संबंध में 10 लाख रुपये का अनुदान व्यय किया जाना था ।

29.5.1 जल गुणवत्ता विश्लेषण : जलगुणवत्ता विश्लेषण के कार्य को शुरु करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, को अप्रैल 1988 में 1.50 लाख रुपये की राशि का अग्रिम दिया गया था । संस्थान ने अग्रिम दी गई राशि का पूर्ण उपयोग दिसम्बर 1990 में सूचित किया । संस्थान की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सूचित नहीं की गई थी ।

29.5.2 स्वास्थ्यकर कुओं का प्रावधान : दिसम्बर 1988 में, भारत सरकार ने 24 कुओं के निर्माण हेतु 6.00 लाख रुपये संस्वीकृत किये । निदेशालय ने जलापूर्ति बढ़ाने के लिए 9477 की जनसंख्या वाले 13 गांवों को आवृत करने के लिए, मार्च 1989 में स्वास्थ्यकर कुएं उपलब्ध कराने का निष्पादन कार्य शुरु किया । 3059 की जनसंख्या को आवृत करते हुए केवल 8 कुएं ही पूरे किये गये थे (मई 1990) । 1.38 लाख रुपये की एक राशि इस संबंध में लेखाबद्ध की गई थी । तीन कुएं लगभग पूरे हो गये सूचित किये गये थे तथा बाकी 13 कुओं का निर्माण प्रगति के अंतर्गत था । कुओं के सम्पूर्ण होने में विलम्ब, सीमेंट तथा एम एस रोड़ जैसी सामग्री की अनुपलब्धता पर आरोपित किया गया था । योजना के अधीन आवृत किये जाने वाले 9477 की जनसंख्या में से केवल 3059 की जनसंख्या को ही अभी तक लाभान्वित (32 प्रतिशत) किया जा सका था ।

29.5.3 प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना : जल गुणवत्ता के निर्धारण के लिए 2.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत पर प्रयोगशाला की स्थापना दिसम्बर 1988 में संस्वीकृत की गई थी यह स्थापित नहीं की गई थी (नवम्बर 1990)।

29.5.4 जानकारी शिविर : इस उद्देश्य हेतु

दिसम्बर 1988 में अनुमोदित लागत 0.50 लाख रुपये थी । रंगीन टेलीविजन, विडियो कैसेट प्लेयर तथा जन संबोधन प्रणाली जैसे 0.23 लाख रुपये के उपस्कर, अच्छे पेयजल के लाभ की जानकारी उत्पन्न करने के उद्देश्य से, समूह बैठकें तथा शिविर आयोजित करने के लिए, मार्च 1990 में खरीदे गये थे । निदेशालय ने मई 1990 में बताया कि जानकारी शिविर आयोजित करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था तथा पहला ऐसा शिविर मई 1990 के अंत तक आयोजित किया जाना तय हुआ था। 0.27 लाख रुपये की बकाया निधि अभी उपयोग की जानी थी । इस प्रकार अच्छे पेयजल की उपयोगिता तथा लाभ के बारे में ग्रामीणों के बीच आम जानकारी उत्पन्न करने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना था ।

प्रशासन ने जनवरी 1991 में सूचित किया कि 0.03 लाख रुपये का व्यय करते हुए दस जानकारी शिविर अगस्त तथा सितम्बर 1990 में आयोजित किए गए थे । बकाया राशि, दूरस्थ गांव जहां बिजली नहीं थी, में जानकारी शिविरों में विडियो फिल्में दिखाने के उद्देश्य हेतु एक जैनरेटर सैट की खरीद पर व्यय की जानी प्रस्तावित थी ।

29.6 प्रबोधन तथा मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों को मासिक रिपोर्ट,निष्पादन रिपोर्ट के प्रस्तुत करने तथा परियोजना समन्वयक के क्षेत्र दौरे के माध्यम से योजना का प्रबोधन नहीं किया गया है । योजना का मूल्यांकन भी अभी तक नहीं किया गया है ।

ये आपत्तियां, मंत्रालय को अगस्त 1990 में भेजी गई थीं; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1990)।

30. एक सड़क निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब

खाड़ी द्वीप समूह में 9.6 कि मी की सड़क के निर्माण द्वारा पृथक बस्तियों के संयोजन करने के उद्देश्य ने छः महीने की विचारी गई अवधि के प्रति 19 वर्ष का समय लिया । व्यय, जो कि प्रारंभ में 4.38 लाख रुपये अनुमानित किया गया था, विनिर्देशों मे परिवर्तन तथा अधिक समय लगने के कारण 45.87 लाख रुपये हो गया ।

एरियल खाड़ी से लामिया खाड़ी (उत्तरी अंडमान) तक खाड़ी द्वीपसमूह में व्यवस्थापन तथा उपनिवेशन के लिए 13.6 कि मी की ग्रामीण सड़क तथा 68 ह्यूम पाईप पुलियों के निर्माण के लिए अक्तूबर 1963 में अंडमान व निकोबार प्रशासन ने 4.38 लाख रुपये की संस्वीकृति दी । अनुमान, अप्रैल 1965 में संशोधित करके 7.33 लाख रुपये कर दिया गया था, क्योंकि सड़क का निर्माण एक बृहतर परिव्यय को अंतर्ग्रस्त करते हुए विभिन्न विनिर्देशनों की 55 पुलियों के साथ किया जाना था । तदनन्तर, कालीपुर के बाद आरक्षित जंगल होने तथा इस

स्थान के आगे अधिक बस्ती न होने के कारण लामिया खाड़ी के पहले एक स्थान कालीपुर पर सड़क की लम्बाई 13.6 कि मी से 9.6 कि मी तक घटा कर समाप्त कर दी गई थी । निर्माण कार्य (भूमि कार्य के अतिरिक्त)नवम्बर 1963 में विभागीय रुप से प्रारंभ किया गया था ।

निर्माण कार्य छः महीनों में पूरा नहीं हो सका जैसा कि विचारा गया था । जुलाई 1974 तक, केवल विरचन कार्य ही पूरा किया गया था तथा अन्य मदें जैसे मिट्टी डालना, गिट्टी डालना तथा रंगाई क्रमशः 4.3 कि मीः 2.1 कि मी तथा 1.6 कि मी की लम्बाई के लिए ही पूरी हुई थी। परिवहन मंत्रालय (सड़क शाखा) द्वारा शेष बचे भाग तथा निर्धारित ग्रामीण सड़कों के लिए संशोधित विनिर्देशनों के आधार पर पहले से बनाई गई सड़क के एक भाग का आशोधन करने का भी निर्णय किया गया था तथा तदनुसार, जुलाई 1974 में, मुख्य पुलों तथा पुलियों की लागत को छोड़कर 20.09 लाख रुपये का अन्य अनुमान प्रस्तुत किया गया था । संशोधित विनिर्देशनों के लिए 1.92 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हुआ । संशोधित विनिर्देशनों के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करते समय, एक किलोमीटर की लम्बाई पुनः तैयार की जानी थी, क्योंकि निरीक्षण पर सड़क के ये भाग क्षतिग्रस्त पाये गये थे।

सड़क का एक भाग वाहनों के यातायात के लिए मार्च 1982 में खोला गया था । निर्माण कार्य 7.33 लाख रुपये के संस्वीकृत अनुमान के प्रति 45.87 लाख रुपये की लागत से हर प्रकार से मार्च 1984 में पूरा हो गया था । निर्माण कार्य के क्षेत्र में परिवर्तनों तथा कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण 38.54 लाख रुपये अधिक व्यय को नियमित करने की संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी ।

जून 1988 में, लोक निर्माण मंडल ने अधिक समय लगने का कारण (i) द्वीप समूह में विद्यमान भौगोलिक तथा मौसम संबंधी विलक्षण परिस्थिति (ii) मशीनों तथा सामग्री की अनुपलब्धता (iii) विशिष्ट मिट्टी संस्तर तथा (iv) मजदूरों की कम उपस्थिति पर आरोपित किया था । मंडल ने फरवरी 1990 में स्वीकार किया कि निर्माण कार्य के लिए उल्लिखित छः महीनों की अवधि अयथार्थवादी थी ।

मामला अक्तूबर 1990 में मंत्रालय को सूचित किया गया थाः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990)।

31. अण्डमान आदिम जन-जाति विकास समिति को अनुदान

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान 1985-86 से 1989-90 के दौरान निदेशक, जनजातीय कल्याण द्वारा द्वीपसमूह के आदिम जनजातियों के कल्याण के

लिए, अंडेमान आदिम जन जाति विकास समिति को, 95.02 लाख रु. की राशि के अनुदान जारी किये गये ।

यह अवलोकित किया गया था कि 1985-86 से 1989-90 के दौरान समिति को उनके लेखों के लेखा परीक्षित विवरण की प्राप्ति के बिना अनुदान जारी किये गये थे, यद्यपि वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि पुनः अनुदान संस्वीकृत करने से पहले प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं से लेखों के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त किये जाने चाहिए । निदेशालय ने अप्रैल 1990 में बताया कि लेखा परीक्षित लेखों की प्रस्तुति के लम्बित रहते हुए, जो कि सक्षम कर्मचारियों के अभाव में बकाये में थी, सहायक अनुदान जारी किया गया था ।

31 मार्च 1990 को, पांच वर्षों के दौरान समिति द्वारा प्राप्त अनुदानों में से, अव्ययित बकाया 18 लाख रु. की ब्याज राशि सहित 84.34 लाख रुपये सूचित किया गया था । सहायक अनुदान की अदायगी का विनियमन करने वाले नियमों में अव्ययित बकायों की वापसी अपेक्षित है । ये समिति द्वारा न तो वापिस किये गये थे, न ही निदेशालय द्वारा वापसी पर जोर दिया गया था क्योंकि मुख्य सचिव, अंडेमान व निकोबार प्रशासन के अनुसार, ऐसी वापसियां समिति के कार्यचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

सामान्य वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एकदम अधिक-व्यय के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए । तथापि, 95.02 लाख रुपये के कुल अनुदान में से, पिछले पांच वर्षों की अंतिम तिमाही में अकेले मार्च महीने में जारी किये गये 67.49 लाख रुपये सहित 79.99 लाख रुपये के अनुदान जारी किये गये थे ।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय को भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990) ।

32. लाईसेंस फीस की गैर वसूली

प्रशासन ने 55.36 लाख रुपये राशि की कुल बोली के प्रति नीलामी के आधार पर 1 अप्रैल 1987 से 31 मार्च 1988 तक संघ शासित प्रदेश में खुदरा में शराब की बिक्री के लिए चार व्यक्तियों को लाइसेंस की अनुमति दी थी । लाईसेंस फीस चार किस्तों में वसूली योग्य थी ।

प्रशासन ने नवम्बर 1987 के पहले, दो किस्तों में वसूल किए जाने वाले देय 27.68 लाख रुपये के एक शेष को छोड़ते हुए, नीलामी के 48 घंटों के अंदर कुल बोली की राशि के 50 प्रतिशत के रुप में, 27.68 लाख रुपये वसूल कर लिये थे । परन्तु प्रशासन विक्रेताओं को नहीं खोज सका था। इसके परिणामस्वरुप 27.68 लाख रुपये तक के राजस्व की हानि हुई । अंशतः हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए नए विक्रेताओं के चयन हेतु पुनः नीलामी संचालित नहीं की गई थी ।

मामला मंत्रालय को जून 1990 में तथा प्रशासन को फरवरी 1990 मे सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1990)।

33. औषधियों की निर्धारित जीवन अवधि की समाप्ति के कारण हानि

औषधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निदेशक स्वास्थ्य सेवा (नि स्वा से) द्वारा पूरे वर्ष औषधियों की आपूर्ति हेतु चिकित्सा भण्डार डिपो (चि भं डि) कलकत्ता को वार्षिक मांगपत्र भेजे जाते हैं । 1987-88 के दौरान चि भं डि ने 241.55 लाख रुपये मूल्य की दवाईयां नि स्वा से को आपूर्त की, जिसमें 51.35 लाख रुपये की औषधियां नि स्वा से द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी । तथापि, चि भं डि में तैयार किये गये निर्गम वाऊचर, 'अनुदेशों तथा विचार विमर्श के अनुसार' पोर्ट ब्लैयर को भेजी गई दवाईयों को दशति थे ।

चि भं डि मैनुअल के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि कोई मांगकर्त्ता, उन भंडारों को प्राप्त नहीं करें जिनमें चि भं डि से भेजने की तिथि से छः माह की प्रभावी जीवन अवधि न हो । 1987-88 के दौरान, चि भं डि से 190.20 लाख रुपये की प्राप्त की गई दवाईयों में से, 18.44 लाख रुपये मूल्य की औषधियों की, जुलाई 1987 और मई 1988 के बीच आठ खेपों में उस समय तक जब प्रेषित माल पोर्टब्लैयर पहुंचा, जीवन अवधि समाप्त / विघटित हो गयी थी । इनमें, चि भं डि से भेजने के समय पर छः माह से कम की प्रभावी जीवन अवधि वाली 3.76 लाख रुपये मूल्य की दवाईयां शामिल थीं । इसके अतिरिक्त एक से चार महीने के बीच के कम जीवन अवधि वाली 4.90 लाख रुपये की दवाईयां भी प्राप्त की गई थीं । ये दवाईयां नि स्वा से द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थीं तथा भण्डार में पड़ी थीं।

नि स्वा से द्वारा गतावधि औषधियों की आपूर्ति के बारे में चि भं डि की जानकारी में नवम्बर 1987 तथा बाद में भारत सरकार की जानकारी में दिसम्बर 1987 तथा जनवरी 1988 में लाया गया था । फरवरी 1988 में नि स्वा से ने 23.34 लाख रुपये की सभी दवाईयों को बदलने हेतु वापस भेजने के लिए मंत्रालय से स्वीकृति मांगी । मई 1988 में नि स्वा से ने महा निदेशक स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली (म नि स्वा से) के साथ भी मामला उठाया ।

म नि स्वा से ने मई 1988 में चि भं डि को बेकार / गतावधि औषधियों को संभव मात्रा तक बिना लागत के बदलने के लिए आपूर्तिकर्त्ता को राजी करने तथा सरकार की वित्तीय हानि को बचाने के लिए या तो द्वीपसमूह में ही या बाहर, अनुपयोगी भण्डार को परिसमाप्त करने के लिए सभी प्रयास करने तथा दवाईयों को बदलने हेतु हर पखवाड़े, प्रयासों के परिणामों की प्रत्येक रिपोर्ट देने

को कहा । तथापि, चि भं डि से जून 1990 तक कोई उत्तर नहीं मिला था । यह सिद्ध करने हेतु अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि चि भं डि ने वास्तव में आपूर्ति कर्त्ता के साथ मामला उठाया था।

इसी बीच, अन्य दवाओं के भण्डार के साथ मिश्रित होने से रोकने के लिए तथा नि स्वा से के मुख्य भण्डारण में खाली स्थान की समस्या पर काबू पाने के लिए, गतावधि औषधियां मार्च से मई 1988 के बीच पोर्टब्लैयर में एक भवन में अलग रखी गई थीं ।

एक अलग भवन में रखी गई, ये गतावधि दवाईयां, जनवरी 1989 में एक आग दुघर्टना में पूर्णतया नष्ट हो गई थीं । मामला, अगले दिन पुलिस में दर्ज कराया गया था। एक दण्डाधिकारीय जांच प्रशासन द्वारा जनवरी 1989 में आदेशित की गई थी। जांच के परिणाम प्रतीक्षित थे (जून 1990)।

चि भं डि से भेजने से पूर्व नियमानुसार मांगकर्त्ता के लिए औषधियों के संवितरण पर प्रभावी देखरेख तथा नियंत्रण के अभाव के साथ जुड़ी समय पर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दवाईयों को बदलवाने में विफलता, के परिणामस्वरुप 23.34 लाख रुपये की हानि हुई ।

तथापि, चि भं डि ने नवम्बर 1989 में बताया कि अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लैयर को कोई गतावधि/बेकार दवाईयां आपूर्त नहीं की गई प्रतीत हुई हैं । नि स्वा से द्वारा यह परिपुष्ट नहीं किया, जिसने सितम्बर 1990 में कहा कि उन विवरणों की जांच जैसे, खेप संख्या, निर्माण तिथि, गतावधि तिथि इत्यादि से पता चला कि 7.45 लाख रुपये की 15 औषधियां गतावधि थीं, 4.90 लाख रुपये की नौ दवाईयों की अवधि नि स्वा से द्वारा उनकी प्राप्ति करने के समय एक से चार महीने के बीच थी तथा 10.99 लाख रुपये की पांच दवाईयां बेकार थीं ।

मामला मार्च 1989 में मंत्रालय को सूचित किया गया व एक अनुस्मारक अनुसरण जुलाई 1990 में भेजा गया तथा गृह मंत्रालय को जुलाई 1990 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990) ।

34. कक्षा कमरों के निर्माण में विलम्ब

जनवरी 1985 में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली (संगठन) ने, पोर्ट ब्लैयर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के लिए 12 कक्षा कमरों के निर्माण हेतु 26.86 लाख रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की थी । निक्षेप निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी अण्डेमान लोक निर्माण विभाग (अं लो नि वि) थी । निर्माण कार्य सितम्बर 1985 में प्रारंभ हुआ था तथा 18 मास की अनुबद्ध अवधि के अंदर समाप्त नहीं किया गया था ।

संगठन ने, अक्तूबर 1986 तक अं लो

नि वि के पास किश्तों में 26 लाख रुपये की राशि जमा कराई थी । मार्च 1987 में, अं लो नि वि ने मजदूरी तथा सामग्री लागत में वृद्धि के कारण संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय सं-स्वीकृति के लिए संगठन से सम्पर्क किया । 41.43 लाख रुपये की संशोधित स्वीकृति नवम्बर 1987 में प्रदान की गई थी । जनवरी 1988 में 15 लाख रुपये की और अतिरिक्त राशि भी जमा कराई गई थी ।

निर्माण किये जाने वाले 12 कक्षा कमरों में से अं लो नि वि ने सितम्बर 1988 तक आठ कमरे तथा अप्रैल 1990 तक दो कमरे तैयार किए थे । शेष दो कमरों का निर्माण अभी किया जाना था । 40.65 लाख रुपये का व्यय अब तक हो गया था (अक्तूबर 1990) । अं लो नि वि द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब के फलस्वरुप अक्तूबर 1990 तक व्यय की 13.79 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी ।

अं लो नि वि ने विलम्ब तथा अधिक लागत का कारण विशिष्ट जलवायु दशा, अधिक बरसात, सीमित कार्य मौसम, प्राकृतिक आपदाएं तथा मजदूरी और सामग्री लागत में वृद्धि पर आरोपित किया था । तथापि, खाड़ी द्वीप समूह में ये तथ्य असामान्य नहीं थे तथा विभाग को 18 महीनों की समय सीमा निर्धारण करते समय इन कठिनाईयों का पता था ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1990 में भेजा गया था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990)।

35. सड़क कार्य पर परिहार्य व्यय

विभाग ने 1.05 कि मी लम्बी एक सड़क को चौड़ा तथा उन्नयन करने हेतु लगभग चार वर्ष (पूर्वानुमानित एक कार्य काल के प्रति) लिए थे तथा संस्वीकृत व्यय को 16.92 लाख रुपये तक बढ़ा दिया था । विवरण नीचे दिए गए हैं ।

मार्च 1985 में " गोलधर से रजनीवास बारास्ता राज्य पुस्तकालय सड़क का उन्नयन (1.05 कि मी) " कार्य के लिए 19.55 लाख रुपये हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी । कार्य में 5 मीटर से 14 मीटर तक सड़क के फर्श की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए सड़क का दोनों ओर से चौड़ा करना तथा पुश्ता दीवार, रोक दीवार, सड़क की तरफ नाली, पुलिया इत्यादि का निर्माण सम्मिलित था । सारा कार्य एक कार्य अवधि में समाप्त किया जाना था परन्तु मास के अंतिम भाग में द्वीपसमूह में अति संभ्रांत व्यक्तियों के आगमन को मध्यनजर रखते हुए कार्य के सड़क भाग को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 10 फरवरी 1985 निर्धारित की गई थी । स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य नवम्बर 1984 में प्रारंभ किया गया था तथा 36.47 लाख रुपये की कुल लागत पर सितम्बर 1988 में समाप्त हुआ था।

जनवरी 1990 में लेखापरीक्षा द्वारा की

गई नमूना जांच से निम्नलिखित पता चला था :

(i) कार्य का सड़क भाग जो कि 10 फरवरी 1985 तक समाप्त किया जाना था वास्तव में 8 मई 1985 को समाप्त किया गया था । तथापि, द्वीप समूह में फरवरी 1985 में संभ्रांत व्यक्तियों के आगमन के प्रबंध के लिए सड़क की अस्थाई सतही रंगाई तथा सौंदर्यकरण किया गया था । कार्य की इन मदों पर 6.00 लाख रुपयों का व्यय वहन किया गया था जिसके लिए बजट अनुमान में कोई प्रावधान नहीं था । यदि सड़क निर्माण कार्य निर्धारित समय के अंदर सभी प्रकार से समाप्त हो जाता तो व्यय से बचा जा सकता था । विभाग द्वारा कार्य समाप्ति में देरी का कारण भारी वर्षा तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों पर आरोपित किया गया था (नवम्बर 1990) ।

(ii) कार्य के समापन हेतु एक पूर्वानुमानित कार्य अवधि के प्रति विभाग ने लगभग चार वर्ष के लिए तथा संस्वीकृत व्यय से उसे 16.92 लाख रुपये तक अधिक बढ़ा दिया था ।

(iii) निर्माण कार्य के सड़क भाग का निष्पादन विभागीय रुप से किया गया था तथा पुश्ता दीवार, रोक दीवार इत्यादि के निर्माण जैसी शेष मदों का कार्य, कार्य आदेश के आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया था । कार्यकारी अभियन्ता, दक्षिण अंडेमान मंडल ने जनवरी 1990 में बताया कि पुश्ता दीवार, रोक दीवार इत्यादि जैसे निर्माण कार्य के कुछ भाग मजदूर दर पर ठेकेदारों को दिए गए थे क्योंकि ऐसा सोचा गया था कि यह विभाग द्वारा निष्पादन से अधिक सस्ता, अधिक तेजी से होगा । तथापि, कार्य सितम्बर 1988 अर्थात कार्य प्रारंभ की तिथि से लगभग चार वर्षों के उपरांत, समाप्त हुआ था ।

मामला मंत्रालय तथा विभाग को जुलाई 1990 तथा नवम्बर 1990 में सूचित किया गया था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1990) ।

36. गलत विनिर्देशन की सुतली रस्सियों का अधिप्रापण

निदेशक, जहाजरानी सेवा, अंडेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने जुलाई 1978 में महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) को जहाजों में प्रयोग होने के लिए 220 मीटर लम्बी 40 लच्छी सुतली की रस्सियों (प्रत्येक 96 मि मी डाई तथा 76 मि मी डाई की माप की 20 लच्छियां) हेतु एक मांग पत्र दिया ।

म नि आ नि ने सुतली रस्सियों की अधिप्राप्ति, कलकत्ता में एक फर्म से बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, पैकिंग तथा वहन-शुल्क प्रभारों को छोड़कर 5.95 लाख रुपये से की थी तथा उन्हें अंतरिम परेषिती, सहायक निदेशक (जहाजरानी) कलकत्ता के माध्यम से पोर्ट ब्लैयर भेज दिया था। तथापि, पोर्ट ब्लैयर स्थित नौ-भंडार ने जून तथा दिसम्बर 1982 के बीच 34 लच्छियों की गिनती

की सूचना दी थी तथा 0.89 लाख रुपये मूल्य की 6 लच्छियां (प्रत्येक 96 मि मी डाई तथा 76 मि मी डाई की 3 लच्छियां) लापता रही थीं/ लेखे में नहीं ली गई थीं । कम प्राप्ति के कारणों का पता नहीं लगाया गया था(नवम्बर 1990)।

निदेशालय द्वारा फरवरी 1986 तक लेखे में ली गई 34 लच्छियों में से 0.59 लाख रुपये मूल्य की तीन लच्छियां प्रयोग में लाई गई थीं तथा 0.18 लाख रुपये मूल्य की एक लच्छी मार्च 1984 मे अंडेमान लक्षदीप बंदरगाह निर्माण कार्यों को बेच दी गई थी । क्योंकि रस्सियां किसी लाभदायक उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के लिए बहुत लम्बी बताई गई थी, निदेशालय ने नवम्बर 1983 में एक स्थानीय उद्यमकर्त्ता से रस्सियों को तीन टुकड़ों में कटवाने का निर्णय लिया था । नवम्बर 1983 तथा मार्च 1985 के दौरान 19 लच्छियों के पुनः आकार हेतु 2.42 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया था । इसके फलस्वरुप 2.42 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ था । शेष 11 लच्छियां (2.01 लाख रुपये) पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई बताई गई थीं ।

इस प्रकार, इस पर 5.32 लाख रुपये की कुल हानि हुई थी जिसे कि यदि निदेशालय ठीक विनिर्देशन की रस्सियों की अधिप्राप्ति के लिए कार्यवाही करता तो बचाया जा सकता था ।

निदेशालय ने मई 1990 में बताया कि व्यास का परिधि के रुप में विनिर्दिष्ट करना एक गलती थी । यह भी बताया गया था कि रस्सियों को छोटे आकार में बदलना एक बचाव का ढंग था तथा छः गुम हुई लच्छियों के मामले की जांच की जाएगी ।

मामला अप्रैल 1990 में मंत्रालय को भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990) ।

37. डामर के रिसने से हानि

मार्च 1980 में, अंडमान लोक निर्माण विभाग के भंडार एवं कार्यशाला मंडल ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए 2000 टन डामर की आपूर्ति के लिए एक फर्म को आपूर्ति आदेश दिया । डामर अवापसी योग्य नये इस्पात ड्रमों में आपूर्त किया जाना था । विभाग ने सितम्बर 1980 तथा मार्च 1981 के बीच फर्म से मद्रास में 2021.76 टन (13,230 ड्रम) डामर प्राप्त किया । इसमें से, 10519 ड्रम दिसम्बर 1980 तथा अप्रैल 1981 के बीच पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाज में लादे गये तथा 2571 ड्रम रिसने वाली अवस्था में पड़े हुए थे तथा मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए समुद्र से जहाज में भेजने के लिए अनुपयुक्त थे (सितम्बर 1981)। शेष 140 ड्रमों की स्थिति विभाग से सुनिश्चय योग्य नहीं थी ।

अंडमान लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा भंडारों के निरीक्षण के पश्चात सहायक निदेशक (जहाजरानी) मद्रास के

माध्यम से उन ड्रमों का स्थानीय रुप से निपटान करनें के लिए उसके द्वारा नवम्बर 1981 में प्रस्ताव किया गया था । तथापि, निपटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (फरवरी 1990) तथा विभाग ने बट्टे खाते डालने की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव किया । डामर के उन 2571 ड्रमों के लिए अदा की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी ।

प्रारंभ में मामला अगस्त 1983 में तत्कालीन निर्माण एवं आवास मंत्रालय के सचिव को सूचित किया गया था । डामर के रिसाव के कारण हानि को स्वीकार करते हुए प्रमुख अभियंता तथा पदेन सचिव, अंडेमान लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 1985 में सूचित किया कि आगामी रिपोर्ट सम्बद्ध कार्यकारी अभियंता से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भेजी जायेगी । जनवरी 1990 तक लेखापरीक्षा द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी । तथ्यों का एक विवरण विभाग को जनवरी 1990 में भेजा गया था । विभाग ने फरवरी 1990 में बताया कि अभिलेख मिल नहीं रहे थे । नये इस्पात ड्रमों की बजाए, पुराने रिसते हुए ड्रमों में डामर की आपूर्ति की स्वीकृति के फलस्वरुप 4.41 लाख रुपये की हानि हुई । यह स्वीकार करते हुए कि हानि आपूर्ति-कर्त्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आपूर्ति के कारण थी, विभाग यह नहीं बता सका कि त्रुटिपूर्ण आपूर्ति हेतु आपूर्ति-कर्त्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी (फरवरी 1990) ।

मामला मंत्रालय को जून 1990 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1990) ।

38. एक मिलिंग मशीन का चालू न किया जाना

निदेशालय नौ वहन सेवाओं (इसके पूर्व हार्वर मास्टर, मैरीन नाम से पदनामित) ने सरकारी गोदी पर मरम्मत कार्यों को करने के लिए 1.21 लाख रुपये में अप्रैल 1974 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन खरीदी । मशीन चालू नहीं की गई थी । 0.29 लाख रुपये के अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति नवम्बर 1983 में की गई थी । नवम्बर 1984 में यह सूचित किया गया था कि मशीन का संचालन नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई उपयुक्त प्रशिक्षित संचालक उपलब्ध नहीं था । निदेशालय के अनुदेशों के अधीन फर्म के सेवा इंजीनियर ने मशीन का निरीक्षण मई 1985 में किया । नवम्बर 1985 में फर्म ने आवश्यक मरम्मत करने के लिए कुछ अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए सिफारिश की । 1.67 लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त पुर्जे सितम्बर 1989 में प्राप्त किये गये थे । अप्रैल 1990 में फर्म को मशीन के संचालन के लिए अपने सेवा इंजीनियर को भेजने के लिए कहा गया । इसके बावजूद भी

मशीन मई 1990 तक चालू नहीं की गई थी ।

इस प्रकार से जिन उद्देश्यों के लिए मशीन 1.21 लाख रुपये में अधिप्राप्त की गई थी 16 वर्षों के बाद भी अपूर्ण रहे । निदेशालय ने अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए भी 1.96 लाख रुपये व्यय किये ।

मामला मंत्रालय तथा प्रशासन को अप्रैल 1990 में संदर्भित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990) ।

39. मशीन का असंस्थापन

निदेशक जहाजरानी सेवा ने तारों के रस्सों के बल, चेन एवं उत्थापन घिरनी की सामान्य परख के लिए महानिदेशक आपूर्ति और निप्टान के माध्यम से अगस्त 1982 में,1.25 लाख रुपये की 50 टन क्षमता की एक प्रूफ लोडिंग मशीन की अधिप्राप्ति की। फर्म को लागत के 90 प्रतिशत भाग के द्योतक 1.13 लाख रुपये अदा किये गये थे तथा बाकी का 10 प्रतिशत फर्म द्वारा मशीन के चालू किये जाने तथा उसके संतोषजनक निष्पादन के आधार पर किया जाना अपेक्षित था । तथापि, मशीन स्थापित नहीं की जा सकी थी क्योंकि उसे रखने के लिए कोई भवन या शैड नहीं था । केवल दिसम्बर 1984 में ही निदेशालय ने मशीन को स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरु की तथा मशीन को स्थापित करने हेतु सरकारी गोदी में एक कार्यशाला शैड के निर्माण करने के लिए अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ लो नि वि) से सम्पर्क किया । 6.83 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति अक्तूबर 1986 में प्रदान की गई थी ।

अं लो नि वि ने अगस्त 1989 में सूचित किया कि पिछले कई वर्षों के लिए मशीन को स्थापित करने हेतु नये कार्यशाला शेड के निर्माण के लिए उसके बजट अनुमानों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था, अतः निर्माण कार्य शुरु नहीं किया जा सका था । तथापि, निदेशालय ने सितम्बर 1989 में बताया कि अं लो नि वि ने, अन्य परियोजना पर उसकी पूर्व व्यवस्थता के कारण तब कार्य शुरु नहीं किया तथा निर्माण कार्य दिसम्बर 1989 तक शुरु होना संभाव्य था । अं लो नि वि द्वारा निर्माण कार्य अभी तक (मार्च 1990) शुरु नहीं किया गया था ।

मशीन की, बिना उसके स्थापित करने/चालू करने के लिए स्थान सुनिश्चित किये अधिप्राप्ति के परिणामस्वरुप 1.13 लाख रुपये की निधियों का सात वर्षों से अधिक के लिए अवरोधन हुआ । मशीन का वारंटी कवर बहुत पहले समाप्त हो गया था। मशीन चालू न किये जाने से उद्देश्य, जिस के लिए मशीन की अधिप्राप्ति की थी, अर्थात तार रस्सों तथा पोतों की चेनों की परख की उपलब्धि नहीं हो सकी थी (जनवरी 1984)।

मंत्रालय ने जनवरी 1991 में सूचित किया कि कार्यशाला शेड की इमारत निर्माणाधीन

थी और उसके शीघ्र पूरे होने की आशा थी । ज्यों ही इमारत विभाग को सौंप दी जायेगी, मशीन प्रयोग में लाई जाएगी । मंत्रालय ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने तथा चूकों के लिए उत्तरदायित्व नियत करने को भी कहा ।

(चण्डीगढ़ प्रशासन)

40. अनुदानों का अधिक जारी किया जाना

पशुपालन विभाग ने, घायल तथा बीमार पशुओं के परिवहन तथा उपचार के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति, चंण्डीगढ़ को 1986-87 से 1988-89 के दौरान 3 लाख रुपये तक के कुल अनुदान जारी किये । विभाग के अभिलेखों की एक जांच से पता चला कि समिति ने, 1986-87 से 1988-89 के दौरान, 2.47 लाख रुपये तक के कुल अव्ययित शेष छोड़ते हुए, केवल 0.53 लाख रुपये का ही उपयोग किया था । समिति ने, न तो प्रत्येक वर्ष के अंत में अव्ययित शेष, विभाग को सूचित किया, न ही विभाग ने आगामी वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पूर्व जैसा कि सरकारी संस्वीकृतियों में निर्धारित था, पिछले वर्ष में जारी किये गये अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र ही, प्राप्त किया । तदनुसार, बाद में अनुदान संस्वीकृत करते / जारी करते समय, संस्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा अव्ययित शेष लेखों में नहीं लिए गए थे ।

मामला चंडीगढ़ प्रशासन तथा मंत्रालय को क्रमशः अगस्त 1989 तथा मई 1990 में प्रेषित किया गया था । प्रशासन ने दिसम्बर 1989 में सूचित किया कि समिति द्वारा अव्ययित अनुदान पशुओं के कल्याण के लिए तथा रोगी पशुओं के लिए अस्पताल की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जायेगा । मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 1991) ।

41. गलत विनिर्देशन के कारण अतिरिक्त व्यय

" चण्डीगढ़ में जंक्शन 49-50 के साथ साथ, वर्तमान उर्ध्वस्थ उच्च प्रतिबल लाइन को भूमिगत केबल द्वारा प्रतिस्थापन करने " का कार्य फरवरी 1986 में कार्यकारी अभियंता, विद्युतीय प्रभाग I, चण्डीगढ़ द्वारा लगभग 8.70 लाख रुपये की राशि पर ठेकेदार 'क' को आबंटित किया गया था । निविदाएं आमंत्रित करते हुए विस्तृत अधिसूचना में 1200 मीटर एल्यूमीनियम कन्डक्टर क्रॉस लिंक पोलीथीन इन्सुलेटिड सेमी कन्डक्टर बिछाने हेतु विनिर्देशन में ताम्र आवरित केबल के बजाए गलती से एल्युमीनियम टेप आवरित केबल का उल्लेख किया गया था । इस गलती का पता कार्यकारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को कार्य सौंपने पर उस समय लगाया गया जब कार्य हेतु ताम्र टेप आवरित केबल प्रयोग करने के लिए उसने संशोधित विनिर्देशन के लिए 677.23 रुपये प्रति

मीटर की उच्च दर की मांग की । विभाग ने सितम्बर 1986 में ठेकेदार की मांग को अस्वीकृत कर दिया । नई निविदाएं अक्तूबर 1987 में आमंत्रित की गई तथा कार्य 795 रुपये प्रति मीटर पर ठेकेदार "ख"(को आबंटित किया गया था । कार्य मार्च 1988 में पूरा किया गया था तथा अंतिम लागत 12.79 लाख रुपये परिकलित की गई थी । दूसरे ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा के आधार पर विभाग 2.32 लाख रुपये अधिक व्यय कर चुका था,जोकि बचाया जा सकता था।

मामला चण्डीगढ़ प्रशासन को अप्रैल 1988 में तथा मंत्रालय को जून 1990 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1991) ।

42 सरकारी प्राप्तियों का दुर्विनियोजन

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता में यह अपेक्षित है कि सरकार की ओर से एक सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त धन को तुरन्त ही रोकड बही में लेखाबद्ध कर दिया जाना चाहिये ।

संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ की प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा में 1985-86 तथा 1986-87 की अवधि के दौरान0.69 लाख रु0 के दुर्विनियोजन का पता चला । दुर्विनियोजन, रोकड़बही में अपेक्षित जांचों को न करने से, आहरण तथा संवितरण अधिकारी की ओर से संहिता के प्रावधानों की अनुपालना न होने तथा उपेक्षा के कारण संभव हुआ था । दुर्विनियोजन, रोकड़ बही में विभागीय प्राप्ति को लेखा बद्ध न करने/आंशिक लेखाबद्ध करने, रोकड़ बही के भुगतान पृष्ठ पर कृत्रिम प्रविष्टियाँ करने, प्राप्ति पृष्ठ में कम प्रविष्टियों को भरने अथवा दिन के अन्त में सही रोकड़ शेष को अंकित न करने के कारण हुआ था ।

चंण्डीगढ प्रशासन ने सितम्बर 1989 में बताया कि 0.69 लाख रु0 वसूल कर लिए गये थे।

निर्धारित प्रणाली का दृढ़ता से पालन करने में विफलता के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई अभी की जानी थी ।

मामला, अप्रैल 1990 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1990) ।

43. अनियमित/निष्फल व्यय

43.1 उत्खनकों की खरीद:-

लोक निर्माण मंडल ने जनवरी 1988 में नयी परियोजना के निष्पादन के लिए 19.91 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दमन व दीव के लिए दो उत्खनक व भारकों की खरीद का प्रस्ताव किया । मांग, हाथ की परियोजनाओं की संख्या तथा वे परियोजनाएं जोकि प्रारंभ की जायेंगी की संख्या, विस्तृत जांच द्वारा समर्थित नहीं थी । दो उत्खनकों की खरीद के लिए संस्वीकृति जनवरी 1988 में प्रदान की गई थी । उत्खनकों के लिए आदेश फरवरी 1988 में समाहर्त्ता दमन द्वारा बम्बई के एक आपूतिकर्त्ता को दिया गया था तथा मार्च 1988 में 19.91 लाख रुपये की लागत पर दो उत्खनक प्राप्त किये गये थे ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (अक्तूबर 1988), कि सरकार को तुलनात्मक दरों के लाभ से वंचित करते हुए खरीद, बिना निविदाएं आमंत्रित किये की गई थी । प्रस्तुत किये गये विवरणों के अनुसार एक उत्खनक अगस्त 1988 से दिसम्बर 1989 के दौरान केवल 183 घटों के लिए तथा दूसरा अगस्त से सितम्बर 1988 के दौरान 14 दिनों के लिए प्रयुक्त किया गया था ।

दमन व दीव प्रशासन ने अगस्त 1989 तथा जून 1990 में बताया कि उत्खनक नियमित रुप से प्रयोग में लाये जा रहे थे परन्तु एकमात्र फर्म को आदेश प्रस्तुत करने के लिए कारण नहीं दिये गये थे ।

43.2 यांत्रिक मार्ग अपमार्जकों तथा कचरा डब्बों की खरीद:-

प्रशासन ने जनवरी 1988 में कूड़े को हटाने के लिए विद्यमान प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए 36.00 लाख रुपये के लिए तीन यांत्रिक मार्ग अपमार्जक तथा दो कचरा डब्बों की खरीद की संस्वीकृति प्रदान की थी । खरीद खुली निविदा आमंत्रित किये बिना सीधे ही एक फर्म से की गई थी । उपस्कर 34.79 लाख रुपये में जनवरी/फरवरी 1988 में प्राप्त किये गये थे तथा दमन व दीव की नगरपालिकाओं के अधिकार में

रख दिये गये थे, यद्यपि उन्होंने आपूर्ति के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था । उपस्कर के प्रयोग में लाये जाने का कोई प्रमाण नहीं था । दमन व दीव में मार्ग भी बड़े संकीर्ण हैं । अनुदान के लिए सहायता के स्वरुप को भारत सरकार से अनुमोदित नहीं करवाया गया था ।

मांगों का निर्धारण किये बिना उपस्करों की खरीद तथा उनको प्रभावकारी प्रयोग में न लाने के परिणामस्वरुप 34.79 लाख रुपये का अवरोधन हुआ ।

समाहर्त्ता, जिसे जनवरी 1989 में मामला भेजा गया था, ने कोई उत्तर नहीं दिया । मामला मई 1990 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1990) ।

(लक्षद्वीप)

44. हाइड्रोपानिक ग्रास यूनिट का निष्क्रिय पड़ा रहना

150 कि ग्रा प्रतिदिन (लागत:0.95 लाख रुपये) के उत्पादन वाली एक हाइड्रोपॉनिक यूनिट, पशुधन के लिए, घास के उत्पादन में एक नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु, पशुपालन विभाग के साथ लगे एक क्षेत्र में,नवम्बर 1986 में, स्थापित की गई थी। उपस्कर का मुख्य लाभ यह था कि इसको किसी भूमि अथवा मिट्टी की आवश्यकता नहीं थी तथा केवल थोड़े से जल की आवश्यकता थी जिसे कि घास के उत्पादन के लिए पुनः प्रयोग भी किया जा सकता था । खरीद केरल सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड द्वारा जून 1985 में दिये गये तकनीकी परामर्श के विरुद्ध की गई थी कि अतिसक्षम तकनीकी कार्मिक से सशक्त सहायता प्राप्त किये बिना दोषमुक्त सेवा प्राप्त करने हेतु मशीनरी को बनाये रखना सहज नहीं था।

यद्यपि, मशीन दिसम्बर 1986 में चालू की गई थी, इसने कभी अच्छे परिणाम नहीं दिये थे । तथ्य के होते हुए भी यह हुआ कि आपूर्तिकर्ता फर्म का एक प्रशिक्षित व्यक्ति रख रखाव तथा प्रशिक्षण के लिए रोक लिया गया था तथा एक विभागीय कर्मचारी को संयंत्र के संचालन/रख रखाव में प्रशिक्षण भी दिया गया था । फरवरी 1988 तक लगभग 14 माह के लिए संचालन की अवधि के दौरान, मशीन ने 63,750 कि ग्रा अपेक्षित उत्पादन के प्रति 18,463 कि ग्रा घास का उत्पादन करते

हुए केवल 142 दिनों के लिए ही कार्य किया था । यहां तक कि इस प्रकार उत्पादित घास की मात्रा में से, 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन (9577 कि ग्रा) छीजन/सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ था । वातानुकूलक के कार्य न करने के कारण फरवरी 1988 में मशीन ने कार्य करना बंद कर दिया था ।

निदेशक पशुपालन ने जून 1990 में बताया कि अंड पोषकों को हस्तांतरित किये जाने तक मशीनरी अंडे सेने हेतु सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जा सकती है । इस प्रकार उपस्कर ने उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जिसके लिए इसे खरीदा गया था ।

मामला जुलाई 1990 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1990)।

धर्मवीर

(धर्मवीर)

महानिदेशक लेखापरीक्षा,

केन्द्रीय राजस्व-I।

नई दिल्ली :

दिनांक : 18 जुलाई 1991

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि सोमैया

(सि.जि. सोमैया)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :

दिनांक :

22 जुलाई JUL 1991

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
3	तालिका में नीचे से पांचवीं पंक्ति		163.241	163.24
4	तालिका में ऊपर से चोथी पंक्ति		1989-90	1988-89
38	2	नीचे से 10	एक नवाबर	नवाबर
65	1	ऊपर से 8	6731 लाख रु.	67.31 लाख रु.
74	2	नीचे से 6	(अप्रेल 1990)	(अप्रेल 1991)
81	2	नीचे से 10	4.48 लाख रु.	4.18 लाख रु.
82	2	ऊपर से 7	91,328 लाख घ मी	91,328 घ.मी.
82	2	अन्तिम	1990)।	1991)।